राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1 पंचम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 43 सवां दिवस संख्या 15

सोमवार,

दिनांक 1 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, राजकीय उपक्रम, शिक्षा, जन संपर्क, जन स्वास्थ्य, अकाल सहायता, आयोजना, खाद्य, अकाल राहत, वित्त, सहकारिता, वक्फ, आबकारी विभाग]

(प्रश्न संख्या 145)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती नगेन्द्र बाला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री राजेन्द्रसिंह।

राजकीय उपक्रमों के अध्यक्षों पर व्यय की गई राशि

146. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के राजकीय उपक्रमों के अध्यक्षों को गत 2 वर्ष में कितनी राशि-वेतन, टी. ए., डी. ए. व अन्य सुविधाओं के रूप में दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इन पर किये गए व्यय को उचित समझती है ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

(3) इस व्यय को घटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री चन्दनमल वेद) : (1) श्रीगंगानगर शूगर मिल्स लि. के प्रभारी संचालक को पिछले 2 वर्षों में निम्न वेतन व टी. ए., डी. ए. का भुगतान किया गया है:—

वर्ष	टी ए. डी.ए.	वेतन
1969–70	7237.32	18,000
1970–71	1516.84	18,000

वेतन सरकारी कोष में जमा कराया जाता है। हार्डवेड प्रेसीजन ग्लास लि. व राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. से पिछले दो वर्षों में कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया गया न ही कोई वेतन दिया गया।

(2) हां। यह खर्चा कम्पनी के कार्यों की जरूरतों को देखते हुए करना जरूरी है।

(3) यात्रायें आवश्यक कार्यों के लिए ही की जाती है फिर भी वर्ष 1970–71

(श्री चन्दनमल बैद)
में टी ए. डी. ए. की मात्रा वर्ष 1969–70 से कम रही।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछा है राजकीय उपक्रम के बारे में और माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है वह गंगानगर शुगर मिल्स के बारे में तो क्या और कोई राजकीय उपक्रम नहीं है इस राजस्थान के अन्दर ? मैं यह जानकारी चाहता हूं ।

श्री **चन्दनमल बैद** : राजकीय उपक्रम विभाग के अन्तर्गत जितनी कम्पनीज आती हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है ।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : राज्य सरकार के अन्दर और कोई राजकीय उपक्रम नहीं है ?

श्री **चन्दनमल बैद** : मैंने निवेदन किया है कि राजकीय उपक्रम विभाग से सम्बन्धित जितने आते हैं उन्हीं के बारे में बता दिया है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री प्रद्युम्नसिंह ।

मनिया सेकेण्डरी स्कूल का भवन

147. श्री **प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गत वर्ष मनिया सेकेण्डरी स्कूल जिला भरतपुर के भवन का एक हिस्सा अधिक बरसात होने के कारण गिर गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी मरम्मत के लिए कोई आर्थिक प्रावधान किया है ।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : जी हां। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्यालय निरीक्षक, भरतपुर को लिखा गया है।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल के भवन को पिछली बरसात के अन्दर काफी क्षति पहुंची थी और पिछले नौ महीनों से अभी भी वह भवन खण्डहर की हालत में पड़ा हुआ है और न अभी तक उस भवन की कोई मरम्मत ही की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि विद्यालय निरीक्षक को लिख देने से क्या होता है क्या आपने बजट में कोई प्रावधान इसके लिए किया है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बरसात में और भी खतरा इस भवन को रहेगा, विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं और बरसात के अन्दर अगर यह भवन और गिर गया और जान का खतरा होने के कारण अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इस सरकार की बदनामी होगी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि क्या वे इसके लिए आर्थिक प्रावधान करने की स्थिति में हैं ? कोई आर्थिक प्रावधान कर दिया है, इस बात की जानकारी चाहता हूं।

श्री **जुझारसिंह** : अभी तक तो आर्थिक प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी ।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : आर्थिक प्रावधान नहीं किया गया है विद्यालय निरीक्षक को लिख दिया है तो इससे क्या होगा। बिना आर्थिक प्रावधान के कौन बनाएगा ? क्या भूत बना देंगे ? भवन की ऐसी दशा है कि जिससे लड़कों की जिन्दगी को खतरा है। मैं मान-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
नीय मंत्री महोदय से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस भवन के लिए आप आर्थिक प्रावधान इसी वर्ष करेंगे या नहीं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस स्कूल की ही बात नहीं है, सारे राजस्थान के अन्दर ऐसी हालत है। स्कूल के भवनों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, कई भवन गिर चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं और स्कूल में बच्चे खुले में बैठते हैं। इस प्रकार की समस्या सारे राजस्थान की है। इस स्कूल की हालत भी ऐसी ही है। लड़कियों की हाई स्कूल नहीं होने से यहीं पर लडकियां भी पढ़ती हैं···

शिक्षा मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): अगले बजट में इस पर विचार करके प्रावधान कर देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी साल विचार करके प्रावधान क्यों नहीं करते ? अगला बजट कौन सा होगा ? साल भर में जाकर अगला बजट पेश होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि बरसात से पहले इस भवन की मरम्मत करा दी जाएगी।

श्री नारायणसिंह मसूदा : सन् 72-73 में ही इस पर विचार करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विद्यालय निरीक्षक को लिख दिया है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इस पर विचार करेंगे। भवन गिरने को है और विद्यार्थियों की जान का खतरा है और आप विचार करने की स्थिति में चल रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ) : माननीय सदस्य के यहां भूतों से मकान बनाने की परम्परा रही है तो आयन्दा भी भूतों से ही मकान बनवा लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप जिस तरह से प्रश्न को अवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यह कह कर कि विचार करेंगे और विचार करने के बाद लिख दिया गया है विद्यालय निरीक्षक को। आप लिखेंगे कहां से जब कि बजट में प्रावधान हो नहीं है ? बिना प्रावधान के बनेगा कहां से ? कौन बनाएगा ? अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इस पर विचार करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि क्या इसी जुलाई के महीने के पहले जब कि दुबारा स्कूल खुलेंगे, इस भवन का निर्माण पूरा हो जावेगा या नहीं ?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि यथा समय इसका कार्य हो सके।

श्री अध्यक्ष : निरंजननाथ आचार्य :

साप्ताहिक एवं दैनिक पत्रों को दिए गए विज्ञापन

148. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुखाड़िया प्रशासन के 17 वर्ष की अवधि में साप्ताहिक एवं दैनिक पत्रों

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
को दिए गए विज्ञापन की धनराशि कितनी है ?

(2) किन-किन पत्रकारों को उक्त अवधि में स्कूटर एवं कारें तथा जमीन आदि आवंटित किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

जन सम्पर्क मंत्री (श्री चन्दनमल वैद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी इसका जवाब नहीं आया है अतः इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

कोटपुतली की नल योजना

149. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कोटपुतली की नल योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है तथा यह योजना कब तक पूरी की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के लाभ से कोटपुतली की आधे से अधिक आबादी को वंचित रखा गया है, जिसमें हरिजन बस्ती व पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त बची हुई आबादी में नल योजना चालू करने का विचार कर रही है? यदि हां. तो कब तक ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद): (1) योजना की अनुमानित लागत 7.61 लाख रुपये हैं। योजना का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जावेगा। वैसे योजना से पानी देना प्रारम्भ किया जा चुका है।

(2) जी नहीं, परन्तु जैसे कि योजना का खर्च सन् 1961 में ही हो चुका था, अत जो बस्तियां बाद में विकसित हुई उनके लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं था। इनमें से जो भी बस्तियां मोहल्ले पिछड़ी जातियों, हरिजनों अथवा आदि वासी जातियों के हैं उनको इसी साल पानी दे दिया जावेगा।

(3) ऊपर बताई हुई बस्तियों और मोहल्लों के अलावा अन्य बस्तियों और मोहल्लों के लिए योजना बनाई जायेगी।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि कोटपुतली नल योजना से यद्यपि पानी देना शुरू कर दिया गया है लेकिन अभी तक टैंक नहीं बना है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह सही है कि टैंक नहीं बना है और पानी दे दिया गया है और टैंक बनने के बाद और बस्तियों में भी पानी दे दिया जाएगा। चूंकि पानी देने के लिए दबाव पड़ रहा था इसलिए टैंक बनने से पहले ही पानी दे दिया गया।

श्री सुरेशचन्द्र : आपने कहा है कि बस्ती विकसित हुई वहां पानी दे दिया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह बस्ती तो सन् 61 से पहले की ही विकसित है और वहां पर पाईप लाइन पहले से मौजूद थी।

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझता हूं कि यदि आपकी बात सही भी हो तो भी मेरे आश्वासन के बाद कि जो भी पिछड़ी जातियों और हरिजनों आदि के मोहल्ले हैं उनमें उसी साल पाईप लाईन डाल दी जावेगी आपको संतोष हो जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द सांमरिया (दौसा) : क्या मंत्री महोदय इस बात की एक भी मिसाल दे सकते हैं कि जहां पर नल योजना शुरू हुई और गांवों में सवर्ण वस्तियों को तो पानी दे दिया गया है उनके साथ ही हरिजन बस्तियों में भी पानी दे दिया गया हो ? आप एक भी उदाहरण बता दें कि हरिजन बस्तियों में नल और बिजली सवर्ण बस्तियों के साथ साथ दे दी गई हो। यह बता दें तो सौभाग्य होगा।

श्री चन्दनमल वैद : मैं पहले ही कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि आगे जो भी नल योजना पूर्ण होगी उसके पहले पिछड़ी जातियों और हरिजन आदिम जातियों की बस्ती में पानी दे दिया जाएगा और उसके बाद सवर्ण वस्तियों में पानी देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

अजमेर में विश्व विद्यालय

150. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि अजमेर के जिला राज्य में शैक्षिणिक दृष्टिकोण से अन्य जिलों में अग्रणी है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर के कॉलेज राज्य में प्रायः सबसे पुराने हैं ?

(3) क्या वहां अन्य स्थानों के बजाय पहले विश्वविद्यालय कायम नहीं होना चाहिये था ?

(4) क्या सरकार अब अजमेर में विश्वविद्यालय कायम करने के बाबत गंभीरता से सोच रही है ? यदि हां, तो उसे कब क्रियान्वित किया जा सकेगा ?

राज्य मंत्री शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। यह सही है कि अजमेर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा शिक्षा की प्रगति प्रारम्भ से ही अच्छी रही है।

(2) जी हां, केवल राजकीय महाविद्यालय अजमेर राज्य के सब से पुराने कालेजों में से है।

(3) व (4) हाल ही में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अजमेर में एक समारोह में बोलते हुए आश्वासन दिया था कि आयन्दा जब कभी नया विश्व विद्यालय स्थापित किया गया तो अजमेर को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : आयन्दा विश्वविद्यालय कायम किया जाये तो विचार किया जायेगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना में विश्व विद्यालय खोलने का कोई प्रावधान रखा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : एक विचार चल रहा है कि एक अफीलियेटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। इस पर विचार होने के बाद तय किया जायेगा। यह भी सोचा जायेगा कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार की हो और कहां पर हो ?

Page No 6

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस सरकार को पंचवर्षीय योजना के अन्दर क्या कोई नया विश्वविद्यालय कायम करने का प्रावधान है ? क्या है इस बजट के अन्दर और किस किस्म का इरादा है और मंत्री महोदय का क्या विचार है, जब कभी विचार करेंगे, खोलेंगे, तो हाल फिलहाल क्या विचार है, आपका ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या सन् 77 तक यह विश्व विद्यालय खुल जायेगा ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर तो नहीं है । सुनिश्चित रूप से विचार इस समय नहीं कह सकता हूं । यद्यपि अफीलियेटेड यूनिवर्सिटी कायम करने के सम्बन्ध में विचार करने के बाद यू. जी. सी. से एप्रोच करेंगे और जो भी इस विषय में कार्यवाही की जा सकेगी, की जायेगी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या यू. जी. सी. को लिखने का विचार है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी हां, है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न संख्या 151

नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा बनाई गई योजनाएं

151. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा अब तक कितनी योजनाएं बनाई गई हैं ? उनमें कितनी और कौन कौन सी योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है और कौन कौन सी योजना की स्वीकृति कब मिल चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास मण्डल द्वारा अब तक जिन जिन योजनाओं के अन्तर्गत बस्तियां बसाई गई हैं उन बस्तियों को आज तक कानून के अनुसार नगर परिषद् को स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा इन बस्तियों की सफाई, बिजली, पानी, सड़क व ड्रेनेज आदि की व्यवस्था का दायित्व किस पर है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा 22 योजनाएं बनाई गईं जिनमें से 3 योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। शेष सभी योजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है तालिका संलग्न है ।

(2) न्यास अधिनियम के अन्तर्गत योजनाओं के पूर्णतया विकसित न होने के कारण नगर परिषद् को कोई योजना स्थानान्तरित नहीं की गई है। योजनाओं में सफाई को छोड़कर बिजली, पानी, सड़क व ड्रेनेज आदि की व्यवस्था का दायित्व न्यास का है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगर विकास न्यास द्वारा अब तक कितन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
गई हैं उनकी सूची मैंने मांगी थी, वह सूची मुझे नहीं मिली है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री परसराम मदेरणा : सूची दी गई है। नहीं मिली है तो दे दी जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 22 योजनाओं में 3 योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। 19 योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। ये 19 योजनाएं कब तक पूरी हो जायंगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इनमें अभी तक विकास का कार्यक्रम चल रहा है। जब विकास पूरा हो जायेगा, पूरी हो जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कब तक ?

श्री परसराम मदेरणा : एक-एक योजना के बारे में तो नहीं कह सकता हूं। विकास का कार्य प्रोग्रेस पर है और आशा कर के चलते हैं कि जल्दी ही यह कार्य पूरा हो जायेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या ये योजनाएं मास्टर प्लान के अन्तर्गत बनाई गई हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मास्टर प्लान प्रकाशित नहीं हुआ है, कब तक प्रकाशित करा देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मास्टर प्लान प्रकाशित न हो तो किसी योजना के पूर्व चीफ टाउन प्लानर या उसके नीचे के अफसर से, उस योजना के अमल के पहले नो आब्जेक्शन लिया जाता है और उसके बाद ही योजना को कार्यान्वित किया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या मास्टर प्लान बना दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मास्टर प्लान फाइनल फेज में है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नियमों के अन्तर्गत यह अनिवार्य है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : नई योजनाएं जो ली गई हैं वे मास्टर प्लान बनने के पूर्व ली गई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक यह नहीं बना है, यह सही है, मास्टर प्लान की जो कमेटी है, एडवाईजरी कमेटी, कन्सलटेटिव कमेटी, उसने अभी थोड़े दिन पहले ही जयपुर का मास्टर प्लान फाइनल तौर पर एप्रूव कर दिया है और उसका नक्शा, मानचित्र, जिनको कि प्रिन्ट कराने के अन्दर काफी समय लगेगा–एक–दो महीने का समय लग सकता है,–इसलिये इसका प्रिन्टिंग जयपुर के छापेखाने में नहीं हो सकता है इसलिये इसको दिल्ली भेजा गया है और आशा है कि जल्दी ही छप जायेगा। छपने के बाद इस पर जनता को एतराज करने का मौका दिया जायेगा और राज्य सरकार को स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। राज्य सरकार के एप्रूव करने के बाद ही यह फाइनल समझा जायेगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : ये बस्तियां मास्टर प्लान से कम्पीटेबिल हैं या उससे भिन्न हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी, हां।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मंत्री महोदय क्या इसका थोड़ा जवाब देने की कृपा करेंगे ? यहां पर यह कहा जा रहा है जयपुर का मास्टर प्लान शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा। यह बात सुनते-सुनते दस वर्ष हो गये हैं। जिन 19 बस्तियों के बारे में कहा है कि वहां पर विकास कार्य चालू है, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ और यह अधिकृत रूप से यहां पर कहता हूँ कि वहां पर विकास कार्यक्रम बन्द पड़ा है और कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये जो 19 योजनाएं आप बता रहे हैं वहां पर विकास कार्यक्रम नहीं हो रहा है और मुझे भय है कि ये जो 19 योजनाएं राज्य सरकार से स्वीकृत होकर आई हैं ये अमली रूप में नहीं आयेंगी और वहां पर दुबारा मास्टर प्लान के अन्तर्गत योजनायें बनाई जायेंगी। क्या मेरा यह आक्षेप सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : ये योजनाएं दुबारा राज्य सरकार के पास नहीं आयेंगी। इन योजना के बारे में तो मैं यहां पर नहीं कह सकता हूँ। अब ड्राफ्ट प्लान कन्सल्टेटिव कौन्सिल ने पास कर दिया है और इसके बाद अब दो फार्मेलिटीज बाकी रह गई हैं। एक तो राज्य सरकार की स्वीकृति और दूसरी जनता द्वारा आब्जेक्शन इनवाईट करने। मास्टर प्लान देर से बना है यह स्वीकार करता हूँ और इसमें काफी समय लगा है। अब यह फाइनल हो गया है और प्रूफ छापने की स्वीकृति दे दी गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या मास्टर प्लान से योजनाएं बनाना अनियमित नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं है। ये मास्टर प्लान में निहित है। जैसे कोटा और अजमेर, इन दोनों जगह अभी मास्टर प्लान नहीं है परन्तु वहां की योजनाएं इसके अभाव में नहीं रोकी जा सकती।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : योजनाएं किसने बनाई हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : ट्रस्ट ने।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मास्टर प्लान किसने बनाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : चीफ टाउन प्लानर ने।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने 22 बस्तियों के बारे में दूसरे प्रश्न के सन्दर्भ में बताया है। 19 राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुकी है और 3 विचाराधीन हैं। क्या मास्टर प्लान में इन 22 बस्तियों का समावेश है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सवाल आप अभी नहीं पूछ सकते। कौन कौन सी बस्तियां आई हैं और उनको डवलप करना है यह मास्टर प्लान में होगा। अभी तो यह

(श्री परसराम मदेरणा)
एक प्रसपेक्टिव प्लानिंग है। उसमें इन्डस्ट्रीयल, रैजीडेन्शल और कामर्शियल एरिया इयर मार्क कर दिया गया है। शापिंग सेन्टर्स, एजूकेशनल इन्स्टीच्यूशन कहां रहेंगी इनके लिए भी जमीन का इयर मार्क कर दिया गया है। मास्टर प्लान में एक एक योजना का समावेश नहीं है। यह देखा गया है कि जयपुर का विकास एक प्लान्ड वे में हो सके। अब यहां पर तो योजनाओं के डिटेल में जाने की बात आ गई है। मास्टर प्लान प्रकाशित नहीं हो तब तक कोई भी योजना नहीं बने यह तो ठीक नहीं है। योजना बनती है और उस पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट से एप्रूवल ले ली जाती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या योजना बनाते समय चीफ टाउन प्लानर वहां पर मौजूद था?

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न और है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय को देना चाहिये। योजना बनाते समय चीफ टाउन प्लानर मौजूद था या नहीं? यह सीधा सा प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं कैसे कह सकता हूं। यू.आई.टी. की मीटिंग होती है और उसमें उसका रिप्रिजेन्टेटिव होता है। यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या ये योजनाएं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट से एप्रूव्ड हैं?

श्री परसराम मदेरणा : होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप गोलमाल उत्तर दे रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आखिर में यह जयपुर शहर के बसाने तथा विकास की योजना है। इसमें सही उत्तर दिया जाना चाहिये। आपको जानकारी नहीं हो तो वैसा कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मास्टर प्लान के बारे में आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिये अलग से सवाल पूछ लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : सामान्यतया कोई भी योजना बनाने से पूर्व टाउन प्लानर का उस पर एप्रूवल लिया जाना चाहिए। उसके एप्रूवल के बिना वह नहीं बन सकती है। एक-एक योजना में वह था या नहीं उसके बारे में अलग से प्रश्न पूछें। आपने यू.आई.टी. की योजनाओं के बारे में पूछा था उसका मैंने जवाब दे दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन लोगों ने स्वीकृति नहीं दी उनके खिलाफ क्या आप एक्शन लेने वाले हैं?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : वन एट ए टाइम। आप इतने बेकरार क्यों हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये बार बार खड़े हो जाते हैं और लोगों को मौका ही नहीं देते हैं।

Page No 10

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि दूसरा मेरा जो प्रश्न है वह यह है कि मुझे जो सूची दी गई है उसमें आपने बताया है कि 19 बस्तियां बसा दी गई हैं और तीन बस्तियां विचाराधीन हैं। मैं समझता हूं कि यह जो सूची आपने मुझको दी है वही तो नहीं है। मेरा पहला प्रश्न अलग है और दूसरा प्रश्न अलग है। संभवतः इस पर गलती से टाइप हो गया हो जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा बसाई गई बस्तियां। एक सूची 19 की अलग है और दूसरी तीन की अलग है। इस तरह 22 कुल हो गई हैं। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। मेरा पहला प्रश्न यह था कि जयपुर नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा अब तक कितनी योजनाएं बनाई गई हैं उसकी सूची नहीं मिली है।

श्री परसराम मदेरणा : यही तो सूची है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे जो सूची दी गई है वह जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा बसाई गई बस्तियों की सूची है और आपने कहा कि तीन की सैंकशन राज्य सरकार के पास में पड़ी हुई है...

श्री परसराम मदेरणा : यही तो 19 की लिस्ट है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 19 तो वही हैं जो स्वीकृत होकर आ गई हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बसा दी गई हैं और आपने कहा कि वे बसा दी गई हैं और मेरा मतलब यह था पूछने का कि जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा बसाई गई बस्तियों की सूची जिसका मतलब उन बस्तियों की सूची है जो कि बस चुकी हैं...

श्री परसराम मदेरणा : मेरा यह कहना है कि जो 19 बस्तियां हैं उन पर विकास का काम चल रहा है। कुछ का विकास का काम पूरा हो गया है लेकिन पूरे विकास का काम नहीं हुआ है जैसे कन्जरवेन्सी व सीवेज लाइन उनमें नहीं डाली गई हैं। काफी में डाली गई हैं। जिनमें काम पूरा नहीं हुआ है उसके लिए लिखा है क्रियान्वित हो रहा है। यही 19 बस्तियां हैं जिनको बसाया गया है और वहां पर लोग भी हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कितनी योजनायें राज्य सरकार के पास में पड़ी हुई हैं और कितनी स्वीकृत होकर आ गई हैं...

श्री परसराम मदेरणा : यह जो लिस्ट दी गई है यही लिस्ट तो है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष मेरा प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पर 2–3–4–5 सप्लिमेन्ट्री पूछे जा सकते हैं। यह नहीं कि बराबर बोलते चले जायं और सप्लीमेन्ट्री पूछे चले जायं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मेरे प्रश्न को पढ़ता हूं "जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा अब तक कितनी योजनाएं बनाई गई हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष, मुझे भी एक–दो जानकारी चाहिए...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष...

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमको भी प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मिलेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (श्री भार्गव के फिर खड़े होने पर) : यह बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा या नहीं···

श्री अध्यक्ष : (श्री भार्गव से) कितने सप्लिमेंट्री पूछेंगे ? दूसरों को भी मौका देंगे या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि जो बस्तियां बसाई गई हैं···

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि एक ही व्यक्ति बोलता चला जायगा या औरों को भी मौका मिलेगा ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर-जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री प्रद्युम्नसिंह : (श्री भार्गव के खड़े होने पर माननीय अध्यक्ष·······मेरा प्रश्न···

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा यह है कि···

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष··· (दोनों के साथ–साथ बोलते रहने के कारण अश्रव्य)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मि. गहलोत। (श्री भार्गव से) आप बैठिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय ने···

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत पूछने वाले हैं। एक ही प्रश्न को लेकर रह जायेंगे····

श्री अध्यक्ष : मि. गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदक, मैं एक बात सप्लिमेंट्री के रूप में पूछना चहता हूं कि अभी यह जिक्र किया गया है कि कुछ बस्तियों में ड्रेनेज का काम पूरा हो गया है तो क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि ऐसी कौनसी बस्तियां हैं जिनमें ड्रेनेज का काम पूरा हो गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग सवाल है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दी जाय। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रश्न के संदर्भ में कि माननीय मंत्री महोदय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देंगे कि जिन बस्तियों का काम पूरा हो गया है उन्हें शीघ्र ही जयपुर नगर परिषद् को स्थानान्तरित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न भाग (1) में यह पूछा गया है कि "नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा अब तक कितनी योजनाएं बनाई हैं" तो उसका मैंने उत्तर दे दिया है कि 22 योजनाए बनाई गई हैं और दूसरा प्रश्न उनका यह

(श्री परसराम मदेरणा)

था कि कितनी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं तो मैंने उत्तर दे दिया कि तीन योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं। इन्होंने पूछा कि किन किन की स्वीकृति मिल चुकी है तो मैंने बता दिया कि 19 की स्वीकृति मिल चुकी है और आप क्या चाहते हैं? कन्जरवेन्सी का मैंने नहीं कहा और ड्रेनेज का काम हाथ में नहीं लिया गया है। मैंने यह बात कही थी कि ड्रेनेज का मामला पेंडिग है और जहां तक बस्तियों के विकास के काम को पूरा किये जाने का प्रश्न है उसमें ट्रस्ट को इस बात के आदेश पहले दे दिये थे और यह आदेश दे रहा हूं कि जल्दी से जल्दी विकास के कार्य पूरे कराये जायं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगर विकास मण्डल द्वारा जिन योजनाओं के अन्तर्गत बस्तियां बसा दी गई हैं उनको आप कानून के अनुसार स्थानान्तरित करना चाहिए था वे कौनसी बस्तियां हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको पुकार रहा हूं, माननीय अध्यक्ष....

श्री परसराम मदेरणा : पहले एक लिस्ट दे दी गई है....

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्षजी,....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बस्तियां बसा दी गई हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह (श्री प्रद्युम्नसिंह से) आप बैठ जाइये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं समझता कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है....

श्री अध्यक्ष : इस तरह से नहीं दे सकते हैं। श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह : प्रश्न संख्या 152।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 22 की 22 बस्तियां बसा दी गई हैं क्या?

श्री चन्दनमल बैद : 8 इंची पाइप लाइन....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर 15 मिनिट दिये जा चुके हैं। अभी बहुत सवालात बाकी हैं। अब इसको अगली टर्न पर लिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा आरोप है कि जयपुर शहर में एक भी बस्ती नहीं बसाई गई है।

श्री अध्यक्ष : यू प्लीज सिट डाउन (श्री भार्गव के खड़े रहने पर) आप बैठिये। (श्री भार्गव के फिर खड़े रहने पर) प्लीज सिट डाउन।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य को यह भी पता नहीं है कि हाफ एन अवर डिस्कशन भी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा मैं बोलता रहूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हमेशा यही तरीका अपनाते हैं।

श्री नत्था सिंह :

बयाना कस्बे में पानी की व्यवस्था

152. **श्री नत्थासिंह** (नदवई) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कस्बा बयाना जिला भरतपुर में नलों की पूरी लाइन डाली जा चुकी है? यदि हां, तो नलों में पानी आना कब त शुरू होगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): 8 इंच पाइप लाइन के अतिरिक्त सभी पाइप लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। योजना का कार्य प्रगति पर है व इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

श्री नत्था सिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बयाना कस्बे में जो लाइन पास होती है उसमें हरिजन बस्तियों में यानी कोलियों, कुम्हारों, नाइयों, खटीकों की बस्तियों में लाइनें नहीं बिछाई गई हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अगर नहीं बिछाई गई हैं तो बिछा दी जायगीं।

श्री नत्थासिंह : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 70–71 की योजना थी और अब 72–73 चल रहा है तो कब तक वहां के लोगों को पानी मिल जायगा ?

श्री चन्दनमल बैद : 72–73 में।

श्री गिर्राजप्रसाद (बयाना) : मैं यह पूछना चाहूंगा, बजट के अन्दर कितना प्रावधान रखा गया है ?

श्री रावत राम (छापर) : बजट में दस करोड़ का प्रावधान है।

श्री चन्दनमल बैद : जो बजट बनाया उसमें 7 लाख 20 हजार की योजना बनाई गई, उसके बाद में संशोधित योजना 8 लाख 8 हजार की बनाई गई है।

श्री गिर्राज प्रसाद : क्या यह सही है कि योजना में बयाना का नाम नहीं दिया गया है ? योजना के प्रावधान में बयाना का नाम नहीं जोड़ा गया है।

श्री चन्दनमल बैद : बयाना कस्बे की बात कह रहा हूं।

श्री गिर्राज प्रसाद : मैं बयाना कस्बे की बात कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : उसी योजना की बात हो रही है।

श्री गिर्राज प्रसाद : पर्टीक्यूलर इस बयाना कस्बे की ?

श्री चन्दनमल बैद : पर्टीक्यूलर बयाना कस्बे की बात कह रहा हूं।

श्री गिर्राज प्रसाद : क्या यह सही है कि मोटर नहीं मिलने के कारण डिले की जा रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह रहा हूं, पाइप लाइन का क्वेश्चन पूछा तो आठ इंच पाइप लाइन के अलावा सब बिछायी जा चुकी हैं। हरिजन मोहल्ले और पिछड़ी जाती के मोहल्ले बाकी रह गये हैं तो मैंने आदेश दे दिये हैं कि जल प्रदाय योजना पूर्ण होने से पहले यह पाइप लाइन बिछा दी जाय। कुओं के लिए पाइप नहीं प्राप्त हो सका है। यह दोनों चीजें मिल जाय तो इस साल के अन्दर यह पूरी हो जायगी।

Page No 14

श्री दिनेश रांगी (देसूरी) : जब बजट में प्रावधान रखा जाता है और हरिजन और पिछड़ी जाति के मोहल्लों में बिजली पानी देने के लिए अलग से पैसा रखा जाता है, लेकिन हर साल ऐसी बस्तियों में यह काम अधूरे रह जाते हैं। इस साल फिर आश्वासन दे दिया है लेकिन अगली साल भी बजट में यही बात सामने आने वाली है। मैं चाहूंगा, या तो पैसा नहीं रखा जाय, अगर रखा जाय तो पूरा पैसा रखा जाय, और पूरा काम हो, इसके लिए महकमे के अधिकारी वहां पर जाकर देखें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं एक आश्वासन चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रश्न बार बार न उठे और सबसे पहले नल योजना जहां शुरू की जाय वहां हरिजन और पिछड़ी जातियों के मोहल्लों में पाइप लाइन डाली जाय।
तो क्या ऐसे आदेश मंत्री महोदय विभाग के अधिकारियों को जारी करेंगे?

श्री चन्दनमल वेद : मुझे अफसोस है, माननीय सदस्य पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैं यह बजट भाषण में कह चुका हूं और आज कह चुका हूं, यह बात और ही है यह पुरानी स्कीमों के बारे में है। आज से जो स्कीम जारी होंगी, उसमें ऐसा रखा जायगा कि हरिजन और पिछड़ी जाति के मोहल्लों में पहले पाइप लाईन बिछायी जायगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (लनेड़ा) : एक प्रश्न मेरा भी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे. जल और बिजली के लिए चालू खर्च कौन देगा? आप तो ध्यान दे देंगे लेकिन इस खर्च को कौन देगा?

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : पंचायत देगी।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : पंचायत के पास पैसा कहां पड़ा है।

श्री चन्दनमल वेद : यह काम जल प्रदाय विभाग कर रहा है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : वही देगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

नागौर जिले के स्कूल

153. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कुल कितने सैकेण्ड्री व मिडिल स्कूल हैं? किस किस पंचायत समिति में कितने कितने मिडिल व सैकेण्डरी स्कूल हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति, मकराना में कितने सैकेण्डरी स्कूल हैं तथा कितने मिडिल स्कूल आज दिन तक खुल चुके हैं?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची में अंकित हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि मकराना में एकमात्र सैकेण्डरी स्कूल है वह कौन से गांव में है और कौन से वर्ष में खुला है?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अमुक अमुक गांव में अमुक अमुक दिन खुला।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अमुक बड़ा सहायक होता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सिर्फ एक है।

शिक्षा मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : मकराना में⋯

श्री जुझारसिंह : मनाना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह आत्म-समर्पण कर चुका है, पकड़ में नहीं आ रहा है।

श्रीमती गौरी पूनिया : पंचायत समिति डीडवाना में चार सैकण्डरी और 15 मिडिल स्कूल हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि डीडवाना पंचायत समिति में ऐसी क्या विशेषता है जिससे वहां चौगुने स्कूल हैं?

श्री जुझारसिंह : यह सही है कि डीडवाना में स्कूल ज्यादा है मकराना के मुकाबले। क्या कारण थे, अभी नहीं कह सकता, इसकी जांच करा लूंगा।

श्री भीम सेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि डीडवाना का प्रतिनिधित्व पहले माननीय सदस्या कर रही थीं, इसलिए वहां हैं?

श्रीमती गौरी पूनिया : आप फर्क की बात कह रहे हैं। मैं डीडवाना और मकराना में फर्क कहीं समझती हूं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में ऐसी असानता मिटाने का विचार रखते है?

श्री जुझारसिंह : इस प्रकार की पूरी कोशिश की जायगी कि असमानता मिटा दी जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले जो हैं उन्हें हटा दिया जायगा?

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : नागौर जिले में ऐसे कितने स्कूल और मिडिल स्कूल हैं जो पंचायत समिति के द्वारा चलाये गये थे और बाद में नियमित कर दिये गये?

श्री जुझारसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न सं. 154

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गोपाल जोशी!

घटिया ऊन की खरीद

155. **श्री गोपाल जोशी (बीकानेर)** : क्या राजकीय उपक्रम विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर वूलन मिल्स में ज्यादा कीमत देकर घटिया किस्म की ऊन से धागे बनाने के कारण लाखों रुपयों की लागत का धागा कई वर्षों से स्टाक में पड़ा सड़ रहा है? अगर हां, तो उक्त स्टाक कितना एवं किस किस वर्ष का है?

(2) क्या यह भी सही है कि पुनः जनवरी से मार्च के दौरान घटिया किस्म की ऊन बाजार भाव से अधिक कीमत देकर खरीदी है?

(श्री गोपाल जोशी)

(3) क्या सरकार अचानक इस घटिया ऊन को कब्जे में लेकर जांच कराने को तैयार है?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री चन्दनमल वैद): (1) यह सही है कि राजकीय ऊनी मिल बीकानेर में कारपेट धागा काफी मात्रा में एकत्रित हो गया है। यह सही नहीं है कि यह धागा घटिया किस्म की ऊन द्वारा निर्मित होने के फलस्वरूप हुआ है एकत्रित धागे की विगत संलग्न तालिका में दी जा रही है।

(2) उपर्युक्त ऊन मिल की जरूरत को देख कर जनवरी से मार्च के बीच में खरीदी गई है ओपन टेन्डर के द्वारा जो कि राज्य सरकार के नियमों के अनुकूल है।

( ) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री गोपाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि यह सही बात है कि वहां पर घटिया किस्म की ऊन खरीदी गई और ज्यादा कीमत देकर खरीदी गई। क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि वहां ऐसी टैक्निक अपनाई जाती है कि खरीदने से पहले टेक्निशियन व्यापारी से यह बात कर लेते हैं कि आप ऊन में एक प्रकार का सेण्ट मिला कर रख देना ताकि जब जनरल मैनेजर के पास सारे सेम्पल जाते हैं तो उन पर नाम नहीं होते हैं, ए. बी. सी. डी. ई. एफ. होते हैं? जब उनसे पूछा जाय कि कौनसी ऊन खरीदनी है तो वह बता दें कि यह ऊन खरीदनी है, क्योंकि उसमें अमुक सेंट लगा हुआ होगा। क्या ऐसी घटना आई है ध्यान में? क्या इस पर जांच पड़ताल हुई है? क्या आप इसकी जांच कराने को तैयार हैं? अभी जो स्टाक पड़ा है उसको अचानक अपने कब्जे में लेकर जांच कराने को तैयार हैं कि वह घटिया किस्म की है या नहीं?

श्री चन्दनमल वैद: जो बात आप फर्मा रहे हैं, वैसी घटना मेरे ध्यान में नहीं आई है। आप पहली बार ध्यान में ला रहे हैं। मैं इस पर पूरा ध्यान दूंगा और माननीय सदस्य को संतोष दिलाऊंगा।

श्री गोपाल जोशी: यह जो स्टाक में दिखाया गया है 3 लाख 12 हजार 9 किलोग्राम, इसकी क्या कीमत होगी?

श्री हीरालाल देवपुरा: कीमत का पता नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद: यह पैंतीस, छत्तीस लाख का होगा।

श्री गोपाल जोशी: यह मेरे ख्याल में 60 लाख का होगा, 1968-69, 969-70, 1970-71 से हमारे बीकानेर स्टेट वूलन मिल में डेड स्टाक पड़ा है, इसमें कितना घाटा लगा होगा करीबन?

श्री चन्दनमल वैद: यह सारे आंकड़े देना सम्भव नहीं है, लेकिन घाटा लगा होगा।

श्री भीमसेन: इतना स्टाक क्यों रहता है?

श्री गोपाल जोशी: क्या यह धागा घटिया किस्म का था?

Page No 17

श्री चन्दनमल बैद : जो वहां कारपेट यार्न बन रहा है, इसकी बिक्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और कघई में होती है। वहां मांग कम होने से यह स्टाक रह गया। छः महीने से यह यार्न बनाना बन्द कर दिया। अब कारपेट डिजाइन, काला धागा ज्यादा से ज्यादा बनाते रहे हैं, वह बिक रहा है। पुराना माल स्टाक में पड़ा हुआ है उसको बेचने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भीमसेन : पुराना माल कहां है, साल भर का है।

श्री चन्दनमल बैद : छः महीने से, मैंने कहा, काम बन्द कर दिया है कारपेट यार्न का।

श्री भीमसेन : एडवान्स आर्डर लेकर माल तैयार क्यों नहीं कराते हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा घटिया किस्म का यार्न खरीदा गया और लाखों रुपयों का धागा पड़ा हुआ है, 60 लाख का धागा वहां पड़ा हुआ है। आज राजकीय उपक्रम विभाग के अन्तर्गत चलने वाले कारखानों के बारे में कई प्रकार की बात कही जाती है, तो क्या मंत्री जी इस बात के लिए तैयार हैं कि इस सदन की एक समिति इस सारे प्रश्न की जांच करे–सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रश्न पर सार्वजनिक ढंग से? साठ लाख की पूंजी पिछले पांच साल से बेकार पड़ी हुई है और इस प्रकार लाखों रुपयों का नुकसान होता रहा है, और जिस प्रकार के फैक्ट्स माननीय सदस्य, बीकानेर से आने वाले ने कहे कि इस प्रकार से सेण्ट लगा कर, इस प्रकार की बात करके, इस प्रकार खरीद की जाती है, तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न की जांच सदन की समिति के द्वारा कराई जाय?

श्री चन्दनमल बैद : मैं सूचना देना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा कि इसे डिफेन्ड किया जाय, जिस प्रकार की बात कही गई उस में फर्क है, यह नहीं है कि चार साल से माल पड़ा हो, 1968-69 का 1 लाख 1 हजार 876 किलोग्राम का पुराना उत्पादन है जिसमें से 74 हजार 784 किलो ग्राम माल बिका . . .

1969-70 में 263818 किलोग्राम उत्पादन हुआ जिसमें से 135404 किलो बिका।

1970-71 में 317428 कि. ग्रा. उत्पादन हुआ जिसमें 152080 कि. ग्रा. बिका।

1971-72 में 207329 कि. ग्रा. उत्पादन हुआ जिसमें से 179767 कि. ग्रा. बिका।

1971-72 के आंकड़े फाइनल नहीं हुए। तो यह कहना कि 4 साल से माल पड़ा हुआ है, सही नहीं है। लेकिन यह सही है कि जितना माल उत्पादन हुआ है उतना बिक नहीं रहा है। इसलिए 6 महीने पहले इस माल का उत्पादन बंद कर दिया और कार्पेट होजरी का उत्पादन हमने शुरू कर दिया। वह माल जितना 6 महीने में बनाया वह बिक गया और आर्डर आ गए हैं।

(श्री चन्दन मल वैद)
जितना माल बिक नहीं जाएगा वह नहीं बनाया जाएगा।

जहां तक विधान सभा के सदस्यों का प्रश्न है वे हमेशा ही आल पावरफुल हैं, कभी भी जांच कर सकते हैं, स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग्स की कमेटी बनी हुई है वह जांच करती रहती है, वह जांच करे या कोई भी सुझाव दे तो हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से पूरी जानकारी करके कहीं भी यदि कोई कमी पाई गई तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री भीमसेन : जब एडवान्स आर्डर बुक करते हैं तो फिर उत्पादन क्यों पड़ा रहता है ?

श्री चन्दनमल वैद : मेरे आश्वासन के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

नाथद्वारा में कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय

156. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नाथद्वारा कन्या माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक (हायर सेकेन्ड्री) के स्तर पर कब तक क्रमोन्नत करने की योजना है ?

(2) क्या यह सत्य है कि यहां कन्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल के अभाव में छात्राओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(3) गोवर्द्धन उच्चतर माध्यमिक शाला में कुल छात्रों को संख्या कितनी है और क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि इतने छात्रों की संख्या में छात्राओं को वहां अध्ययन करने में कठिनाई होती है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) इस वित्तीय वर्ष में माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला के स्तर पर क्रमोन्नत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(2) कुछ अंश तक यह सत्य है लेकिन जो छात्रायें उच्च माध्यमिक कक्षा में प्रवेश लेना चाहती है वे अध्ययन हेतु गोवर्द्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र) नाथद्वारा में प्रवेश ले सकती हैं।

(3) गोवर्द्धन उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा (छात्र) की कुल संख्या शिक्षा सत्र 1970–71 में 1002 थी जिसमें 991 छात्र तथा 11 छात्रायें थी। कक्षा 9 से 11 तक छात्रों की संख्या निम्न थी :—

	छात्र	छात्रायें
कक्षा नवीं	382	—
कक्षा दसवीं	3[illegible]6	—
कक्षा ग्यारवीं	166	11

बजट में प्रावधान होने पर, औचित्य को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण के आधार पर, अन्य प्रस्तावों के साथ, इस शाला की क्रमोन्नति के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

श्री मनोहर कोठारी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि पहले तो प्री–यूनिवर्सिटी क्लासिज चलती थी तो वहां लड़कियां आसानी से पढ़ सकती

(श्री मनोहर कोठारी)

थी। क्योंकि लड़कियों की संख्या कम होती है, जहां एक हजार छात्र पढ़ते हैं वहां 11 छात्राओं की व्यवस्था की जा सकती है, आप फीजीबुल मानते हैं ?

श्री जुझार सिंह : इसकी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन वित्तीय कमी के कारण ऐसा कर रखा है। धनाभाव के कारण अलग हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने में राज्य सरकार की मजबूरी है।

श्री मनोहर कोठारी : आप बता सकते हैं कि नाथद्वारा में शिक्षा के नाम पर जितनी बिल्डिंग्स मिली हुई हैं, वहां की पब्लिक की बनी हुई है; सरकार को एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता ? वर्तमान शाला को हायर सेकेन्डरी में क्यों नहीं रेज करते ? गत वर्ष कई स्कूल रेज किए हैं, कोई कारण नहीं इस वर्ष क्यों नहीं रेज करते ?

श्री जुझारसिंह : गत वर्ष का तो निवेदन नहीं कर सकता लेकिन इस साल एक भी स्कूल को अपग्रेड करने का प्रावधान नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : क्यों नहीं है ?

श्री जुझारसिंह : फाइनेन्शल डिफीकल्टी की वजह से।

श्री मनोहर कोठारी : फाइनेन्शल डिफीकल्टी हर विभाग की ओर से कहा जा रहा है। इसका मतलब राजस्थान में काम इस वर्ष ठप्प रहेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): फाइनेन्शल डिफीकल्टी के अलावा प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आर्थिक सीमायें तो हैं ही। आवश्यकता हर जगह रहती है। शिक्षा की आवश्यकतायें बहुत बड़ी हैं। एक बार में पूरी नहीं की जा सकती।

श्री मनोहर कोठारी : इसका यह अर्थ नहीं है कि कन्याओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए इस तरह की कोताही करें।

श्री नारायण सिंह मसूदा : कन्याएं पढ़ रही हैं, कोताही की बात नहीं है।

प्रश्न सं. 157

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भर दयाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री किशनसिंह !

आसींद क्षेत्र में फसल को क्षति

158. **श्री किशनसिंह भाटी** (आसिन्द): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में गत रबी की फसल को शीत लहर से क्षति होने से उत्पन्न गंभीर स्थिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हुई है।

(2) यदि रिपोर्ट आई तो राहत की दिशा में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि कार्यवाही नहीं कि तो क्या कारण है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां। जिलाधीश से अभी केवल प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) अन्तिम प्रतिवेदन आने पर यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जायगी।

श्री **यशवंतसिंह नाहर** (बनेड़ा) : उन गांवों में अकाल घोषित नहीं किया है, उसका आधार क्या है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : अभी तो प्रारम्भिक रिपोर्ट आई है।

श्री **यशवंतसिंह नाहर** : फसल खड़ी है उसमें नुकसान हुआ है ....

श्री **परसराम मदेरणा** : पहले प्रश्नकर्ता को सप्लीमेंन्टरी करने दीजिए। रबी के बारे में है।

श्री **यशवंतसिंह नाहर** : मेरा प्रश्न भी रबी के बारे में है।

श्री **परसराम मदेरणा** : आसींद तहसील का है यह मामला।

श्री **यशवंतसिंह नाहर** : आसींद तहसील के लिए प्रतिवेदन आया है। उसमें केवल सर्दी की वजह से नुकसान होने को लेकर ही है या और भी कोई आधार है ? अकाल के लिए क्या आधार होता है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : शीत लहर की वजह से रबी की फसल को 50 प्रतिशत से ज्यादा जो नुकसान हुआ है उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। गिरदावरी होने के बावजूद जब अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही होती है।

श्री **यशवंतसिंह नाहर** : आज खड़ी फसल है, उसमें नुकसान हुआ। तत्काल अकाल की घोषणा करेंगे या पहले किसी वर्ष के मुकाबले में इस साल खेती नहीं बोई गई यह भी आधार है अकाल का ?

श्री **परसराम मदेरणा** : रबी के अन्दर जो फसल खड़ी है, खड़ी हुई फसल के अंदर कितना नुकसान हुआ है, इस बात का एसेसमेंट किया जाता है, उसमें नुकसान 50 प्रतिशत से ऊपर है तो अभाव ग्रस्त घोषित किया जाएगा। अगर 50 प्रतिशत से कम है तो नहीं किया जाता है, यह क्राईटेरिया है।

श्री **रोशनलाल शर्मा** (सलूम्बर) : यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास कब तक आ जाएगी ?

श्री **परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार ने भीलवाडा जिलाधीश को आदेश दिए हैं कि अन्तिम रिपोर्ट 4 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास पहुंचनी चाहिए।

श्री **यशवंत सिंह नाहर** : जिस गांव में एक बीघा जमीन पर भी सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हुई उसमें अकाल घोषित करेंगे या नहीं ? खरीबे का वर्ष है।

श्री **किशनसिंह** : आसींद तहसील में खरीफ में अकाल और रबी में शीत लहर से बहुत नुकसान हुआ है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से राहत कार्य शुरू नहीं किए गए हैं। आप बतायें कब तक राहत कार्य शुरू किए जायेंगे ?

श्री **परसराम मदेरणा** : रबी से जो खराबा हुआ है, अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने

(श्री परसराम मदेरणा)

के बाद राज्य सरकार के सामने पूरी पिक्चर रहेगी कि कितने गांव हैं जो खरीफ से और रबी से अफेक्टेड हैं। जहां तक सवाल है राहत कार्यों को प्रारम्भ करने का, क्योंकि आसींद में कुछ गांव रबी से और कुछ खरीफ से और कुछ कामन हैं लेकिन जब तक अन्तिम प्रतिवेदन नहीं आता है, निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि कितने गांव खरीफ में अफेक्टेड हैं और कितने रबी में वापस रिपोट हुए हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी ही राहत कार्य प्रारम्भ किए जायेंगे।

श्री यशवंतसिंह नाहर : जिस गांव में एक इंच भी खेती नहीं हुई उसमें अकाल घोषित करेंगे या नहीं ?

I do not want any thing general.

श्री परसराम मदेरणा : जैसे बिल्कुल फ़सल नहीं हुई है, ऐसे गांव तो खरीफ में थे जिनमें नुकसान हुआ। राजस्थान में पश्चिमी जिले हैं। बाकी राजस्थान के किसी जिले में ऐसा गांव नहीं है जहां फसल बोई नहीं गई हो और बिल्कुल नहीं हुई हो। पश्चिमी-जिलों में 40—50 गांव हो सकते हैं। यह जो प्रश्न पूछा गया है वह रबी के बारे में है। उसमें वही गांव हैं जैसे कुछ परसेंटेज बताई है, खराबे के इतने। खराबा 30—40 प्रतिशत है। जिन गांवों में 50 प्रतिशत से ऊपर है, वे अकाल ग्रस्त घोषित किए जायेंगे। फ़सल होने के बाद कितना नुकसान हुआ है। अंतिम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : जिस गांव में एक इंच जमीन भी नहीं बोई गई उसको अकालग्रस्त घोषित करेंगे या नहीं ? हैपाथेटिकल सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बता चुके जो जवाब दे सकते थे।

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश ने ऐसा कोई गांव नहीं बताया जहां बिल्कुल रबी की फसल नही बोई गई हो। आप नई जानकारी दे रहे हैं आसींद के बारे में, आपको ज्यादा जानकारी है। मैं पता लगाऊंगा कि ऐसे कौनसे गांव हैं जिनमें कतई रबी की फसल नहीं बोई गई और कलेक्टर ने इन गांवों की सूची भेजी है अथवा नहीं।

श्री किशनसिंह : आसींद के साथ भीलवाड़ा का भी है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार

159. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम है ? यदि हां, तो क्या ?

योजना मंत्री (श्री चंदनमल वैद) : ऐसे भूमिहीन श्रमिकों के लिए जो ग्रामों में रहते हैं तथा कृषि कार्यों में रोजगारी पाते हैं अजमेर और भीलवाड़ा में चलती एम. एफ. ए. एल. (सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास) योजनाओं में कुछ

(श्री चन्दन मल वैद)
कार्य-क्रम हैं। भूमिहीन श्रमिकों को या तो उस ही क्षेत्र के सड़क, बांध, गोचर इत्यादि बनाने के कार्यों में लगाया जाता है अथवा गोपालन, मुर्गीपालन, भेड़ पालन या ग्रामोद्योग की नियोजित योजना में हिस्सा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई, क्रेश योजनाओं में भी भूमिहीन कृषिकों को रोजगार मिलता है।

श्री पी. के. चौधरी : पूरे राजस्थान के लिए कार्य-क्रम है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : क्रेश प्रोग्राम के अलावा कुछ नहीं।

श्री रोशनलाल शर्मा : अलग अलग जिलों में संख्या क्या है ?

श्री चन्दन मल वैद : अलग प्रश्न है यह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अनएम्प्लायमेंट के लिये भारत सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की है तो क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि कमेटी ने श्रमिकों के लिये क्या योजना बनाई है, क्या तरीके अपनाये हैं जिससे बेरोजगारी दूर हो सके ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से सवाल है।

श्री परसराम मदेरणा : नोटिस की जरूरत है।

एक माननीय सदस्य : जिन भूमिहीनों को 3-3, 4-4 बीघा जमीन मिली है क्या वह भूमिहीन कृषक माने जायेंगे या नहीं इसका स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे प्रोग्राम के अन्दर . . .

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कितनी परसन्टेज आफ पापूलेशन है जो खेती के ऊपर आधारित है ?

श्री चन्दनमल वैद : इसके लिये परसन्टेज बता दूंगा लेकिन माननीय सदस्य जरासा भी फरक हो जायगा तो आप फिर कहेंगे क्योंकि मुझे अभी ठीक तो पता नहीं है इसके लिये आप नोटिस दे दें तो मैं आपको एग्जेक्ट बता दूंगा।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आप कुछ तो बता दें।

श्री चन्दनमल वैद : उससे मेरा काम नहीं चलता है, माननीय सदस्य।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि हमारे जो मेन्डेट जिले हैं उसमें आश्वासन दिया था कि सूचना पर प्रोग्राम बनायेंगे। लैंडलेस कृषकों को काम देने के लिये क्या क्रेश प्रोग्राम एक जिले में एक हजार ही राज्य सरकार देती है और क्या इसको आप एडीक्वेट समझते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : एडीक्वेट तो नहीं मानते हैं लेकिन माननीय सदस्य इसको सोल्व करना इतना आसान नहीं है। हमने कोशिश की है और आगे भी कोशिश की जायगी कि इसको बढ़ाया जाय।

श्री पी. के. चौधरी : What is your plan ? आपने क्या प्रोग्राम बनाया है ?

Page No 23

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य मैं अर्ज कर चुका हूँ हमने अभी दो जिलों में प्रोग्राम शुरू किया है और इसको आगे भी शुरू करने की योजना है।

श्री पी. के. चौधरी : बाकी 24 जिलों में कब तक शुरू करेंगे ?

श्री चन्दन मल वैद : माननीय सदस्य यह प्रश्न वैसे मुझ से पूछ लिया गया है। यह डवलपमेंट डिपार्टमेंट से पूछा जाना चाहिये था (हंसी) माननीय सदस्य को मैं निराश नहीं करूं इसलिये जवाब दे रहा हूं। डवलपमेंट डिपार्टमेंट से पूछना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : सम्मिलित जिम्मेदारी है।

श्री चन्दनमल वैद : सम्मिलित जिम्मेदारी है इसलिये तो जवाब दे रहा हूँ। आप इसके लिये नोटिस दीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : जो लैंड लेस लेबर हैं उसके लिये एम्प्लायमेंट का प्रोग्राम बनाया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझा नहीं कृपया इसे दोहरा दें।

श्री पी. के. चौधरी : जो प्लानिंग मंत्री हैं उन्होंने लैंड लेस लेबरर्स के लिये क्या प्रोग्राम बनाया है ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य को मालूम है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान बन रहा है। इसमें मिनिमम नीड आफ टाइम बाऊन्ड प्रोग्राम क्या है, वह देखा जायगा। जो हिन्दुस्तान का प्लान बनेगा, हम भी उसके एक अंग होंगे। हम कोशिश करेंगे सारे देश की मिनिमम टाइम बाऊन्ड प्रोग्राम को कैसे किया जाय आज यह कह देना क्या प्रोग्राम बनेगा यह मुश्किल है। वह इतना बड़ा प्रोग्राम होगा कि इसको एक दिन में हल करना आसान नहीं है। कहना आसान है, करना उतना ही कठिन है।

एक मा. सदस्य : आखिर आपका कोई प्रोग्राम भी होगा...

श्री चन्दन मल वैद : बहुत समय लगेगा इसमें माननीय सदस्य।

श्री रोशन लाल शर्मा : आपने भूमिहीनों के लिये भारत सरकार का ध्यान खींचा है क्या कि राजस्थान के अन्दर समस्या है।

श्री चन्दनमल वैद : यह पूरे देश की समस्या है।

श्री रोशन लाल शर्मा : हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है या नहीं ?

श्री चन्दन मल वैद : प्लान बनाते वक्त पूरा ध्यान रखेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा रोजगार देने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पी. के. चौधरी : फिफ्थ फाइव ईयर प्लान शुरू नहीं हो तब तक क्या राज्य सरकार कोई योजना-बद्ध प्रोग्राम बनाने को तैयार है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं कह चुका हूं दो जिलों में हमने शुरू किया है। 26 जिलों का भी क्रेश प्रोग्राम चल रहा है। यह

(श्री चन्दन मल वैद)
कहना बहुत बड़ी प्राबलम है कि अभी क्या किया जा सकता है। हम यह मानते हैं जो कुछ कर रहे हैं, वह काफी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहर सिंह।

प्रश्न संख्या 160

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला।

नानाजी की हवेली में मार्केट का निर्माण

161. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नानाजो की हवेली, जौहरी बाजार की अवाप्ति मार्केट निर्माण हेतु की गई थी ? यदि हां, तो उक्त मार्केट का निर्माण किस तिथि को पूर्ण हुआ व उसमें निर्माण की गई दुकानों की संख्या क्या है ?

(2) निर्माण की गई दुकानों का कब-कब व किस-किस को आवंटन किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्केट में अभी तक कई दुकानें आवंटन हेतु शेष हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से उनका अभी तक आवंटन नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि शेष दुकानों का आवंटन न होने के कारण राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी हानि का अनुमान है ? इस हानि के लिये कौन दोषी है ?

आयोजना मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, उक्त मार्केट का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है व उसमें अभी तक करीब 21 दुकानें निर्माण हुई हैं, जिनमें नल, बिजली एवं शौचालय के कार्य बाकी हैं।

(2) दुकानों का पूर्णतया निर्माण नहीं होने के कारण अभी तक किसी को भी आवंटन नहीं किया गया है।

(3) दुकानों का पूर्णतया निर्माण नहीं होने के कारण अभी तक किसी को आवंटन नहीं किया गया है।

(4) दुकानों का पूर्णतया निर्माण नहीं हुआ है अतः आवंटन न होने से हानि का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहूंगा कि कौनसे सन् के अन्दर इसका निर्माण प्रारम्भ हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पहले भूमि की जो एक्वीजिशन की कार्यवाही की गई है उसमें नानाजी की हवेली का एक्वीजीशन सन् 61 में हुआ है और दूसरे गोपालजी का मन्दिर है उसका एक्वीजीशन अवार्ड सन् 65 में घोषित हुआ है। सन्

(श्री परसराम मदेरणा)

1961 में जो हुआ वह म्युनिसिपैलिटी के वक्त हुआ था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : म्युनिसिपैलिटी के वक्त हुआ था वह अलग था ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां। और उसके बाद में पूरी की पूरी स्कीम का म्युनिसिपैलिटी और यू. आई. टी. के बीच एग्रीमेन्ट हुआ था। 1961 मे ट्रान्सफर कर दिया यू. आई. टी. को और तब यू. आई. टी. के पास आया। गोपालजी के मन्दिर की अवाप्ति की घोषणा सन् 65 में हुई थी और उसके बाद 21 दुकानों का निर्माण हुआ। जो मानचित्र है उसके अनुसार 72 दुकानें और एक शो रूम बनाने की योजना है। लेकिन इस मार्केट के दोनों तरफ जो मुख्य मार्केट है जौहरी बाजार उसमें एक दुकान की अवाप्ति मे दुकान के मालिक से खाली कराने में समय लगा है और दूसरे जो अशोक होटल के मालिक हैं उन्होंने भी अवाप्ति के खिलाफ कोर्ट का इन्जेक्शन ले लिया है और उनको स्टे आर्डर भी मिल गया है। उसके खिलाफ यू. आई. टी. ने अपील कर रखी है। सैशन कोर्ट में अपील चल रही। जो मुख्य मार्केट की तरफ दुकान है उसका किरायेदार खाली नहीं करता है उसकी कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या उस दुकान मालिक का उसको मुआवजा दिया जा चुका है।

श्री परसराम मदेरणा : उसके लिये निगोशियेशन्स चल रहे हैं कि भुगतान कर दिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन दुकानों का निर्माण सन् 1961 में प्रारम्भ किया गया था वह 1972 तक पूर्ण नहीं हुई है। और लाखों रुपये उस मार्केट के नाम पर दे दिया गया है ? क्या माननीय मन्त्री महोदय इस मार्केट में व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य पूरा करवायेंगे और मैं जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं गोपालजी के मंदिर की कार्यवाही बन्द पड़ी है और इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो समझौता, निगोशियेशन 3 जनवरी, 1970 को हुआ है और 3 जनवरी, 1970 को मकान का मालिक है लल्लूराम, उसको धन राशि दे कर दी गयी है लेकिन घीसीलाल नाम का व्यक्ति किरायेदार है वह खाली नहीं कर रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : बिना लिखा पढ़ी के दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : लिखा पढ़ी की गई हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लिखा पढ़ी नहीं की गयी है। 44 हजार रुपया तो उसको दिया गया है और अब वह पगड़ी मांग रहा है इसलिये खाली नहीं हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा : दुकानों की कोस्ट दी गयी और एप्लीकेशन में लम्बा समय लग रहा है। 44 हजार की कीमत दे दी गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोई भी कार्यवाही हुई होगी जिससे खाली हो। बनी हुई दुकानें पड़ी है खाली।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रस्ट पगड़ी की बात करता नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 75 हजार 652.61 रुपये नगरपालिका ने अरबन इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट को दे दिये। उसकी मालिक यू.आई.टी. है या नगरपालिका ?

श्री परसराम मदेरणा : नगरपालिका ने तो पहले दिये थे। एग्रीमेण्ट हो गया। 75,652.61 रुपये परिषद् को नगर न्यास ने भुगतान कर दिये। जब एग्रीमेन्ट हुआ, ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दिया गया। पैसा देने का प्रश्न नहीं है अब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मालिक कौन है ?

श्री परसराम मदेरणा : ट्रस्ट है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : म्युनिसिपैलिटी का पैसा है। एग्रीमेन्ट यह हो गया कि यह प्रोपर्टी आपकी होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : मार्केट का मालिक अब ट्रस्ट हो गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ट्रस्ट हो गया क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मार्केट के नाम पर एक्वायर किया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : नगरपालिका के पास पैसा नहीं था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शहर के बीच में है।

श्री परसराम मदेरणा : नगरपालिका और ट्रस्ट के बीच एग्रीमेन्ट हुआ, लिखा गया। और नगरपालिका के हस्ताक्षर हुए। क्लाज में एक बात यह थी कि जिस किसी को नगरपालिका ने अवार्ड का तय किया है वह अब ट्रस्ट करेगा। वह ट्रस्ट ने कर दिया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चार लाख रुपये खर्च हो गये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

(घंटी)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा में आवास की समस्या

145. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक कारखानों के कारण कोटा नगर में बाहर से आकर अनेक मजदूर तथा अन्य व्यक्ति आकर बसे हैं ?

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

(2) यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों को नियमानुसार अभी तक कोई आवासीय भूमि प्राप्त नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या दुष्कर होती जा रही है ?

(4) क्या कोटा नगर विकास न्यास ने इनको बसाने हेतु कोई योजना बनाकर भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

(5) सरकार इस समस्या के समाधान हेतु क्या निर्णय ले रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगर विकास न्यास कोटा द्वारा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को जिनमें मजदूर वर्ग भी सम्मिलित है भूखण्डों के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गए थे और न्यास द्वारा दादावाडो योजना में 215 तथा तलवंडी योजना के 273 भूखण्डों का आवंटन किया गया।

(3) जी हां।

(4) नगर विकास न्यास श्रमिक बस्ती हेतु श्रम विभाग कोटा को 472 भूखण्डों के लिए भूमि आवंटित की है जिस पर श्रम विभाग भवन निर्माण करवायेगा। इसके अतिरिक्त इसी बस्ती के समीप राजस्थान आवासन मण्डल को 100 एकड भूमि भवन निर्माण हेतु आवंटित की गई है। नगर विकास न्यास ने झुग्गी झोंपड़ियों की प्रमुख बस्ती जिसको इन्द्रा गांधी नगर के नाम से पुकारा जाता है औद्योगिक क्षेत्र से निकालने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं।

(5) उद्योग विभाग को इन्द्रा नगर की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र से मुक्त करने के लिए लिखा गया है व नगर विकास न्यास को क्षेत्र का मानचित्र भेजने के लिए निवेदन किया गया है।

अतिवृष्टि से क्षति

154. **श्री नारायण सिंह** (दातारामगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम खोरा, बाय और काबरियावास में गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण चाही जमीन का काफी नुकसान हुआ है क्या राज्य सरकार ने उन काश्तकारों को जिनको चाही जमीन का नुकसान हुआ है किसी प्रकार की कोई राहत दी है ? यदि हां, तो किसको कितनी कितनी और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) सीकर जिला रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण यहां ग्रीष्म ऋतु में आगजनी के काफी केसेज होते रहते हैं। क्या राज्य सरकार ने ऐसे रेगिस्तान क्षेत्रों के अग्नि पीड़ितों की सहायतार्थ अन्य जिलों के मुकाबले विशेष सहायता का प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो उसका क्या अनुपात है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

Page No 28

मण्डावर की नल योजना

157. **श्री विश्वम्भरदयाल** (महुआ) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि मडावर कस्बे की जनता ने नल योजना के अन्तर्गत अपना अनुदान काफी समय पूर्व जमा करा दिया था ? यदि हां, तो इस योजना का सर्वे करा कर कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है ? सरकार अब कब तक इस योजना को पूरी कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, इस विभाग के मद में जमा नहीं कराया है। उनको इस विभाग के मद में जमा कराने के लिए प्रार्थना करदी गई है। इस बीच इस योजना के सर्वे आदि के बारे में आवश्यक आदेश दिये जा रहे हैं।

पाठशालाओं को क्रमोन्नत करने का आधार

160. श्री **मोहर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1971-72 में जिन प्राथमिक शालाओं, उच्च प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया गया, का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्रमोन्नति अत्यन्त पक्षपात पूर्ण और मनमाने ढंग से की गई है ? यदि नहीं, तो क्रमोन्नति का क्या आधार था ?

(3) सन् 1972–73 में शालाओं को क्रमोन्नत करने के लिये क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) क्रमोन्नति गुणावगुण के आधार पर हुई थी व ये ही क्रमोन्नति का आधार है।

(3) सन् 1972-73 में 2 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिये 5 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके, अलावा इसी वर्ष के बजट में 10 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के लिये विशेष प्रावधान किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

म्युनिसिपल कस्बों में कालेज

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राज्य में कितने म्युनिसिपल कस्बों में कालेज हैं व कितनों में नहीं हैं ?

(ख) जिन कस्बों में कालेज नहीं हैं क्या राज्य सरकार उन कस्बों में कालेज खोलने पर विचार कर रही है ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(ग) यदि हां तो किन किन कस्बों में और कब कब ?

उत्तर

(क) राज्य में 14 म्यूनिसिपल कस्बे हैं जिनमें 51 कस्बों में कालेज निम्न प्रकार से हैं:–

राजकीय कालेज :	48
अनुदान प्राप्त :	22
विश्वविद्यालय जयपुर :	4
विश्वविद्यालय, जोधपुर :	3
विश्वविद्यालय, उदयपुर :	1
विश्वविद्यालय पिलानी :	1
	79

व 95 म्यूनिसिपल कस्बों में अभी कालेज स्थापित नहीं हैं ।

(ख) सरकार की नीति अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करने की रही है, और जनता की मांगों के अनुसार व स्कूलों से निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए समय पर महाविद्यालय खोले गये हैं ।

(ग) इस वर्ष सरकार की महाविद्यालय खोलने की कोई स्कीम नहीं हैं ।

दुर्घटना में अध्यापक की मृत्यु

51. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि उच्चतर माध्यमिक शाला के एक अध्यापक श्री केसरमल गोदारा की मोटर दुर्घटना में मौके पर मृत्यु दिसम्बर, 1971 में हुई ? अगर हां, तो उक्त अध्यापक की पत्नी एवं उनके बच्चों के लिये क्या माहवारी पेंशन एवं अन्य आर्थिक सहायता दी गई ?

उत्तर

श्री केसरमल गोदारा स. अ. राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय कालू की मृत्यु दिनांक 27-1-1972 को हुई न कि माह-दिसम्बर में । मृतक के पेन्शन केस के मामले में शिक्षा निदेशक को तुरन्त कार्यवाही हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

पश्चिमी सीमा क्षेत्र के विद्यार्थियों को विशेष सुविधा

52. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार को विदित है कि गंगानगर व भारत-पाक सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में युद्ध के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा पड़ी है और इस कारण से अधिकतर विद्यार्थियों का सफल न होने का संदेह है ?

(2) क्या सरकार ऐसी स्थिति में गंगानगर व सीमा के आस-पास के दूसरे क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं में सफल बनाने हेतु कोई सुविधाएं देने को तैयार है ? यदि हां, तो वह सुविधा क्या होगी ?

उत्तर

(1) गंगानगर व अन्य स्थान जो भारत पाक सीमा के निकट हैं, में युद्ध के कारण

Page No 30

(शिक्षा मंत्री)
विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा पड़ी थी और युद्ध समाप्त होने पर धीरे धीरे विद्यार्थी लौट आये थे।

(2) विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुविधा देने हेतु निर्धारित छूट से 10 प्रतिशत उपस्थिति में और छूट दे दी थी। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अपनी परीक्षायें 15 दिन पश्चात ली। विद्यालय निरीक्षक श्री गंगानगर ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिये हैं कि 9 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पढ़ाये गये पाठ्यक्रम में से ही बनाये जायें।

नायक जाति के हरिजनों को आवास व्यवस्था

53. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगरपालिका क्षेत्र गजसिंहपुर जिला गंगानगर में रह रहे नायक जाति के हरिजनों की आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में पालिका द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हरिजन परिवार बिना मकान के इस क्षेत्र में गत 10–15 वर्षों से रह रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार के पास बसाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) गजसिंहपुर नगरपालिका द्वारा हरिजनों की आवास व्यवस्था के क्रम में अन्य ब्लाकों के साथ साथ हरिजन बस्ती 'ए' और 'बी' निर्धारित की गई है जिनमें रियायती दरों पर प्लाट्स उन लोगों को विक्रय हुए हैं। 40 प्लाट्स नायक जाति के लोगों द्वारा भी खरीद किए गए हैं।

(2) कुछ नायक परिवार गत वर्षों से इस क्षेत्र में बिना मकान के रह रहे हैं, उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें रियायती दर पर प्लाट्स आवंटित किए गये थे परन्तु उन्होंने अपने प्लाट्स अन्य व्यक्तियों को बेच दिये एवं उनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने प्लाट्स पर निर्माण नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त शेष व्यक्तियों द्वारा भूखन्ड हेतु कभी भी कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है जिससे कि इन्हें भूखण्ड आवंटित किये जाते। यदि उक्त व्यक्ति भूखण्ड चाहते हैं तो बी हरिजन बस्ती में जो 32 प्लाट्स रिक्त पड़े हुए हैं उनमें से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार आवंटित किया जा सकता है।

पाली नगरपालिका द्वारा नये पाइप व टोंटियां तथा सड़क निर्माण कार्य

51. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) पाली नगरपालिका द्वारा 1 मार्च सन् 1972 से 11 मार्च, 1972 तक किन किन वार्डों और मोहल्लों में नये पाईप स्टेण्ड, नल, टोंटियों और सड़क निर्माण आदि का कार्य किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इतने अल्प समय में चुनाव के दरम्यान यह कार्य कराने के क्या कारण है ?

(श्री शंकर लाल)

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई कि यह कार्य निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में जनमत बनाने के लिए कराये गये ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) दिनांक 1 मार्च, 1972 से 11 मार्च, 1972 तक पांच वार्डों में 6 स्थानों पर पब्लिक स्टेन्ड पोस्ट का कार्य किया गया किन्तु कहीं भी कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ। उक्त कार्य अभी तक चालू बताया गया है। सूची संलग्न प्रेषित है।

सड़क निर्माण का कोई नया कार्य नगरपालिका की ओर से प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(2) जो भी कार्य कराये गये वे पहिले से स्वीकृत थे एवं नगरपालिका की ओर से साधारण तथा नोरमल कोर्स में कराये गये और इनका चुनाव से कोई संबंध नहीं है।

(3) विभाग में एक शिकायत चुनाव होने के बाद प्राप्त हुई थी, जो जिलाधीश, पाली को जांच एवं रिपोर्ट भेजने हेतु भेजी गई है।

जिलाधीश से रिपोर्ट अपेक्षित है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

जनगणना तथा नगरपालिकाओं की क्रमोन्नति

55. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में हुई जनगणना के अनुसार कितने नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बढ़कर 50,000 से अधिक हो गई है ?

(2) क्या ऐसे नगरों की नगरपालिकाओं को नगर परिषदों में क्रमोन्नत किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक और अब तक ऐसा न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार ऐसे 3 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक हो गई है।

(2) जन संख्या संबन्धी फाईनल रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

कम्यूनिटी एवं प्राइवेट फोरेस्ट देने की घोषणा

56. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पंचायतों, पंचायत समितियों एवं व्यक्तिगत लोगों को कम्यूनिटी एवं प्राइवेट फोरेस्ट देने की घोषणा की थी ताकि जंगलों का विकास हो सके ?

(2) अब तक कितनी पंचायत एवं व्यक्तियों को ऐसी भूमि आवंटित की गई ?

उत्तर

1. जी हां।

2. किसी को नहीं इस सम्बन्ध में नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मारवाड मूण्डवा को पेयजल योजना

57. **श्री जेठमल बरबड (परबतसर) :** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिलान्तर्गत मारवाड़ मूण्डवा की 10 हजार वाली आबादी की पेयजल समस्या के समाधान हेतु एक योजना का निर्माण किया था और उसका उद्‌घाटन भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के हाथों हुआ था और यह आश्वासन दिया था कि 3 माह के अन्दर अन्दर ही पेयजल उपलब्ध करा दिया जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि मारवाड़ मूण्डवा पेयजल योजना से आज तक पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है जब कि उसके लिये टंकी का निर्माण हुए भी महीनों बीत गये ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजनान्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया है जब कि ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया है ?

(4) क्या यह सही है कि पेयजल के लिये बिछाई गई पाइप लाइनों में गांव की कुछ मुख्य सड़कों यानि मोहल्लों को पाइप लाइन से वंचित रखा गया है जिससे पचासों उपभोक्ताओं को पानी नहीं मिल सकेगा ?

(5) क्या यह सही है कि इस योजनान्तर्गत सरकार मारवाड़ मूण्डवा वासियों को पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) मारवाड़ मूण्डवा जिला नागौर की जनसंख्या 8650 है। यह योजना 3-13 लाख लागत की दि. 11-2-70 को स्वीकृत की गई थी एवं इस योजना का शिलान्यास दि. 6-3-73 को भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा किया गया था एवं उस समय ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(2) मारवाड़ मूण्डवा जलदाय योजना के अन्तर्गत बनने वाली टंकी का निर्माण कार्य दि. 30-5-71 को पूर्ण हुआ था लेकिन उस समय विद्युत् सम्बन्ध न होने की वजह से योजना का टेस्टिंग कार्य चालू नहीं किया जा सका था एवं विद्युत् सम्बन्ध दि. 27-10-71 को हुआ था। योजना का टेस्टिंग कार्य गत माह से चल रहा है व जल वितरण दिनांक 15-4-72 से चालू हो गया है।

(3) भुगतान सभी ठेकेदारों का उनके द्वारा किये गये कार्य का ही हुआ व किसी को भी ज्यादा नहीं हुआ है।

(4) यह सही है कुछ मुख्य मोहल्लों में लाइनें नहीं बिछाई गई है क्योंकि अकाल सहायतार्थ योजनाओं में विस्तृत जल वितरण नल शाखाएं नहीं ली गई थीं।

(5) इस योजना के अन्तर्गत मारवाड़ मूण्डवा में 15-4-72 से पेयजल चालू कर दिया गया है।

रेगिस्तानी क्षेत्र में भू-संरक्षण

58. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या रेगिस्तानी क्षेत्र में भू-संरक्षण के लिये कोई योजना तैयार की गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किस किस जिले में कितनी कितनी राशि खर्च की जावेगी ?

(ग) रेगिस्तानी क्षेत्र में पशुओं के लिये बारहों महीने पेयजल उपलब्ध कराने की क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस किस जिले में इस योजना पर कितनी राशि खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, रेगिस्तान के जैसलमेर क्षेत्र के लिए एक योजना तैयार की गयी है, जो राजस्व विभाग में विचाराधीन है। कुल योजना रु. 12 60,000/- धनराशि की बनाई गई है।

(2) योजना अभी तक सरकार के विचाराधीन है, अतः राशि आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

(3) विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना अलग से नहीं बनाई गई हैं।

चूरू नगर जलदाय योजना में खारा पानी

59. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि चूरू नगर की जलदाय योजना के अन्तर्गत बने हुए ट्यूबवेलों का पानी इतना खारा हो गया है कि पीने के योग्य नहीं रह गया है ? यदि हां, तो इस जलदाय योजना के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि चूरू की जलदाय योजना से लोगों को गर्मी की ऋतु में निर्धारित समय तक पानी नहीं दिया जा सकता है और पानी का बहुत अभाव रहता है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के सम्बन्ध में कब तक क्या व्यवस्था की जावेगी ?

(3) उपरोक्त योजना को पूरा करने में कितना व्यय होगा ? क्या इसके लिए आवश्यक धन की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चूरू नगर की जलदाय योजना के अन्तर्गत स्थित नलकूपों के पानी को समय समय पर रसायनज्ञ, जोधपुर से परीक्षण करवाया जाता रहा है तथा परीक्षण आधार पर सभी कुओं का पानी खारा सीधे नहीं पाया गया। अतः पानी पीने के योग्य है। फिर भी और अधिक मात्रा में व मीठा जल को उपलब्ध करने के लिए पुनरुत्थान योजना राज्य सरकार द्वारा 5.00 लाख रु. की स्वीकृति की गई है जिसके अन्तर्गत शहर के पांच खुले कुए प्राप्त करने की योजना पर कार्य प्रारम्भ है।

(2) चूरू नगर की जलदाय योजना काफी पुरानी है जिससे कुओं को निरन्तर

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

काम में लेने से यह स्वाभाविक है कि कुओं में पानी की कमी हो गई तथा वैसे भी अन्य दिनों के साथ साथ गर्मी में पीने के पानी की खपत अत्यधिक रहती है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए चूरू शहर के खुले कुओं को प्राप्त कर उनसे पानी देने की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्य प्रगति पर चल रहा है।

(3) उपरोक्त योजना को पूरा करने में करीब 5 लाख रुपयों का व्यय होने का अनुमान है। तथा राज्य सरकार की आवश्यक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। यह स्वीकृत राशि 5.00 लाख है। इस योजना हेतु सन् 72–73 तक 1.34 लाख रु. राज्य सरकार व 2.66 लाख रुपये जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर खर्च किये जाने का प्रावधान

शोक प्रकट।

भू. पू. सदस्य श्री गामा फता जी के देहावसान पर शोक प्रकट

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गामा फताजी का देहान्त गया है।

श्री गामा आबू सुरक्षित सीट से कांग्रेस दल के टिकट पर चतुर्थ विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

वे 1952 से 1956 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। 1959 में वे आबू रोड पंचायत समिति के प्रधान रहे। उनके निधन से आबू रोड क्षेत्र ने एक अच्छा कार्यकर्ता खो दिया है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े रह कर प्रार्थना की)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले सोमवार को कहा था कि क्वेश्चन नम्बर 113 का आज सोमवार को जवाब दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : कहा था। कार्य सूची में आया नहीं है।

श्री उम्मेदीलाल (हिंडौन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नों का समय नहीं रहा है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री मोहनलाल ढंगानी और श्रीमती मदनकौर, सदस्य विधान सभा ने पश्चिमी रेतीले क्षेत्र में अधिकांश गांवों में पिछली खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न भयंकर अभाव की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न को माननीय सदस्य बजट पर हो रही बहस में उठा सकते हैं और मैं चाहूँगा कि माननीय अकाल राहत मंत्री

(श्री अध्यक्ष)

बहस के उत्तर के समय इस पर प्रकाश डालेंगे। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(2) श्री भीमसेन, श्री गोपाल जोशी और श्री मोहरसिंह, सदस्य विधान सभा ने अभावग्रस्त क्षेत्रों के पशुपालकों की हजारों गायें बीकानेर शहर में आने और उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय को भी बजट पर चल रही बहस के दौरान उठाया जा सकता है और मैं यह भी चाहूँगा कि राज्य सरकार की ओर से इस पर प्रकाश डाला जाये। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(3) श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सदस्य विधान सभा ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों से उत्पन्न स्थिति पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश के कई विधायकों ने सम्मिलित रूप से सभा करके बृज प्रदेश को अलग बनाने की मांग करते हुए राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले को भी उसमें सम्मिलित करने का उल्लेख किया है। इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

इनके अतिरिक्त इससे पूर्व कुछ अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी जिनकी स्थिति इस प्रकार है।

(1) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा द्वारा अलवर नगर परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिनांक 22- -72 को होने वाली बैठक में अतिरिक्त जिलाधीश के अनुपस्थित होने के कारण बैठक को स्थगित करने से सम्बन्धित। मैं इस विषय को अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानता, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(2) श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री मालाराम, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 28-12-71 को नीम का थाना के पेट्रोल पम्प के पास श्री रामकुमार गूजर को हत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी थी। इस विषय पर मैं चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री शीघ्र एक वक्तव्य दें।

(3) श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा द्वारा गंगानगर शुगर मिल के मैनेजर द्वारा मिल के सामने से गरीबों के झोंपड़े उठाने के सम्बन्ध में। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है और इसे यदि माननीय सदस्य चाहें तो बजट की आम बहस के समय उठा सकते हैं। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा द्वारा रात्रि के 2.00 बजे जयपुर में रामबाग पैलेस के सामने गुण्डों द्वारा मजदूरों के कैम्प में आग लगाने के सम्बन्ध में। मैं इस प्रश्न को भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानता और इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। बजट पर वाद-विवाद के समय इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री गुरुदयाल सिंह सन्धू, सदस्य विधान सभा द्वारा गंगानगर जिले के 3 नहर परियोजनाओं में अस्थायी काश्त की भूमि में आराजी काश्त का दर दुगुनी वसूल करने के सम्बन्ध में। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया और श्रीमती कान्ता खतूरिया, सदस्य विधान सभा द्वारा देशनोक नगर पालिका के हरिजन कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इस प्रश्न को माननीय सदस्य बजट की आम बहस के समय उठा सकते हैं, अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(7) श्री मीठालाल और श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा द्वारा दौसा कस्बे में पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति के विषय में। इस सम्बन्ध में और इसी सत्र में एक प्रश्न पूछा जा चुका है और उसका उत्तर भी सरकार की ओर से दिया जा चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं।

( ) सर्व श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, केसरीमल, सुरेन्द्र प्रसाद और पी. के. चौधरी द्वारा राजस्थान नहर के छतरगढ़ वृत्त से सम्बन्धित 33 वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में। मैं इस प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं समझता, फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहें तो बजट पर हो रही आम बहस के समय इस प्रश्न को उठा सकते हैं अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा और गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा द्वारा रतनगढ़ में जनता को सरकारी कर्मचारियों विशेषकर पटवारी और थानेदार को प्रतिदिन मारपीट करने के कारण से उत्पन्न स्थिति की चर्चा की है मैं इस प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानता, अतः इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं यदि माननीय सदस्य चाहें तो बजट पर आम बहस के दौरान इसकी चर्चा उठा सकते हैं

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव जो मैंने अलवर की नगरपालिका के सम्बन्ध में रखा था··

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर निर्णय दे दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : निर्णय के अनुसार आपने कहा है कि जिस समय रिजेक्ट हो जाये उस समय माननीय सदस्य को विचार रखने का अधिकार है ····

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई नियम नहीं है एक-दो मिनट में कहना चाहें तो कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक दो मिनट का ही उपयोग करूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं वही देख रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, 22 अप्रेल को अलवर की नगर परिषद्

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना था लेकिन वहां के अतिरिक्त जिलाधीश हैं वे वहां के राजनैतिक प्रभाव में आकर अविश्वास का प्रस्ताव क्यों कि पास नहीं हो सकेगा इसलिए वह मीटिंग में नहीं जाना चाहते थे और उस प्रकार के समाचार वहां का एक साप्ताहिक-पत्र निकलता है अलवर क उसमें भी वे समाचार प्रकाशित हुए। अगर परिषद् के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों ने जिलाधीश को कहा कि जो समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं वे सही हैं या गलत हैं तो ए. डी. एम. ने कहा कि मैं 2 अप्रेल को जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला है उस दिन की बैठक में भाग लेने के लिए आऊंगा और इसमें किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन 22 अप्रेल को जिस समय विचार होने को था उस समय भी दिन के 10 बजे टेलीग्राम दिया और उनसे मिलने के लिए भी गए तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से शंका करने की आवश्यकता नही है मैं निश्चित रूप म बैठक बुलाने वाला हूं। इसके बाद 11 बज गए और जब नगर परिषद् के अध्यक्ष और कार्यकर्त्ता वहां ए. डी एम के घर गये···

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म रूप से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वही निवेदन कर रहा हूं। वहां पर ए. डी. एम. को कुछ लोग घेरे बैठे थे। उन्होंने ए. डी. एम. के घर जाकर कहा कि मीटिंग के लिए चलो तो उन्होंने कहा कि मेरा तो घेराव किए बैठे हैं नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजनैतिक प्रभाव में आकर अविश्वास के प्रस्ताव पर जो बैठक होने वाली थी वह स्थगित की और वहा नहीं गये और वहां पर मारपीट हुई और लोगों के कपड़े फटे। यह कुर्ता बहुत दिनों से मैं यहां पर ला रहा था, पता नहीं यहां पर विचार करें या नहीं, वहां के प्रेसीडेन्ट का कुर्ता फाड़ दिया गया और वहां बंगले के बाहर इस प्रकार से अपमानित किया गया और राजनैतिक दल जिसका वर्चस्व बना हुआ है उनके प्रभाव में आकर अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। उन्होंने उनको तार दिया, समाचार-पत्रों में समाचार छपे हैं और मैं समझता हूं कि यदि सत्य की जानकारी चाहे और यह सदन भी किसी दल विशेष के प्रभाव में नहीं आना चाहता है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अलवर से जितनी जानकारी प्राप्त हुई है वह चाहे पुलिस का रेकार्ड हो, चाहे सी. आई. डी. का रेकार्ड हो वह सदन में आ जाये तो सत्यता सदन के सामने आ जायेगी कि निश्चित रूप से जानबूझकर वहां के अतिरिक्त जिलाधीश ने राजनैतिक प्रभाव में आकर अविश्वास के प्रस्ताव पर मीटिंग नहीं बुलाई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर प्रजातंत्र को जीवित रखना है, चुने हुए अध्यक्ष का अपमान न हो, चुने हुए म्युनिसिपेलिटी के मेम्बरों का अपमान न हो और लोकतन्त्र की मर्यादा को कायम रखना है तो निश्चित रूप से उस ए. डी. एम. को सजा मिलनी चाहिए, उसको सस्पेण्ड किया जाना चाहिए वर्ना वहां एक दल जो विजित होकर आयेगा वह विरोधी दल को कुचल देगा। इसलिए अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार होना आवश्यक था, मेरी प्रार्थना है···

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : दो मिनिट के समय का उपयोग कर लिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप बैठ जाइये। आप हमेशा इस तरह से बीच बीच में खड़े हो जाते हैं।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि लोकतंत्र को बचाना है और लोकतन्त्र में विश्वास रखना है...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भाषण देने का समय नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप बैठ जाइये। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो भी अलवर से सही रिपोर्ट हो वह सदन के सामने रखी जानी चाहिए, इस प्रकार की मेरी आपसे प्रार्थना है यदि लोकतन्त्र को जीवित रखना है तो।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है कि गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे श्री रामकुमार जो नीम के थाने में जिसकी हत्या हुई उसके सम्बन्ध में तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई स्पेसिफिक तिथि बता दें कि कब यह वक्तव्य दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : उनसे बात करके फिक्स कर देंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अट्ठाईस दिसम्बर को हत्या हो गयी और अगर इस संबंध में शीघ्र कदम नहीं उठाया गया तो ऐसी वारदातें बढ़ती जायेंगी...

श्री अध्यक्ष : जल्दी करेंगे।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कहा गया है कि राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि इसमें लम्बी चौड़ी जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। 25 अप्रेल को समाचार प्रकाशित हुआ कि उत्तर प्रदेश के कई विधायकों ने सम्मिलित रूप से सभा करके बृज प्रदेश को अलग बनाने की मांग करते हुए राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले को भी उसमें सम्मिलित करने लिए के कहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश के ही कुछ भाग को अलग करके कोई प्रान्त बनाने की बात है इसके लिए तो वे मांग कर सकते हैं लेकिन उस मांग के अन्दर राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले को सम्मिलित करने की बात की गयी है। इस प्रकार की मांग से राजस्थान के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। अध्यक्ष महोदय यह सर्वविदित है कि...

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म रूप से।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उत्तर प्रदेश के राजनैतिक लोग अलवर और भरतपुर को अपने में मिलाना चाहते हैं। उधर हरियाणा वाले भी इसी प्रकार की मांग कर रहे हैं। पंजाब वाले झुंझुनू और गंगानगर के ऊपर आंख लगाये हुये हैं और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के ऊपर गुजरात के लोगों की आंख लगी हुई है। आज अध्यक्ष महोदय, हमें इस बारे में जागरूक होना चाहिए। सीमावर्ती प्रान्तों के अन्दर इस प्रकार की बातों को चलाना और इस मांग का उठाया जाना और सीमावर्ती जिलों के

Page No 39

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

अन्दर रहने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता और उनके मानस को किस प्रकार से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यह एक गम्भीर समस्या है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में राज्य सरकार द्वारा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है । या तो सायंकाल तक या कल राज्य सरकार द्वारा स्टेटमेन्ट दिलाया जाय और इसके ऊपर विचार किया जाये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थानीय अखबारों के ऊपर हम निर्णय नहीं ले सकते ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सरकार जानकारी ले सकती है कि समाचार-पत्रों में समाचार छपे हैं उसका आधार होता है । राज्य सरकार कह सकती है कि इस प्रकार की कोई मांग नहीं उठाई गयी तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं । अखबार का तो सूचना का आधार है वर्ना जो समाचार छपे हैं वही इसका आधार नहीं है । उस मीटिंग का होना और ऐसी मांग का पैदा होना और अलवर और भरतपुर जिलों को सम्मिलित करने की बात कहना ये सब स्थगन-प्रस्ताव की बात का आधार है।

श्री गिर्राजप्रसाद (बयाना) : भरतपुर की रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

जूनियर लेखाकार के नवीन संवर्ग के नियमों में असंगति सम्बन्धी

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, स्टेट लेवल पर अकाउन्ट्स क्लर्क के क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन सन् 56 में किये गये और उन परीक्षाओं में जिन कर्मचारियों ने 15 साल तक और जिन कर्मचारियों ने दो साल तक सेवायें अर्पित की राज्य सरकार को, वे कर्मचारी उन परीक्षाओं में बैठे हैं और जो कर्मचारी 15 साल की सेवा कर रहे थे या दो साल की सेवा कर रहे थे परीक्षाओं में पास होने के बाद उन कर्मचारियों का पोस्टिंग सामान्यत: इक्विटी के आधार पर सीनियोरिटी के आधार पर किया जाना चाहिए था । किन्तु विभिन्न विभागों में उनकी नियुक्तियां सीनियोरिटी की अवहेलना को जाकर स्वेच्छा के आधार पर की गयीं और जब स्वेच्छा के आधार पर की गयीं तो जो लोग सीनियर थे, 15 साल या 8 साल से, 2 साल की सेवाओं की अपेक्षाकृत उन लोगों को अवसर नहीं दिया जाकर बहुतांश से जो लोग दो साल की सेवायें अर्पित कर चुके थे उनको पदों पर रख दिया गया । यह अनियमितता और असमानता का प्रश्न है। उसके बाद 16-11-70 को मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की कि जो एल डी. सी. 3 साल का एक्सपीरियेन्स रखते हैं उन्हों को अकाउन्टेन्ट की कैडर में लिया जायेगा और जिन कर्मचारियों को 3 साल का अनुभव नहीं है किन्तु तारीख 16-11-70 को अकाउन्ट्स क्लर्क का काम करते रहे हैं उनको जूनियर अकाउन्टेन्ट को परीक्षा में दुबारा बैठना होगा । प्रश्न यहां अनियमितता और असमानता का है । प्रश्न यहां सीनियोरिटी और सीनियोरिटी की अपेक्षाकृत जिनकी सीनियोरिटी नहीं है उनके बीच का प्रश्न है । इस दुविधा से जो कर्मचारी 16-11-70 को अकाउन्ट्स क्लर्क का काम कर रहे

Page No 40

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हैं और अकाउन्ट्स क्लर्क की परीक्षा पास हैं और जिनकी लेन्थ आफ सर्विस 15 साल की है उनको जूनियर अकाउन्टेन्ट के पद पर समावेश किये जाने का इसमें प्रश्न सन्निहित है, अतः मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि इस प्रश्न में असमानता और स्वेच्छा का प्रश्न सन्निहित है अतः स्पष्टीकरण करें और मैं साथ ही आग्रह करना चाहता हूं कि सीनियोरिटी के प्रश्न को देखते हुए स्वेच्छा के प्रश्न पर एक वक्तव्य दें और इस सम्बन्धी भ्रान्तियों का निराकरण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सबके बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान में चार हजार लेखा लिपिक और 800 लेखाकार हैं 16-11-70 को भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री सुखाड़ियाजी ने इनके प्रोमोशन आदि के लिये नियम बनाने की घोषणा की थी। अभी कुछ दिन पूर्व वित्त मन्त्री जी और वित्त आयुक्त से यह लोग मिले तो उन्होंने कहा नियम अभी बने नहीं हैं और इनको बनाने में अभी भी तीन महीने का समय लगेगा। मैं समझता हूं ऐसे महत्वपूर्ण कामों में इतनी अपराधपूर्ण उपेक्षा और देरी होने से तज्जनित असन्तोष होना स्वाभाविक था।

राज्य स्तर पर सन् 65 में लेखा लिपिकों के लिये एक योग्यता निर्धारण के लिये परीक्षा का आयोजन किया गया उसमें जिसका दस साल का सेवा काल हो गया वह भी और जिसके रिटायरमेंट में एक साल बाकी रह गया वह भी और जिसे केवल दो एक साल ही सर्विस में आये हुए वह भी बैठा। असन्तोष तब और फैला कि परीक्षा पास होने बाद भी दो वर्ष की सर्विस वाले को पच्चीस साल की सर्विस वाले पर और जिसका रिटायरमेंन्ट में एक साल रहा उस पर भी तरजीह दी गई राजनैतिक आधारों पर। सर्विस में राजनीति का प्रवेश घातक है और भयंकर असन्तोष को पैदा करने वाला हो सकता है। जिन एल. डी. सी. और यू. डी. सी. को काम करते करते पच्चीस वर्ष हो गये उन पर दो साल की सर्विस वाले को तरजीह देना अन्याय था राजनैतिक पक्षपात था।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने उस समय 16-11-70 को घोषणा की थी कि जिसको तीन वर्ष अकाउन्ट्स क्लर्क बने हो गये हैं उनको जूनियर अकाउन्टेन्ट बना दिया जावेगा। यहां भी राजनैतिक आधार पर दो साल काम करने वाले लोगों को तरजीह दे दी गई और बाद में यह और ऊपर से कह दिया गया कि जो सिलेक्शन में नहीं आ पावेंगे उनको फिर से परीक्षा में बैठना होगा। ऊपर से यह तोहमत और लाद दी गई। यह तो वैसा ही हुआ कि जिसने एल. एल. बी. पास किया वह अगर मिनिस्टर बन गया और मिनिस्टर बनने के बाद फिर वकालत करनी चाही तो उसे कह दिया गया कि वह एल. एल. बी. परीक्षा फिर से पास करें। इस प्रकार की सजा सरकार ने उनको और दी।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राज्य सरकार अगर यह कहे कि इतनों को कहां लगाया जावे तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहां 232 पंचायत समितियां हैं जिनमें अकाउन्ट्स क्लर्क की कोई जरूरत है और उनके काफी स्थान वहां खाली हैं। इनकी जगह पर एल.डी. सी., यू. डी. सी. लगा रक्खे हैं। सरकारी उद्योगों और प्रोजेक्टों में काफी मांग है। जगहें भी खाली हैं। इनके बिना वहां का हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है। ईरिगेशन का विभाग है, फोरेस्ट का विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, इन सब जगहों पर इनकी जरूरत है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सर्विस को लेन्थ और सीनियोरिटी के आधार पर इन को लिया जाना चाहिये और जिसने परीक्षा पास कर ली है ऐसों को सब को सीनयोरिटो के आधार पर तरक्की देनी चाहिये। यह नहीं कि पच्चीस पच्चीस वर्ष वाला बैठा रह जाय, जिसको रिटायर होने में केवल एक वर्ष कम है वह भी रह जाय और दो साल वाला जगह ले जाये। जिसने एक परीक्षा पास कर ली हो उसको फिर से दुबारा परीक्षा पास करने के लिये कहा जाना यह भी उचित नहीं है। इससे असन्तोष फैलना स्वाभाविक है। आज उनमें भयंकर असन्तोष व्याप्त है और उनको भूख हड़ताल करते हुए 17 दिन हो गये हैं। आन्दोलन कर रहे है वे। आप इस तरह से राज्य कर्मचारियों में फूट और असमानता पैदा करना चाह रहे हैं। उनकी शिकायतों को दूर करने की चेष्टा राज्य सरकार को तुरन्त करनी चाहिये उनकी शिकायतें सही हैं, वाजिब हैं। यही मेरा कथन है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : मैं इसके बीच में बता दूं कि जो घोर असन्तोष की बात कह रहे हैं…

श्री अध्यक्ष : वह तो मन्त्रीजी कह देंगे। वे जवाब दे लेंगे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, 16-11-70 को घोषणा की गई। चीफ मिनिस्टर घोषणा करे उसका पालन होना चाहिये यह सोलम आस्पेक्ट है। फोलो-अप एक्शन लिया जाना चाहिये। राजस्थान के फाइनेन्स के डिप्टी सेक्रेटरी ने चीफ अकाउन्ट्स आफीसर को लेटर लिखा और उन्होंने राजस्थान गजट में उसे नोटिफाई कर दिया। इसके मुतल्लिक एक डिप्टी चीफ अकाउन्ट्स आफीसर नियुक्त किया गया। उसने सबसे एप्लीकेशनें इन्वाइट कर लीं ताकि अकाउन्ट्स क्लर्क्स और अकाउन्टेन्ट की कैडर तबदील हो जावें। अब इतने प्रोसेस के बाद पी. एस सी. को रेफर करते हैं केस। जो तीन कण्डोशन्स घोषणा में की गई थीं उनमें से दो कण्डीशन्स रूल आउट कर दी गई। तो आप जब अपना उत्तर दें तो इन सारी बातों पर भी प्रकाश डालें। समझौता हो गया आखिर में, इसके लिये तो धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : एक बात जानने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो मसला उठाया है उसके बारे में तो मैं जिक्र करूंगा पर अभी हवामहल से आने वाले

Page No 42

(श्री चन्दनमल वैद)

माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम है वैसी ही उन्होंने बात कही है। उन्होंने, लगता है इस प्रश्न को समझा ही नहीं। राजनीति का रंग देकर समझने की उन्होंने स्वयं ने कोशिश की है। वे भूल जाते हैं अकाउन्ट्स क्लर्क की सर्विस अलग अलग विभागों की अलग अलग होती है। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। उनकी सीनियोरिटी जूनियोरिटी अलग अलग विभागों की अलग अलग थी। अगर इसमें दो साल वाला आ जाता है तो एक डिपार्टमेंट मे इससे पुराना नहीं होगा तो उसका नम्बर आ सकता है। तो हम यही सब मुद्दे सामने रखकर एक एन्टीग्रेटेड सर्विस बनाकर कुछ करना चाहते हैं इसमें समय लगेगा।

अब उन्होंने एक बात और कही कि इम्तिहान पास कर लिया उसको कहीं काम करने का मौका मिल गया इस पर से यह कह देना कि अकाउन्ट्स क्लर्क का काम उसने कर लिया यह सही नहीं है यह सब तो इन्टीग्रेटेड सर्विस के समय हम देखेंगे उसके कुछ नियम होंगे। अब यह कहना कि राजनैतिक दृष्टि से कुछ कर लिया यह कहना उचित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझ बूझ कर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब देने दीजिए।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ध्यान है भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में 16 नवम्बर, 1970 को एक वक्तव्य कर्मचारियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में दिया था। उनमें से एक राज्य सरकार के कनिष्ठ लेखाकार के नए संवर्ग की स्थापना से सम्बन्धित था जो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का जिसमें कि अब तक केवल सहायक लेखाधिकारियों तथा लेखाकार ही आते थे निम्नतम अंग होगा। मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह उल्लेख किया था कि वर्तमान लेखा लिपिकों में से निम्नलिखित श्रेणी के लेखा लिपिक इस संवर्ग में स्वतः ही नियुक्त किए जायेंगे:–

(1) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के समस्त स्नातक जिन्होंने लेखा लिपिक परीक्षा पास कर ली हो तथा वास्तविक रूप में लेखा लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हों या कार्यवाहक रूप से लेखाकार 31-3-70 को हों, चाहे उनका सेवाकाल कुछ भी हो एवं उनकी नियुक्ति अस्थाई या स्थाई रूप से हो क्यों न हो।

(2) वे सब स्थाई वरिष्ठ लिपिक जो मैट्रिकुलेट हैं और जिन्होंने लेखा लिपिक परीक्षा पास कर ली है और जो दिनांक 31-3-70 को लेखा लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हों या कार्यवाहक लेखाकार हों चाहे उनका सेवा काल कुछ भी क्यों न हो।

(3) वे सभी मैट्रिकुलेट जिन्होंने लेखा लिपिक परीक्षा 1-4-67 से पूर्व पास कर ली हो और उसके बाद लगातार लेखा लिपिक के पद पर दिनांक 31-3-70 को कार्य करते हुए तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हों।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि लेखा लिपिक वर्तमान में एकीकृत

Page No 43

(श्री चन्दनमल वैद)

ढंग से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं यहां तक कि स्थानीय संस्था जैसे कि पंचायत समितियों में भी । मुख्य लेखाधिकारी को ऐसे सभी कर्मचारियों के पद एवं विस्तृत विवरण एकत्र करने का कार्य सौंपा गया था जिससे कि इस वर्ग की स्थापना के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सके। मुख्य लेखाधिकारी ने इस आशय की एक अधिसूचना दिनांक 8-3-1971 को जारी की जो उन्हीं सिद्धान्तों के अनुरूप थी जैसे कि मुख्य मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य में बताई गई थी। स्वतः नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र योग्य कर्मचारियों से आमंत्रित किए गए। उसी बीच कर्मचारियों ने आग्रह किया कि योग्यता की तिथि 31-3-70 से आगे निर्धारित की जावे, इस पर विचार किया गया और इसको बदल कर 31-3-71 कर दिया गया। मुख्य लेखाधिकारी ने इस आशय की परिवर्तित अधिसूचना दिनांक 7-10-71 को परिवर्तित तिथि का समावेश करते हुए जारी की। इसी बीच राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों में संशोधन के प्रारूप नए संवर्ग की स्थापना को स्वरूप देने हेतु तैयार किए गए। संशोधन प्रारूप ठीक उसी प्रकार के थे जैसा कि मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य दिनांक 16-11-70 में रेखांकित किए गए थे। इन नियमों को राजस्थान लोक सेवा आयोग को उनकी राय हेतु प्रेषित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि पी. एस. सी. के पास जाना जरूरी नहीं था लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संवर्ग के अन्दर रूल्स के अन्दर अगर किसी प्रकार का संशोधन करते हैं तो संशोधन करने से पहले उन संशोधनों पर पी. एस. सी. की राय जानना बिलकुल जरूरी था और उनको राय, उनका सुझाव मानना कतई जरूरी था।

श्री केदारनाथ : यह दो सौ रुपयों से कम की तनख्वाह का मामला है इसलिये जरूरी नहीं था।

श्री चन्दनमल वैद : श्रीमान् मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सबआर्डीनेट अकाउन्ट्स सर्विस की ही यह सर्विस अंग थी और चूंकि यह सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में आती है और इसलिए इस सर्विस में कोई संशोधन करते हैं तो हमारे लिए उनकी राय लेना जरूरी था और इसीलिए उन संशोधनों को पी. एस. सी. के पास अनुमोदन के लिए भेजा था।

श्री केदारनाथ : जब गजट नोटिफिकेशन के पहले ही भेज दिया जाना चाहिए था अगर भेजना ही था तो जब गजट नोटिफिकेशन हो गया . . .

श्री चन्दनमल वैद : नोटिफिकेसन केवल अप्लीकेशन, इन्फार्मेशन आमंत्रित करने के लिए किया गया था। लेकिन जो सर्विस रूल्स बनाये हैं उनमें पी. एस. सी. की राय उनका आदेश और उनके सुझाव के लिए उनके पास भेज दिया।

माननीय सदस्य इससे अवगत होंगे कि लोक सेवा आयोग से सभी प्रकार के सेवा नियमों के सम्बन्ध में मशविरा करना राज्य सरकार के लिए आवश्यक है।

(श्री चन्दनमल वैद)

जहां तक दो सौ रुपयों का सवाल है, दो सौ रुपयों की पोस्ट के लिए पी. एस. सी. के पास जाना जरूरी नहीं है लेकिन कोई सेवा नियम बनाते हैं तो उनके लिए जाना जरूरी होगा।

लोक सेवा आयोग ने इन संशोधित प्रारूपों पर विचार किया और अपने सुझाव सहित राज्य सरकार को प्रेषित कर दिए। इन सुझावों में आयोग ने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्वतः नियुक्ति हेतु व्यक्ति विशेष की सेवा अवधि, जो कुछ भी क्यों न हो, तथा नियुक्ति अस्थाई या स्थाई क्यों न हो, पर मात्र स्नातक होने पर आपत्ति की। आयोग ने यह महसूस किया कि ऐसा करने से वे कनिष्ठ लिपिक या वरिष्ठ लिपिक जिनकी नियुक्ति तदर्थ रूप से या अस्थाई रूप से की गई है और जो अभी तक अपने मूल पद पर स्थाई नहीं हो सके हैं वे भी स्वतः स्थाई कनिष्ठ लेखाकार बन जावेंगे। आयोग ने यह भी बताया कि सामान्य तौर पर उन कर्मचारियों को जिनकी कि नियुक्ति स्थाई कनिष्ठ लिपिक अथवा वरिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा की जाती है कोई न कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है जब कि मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत एक व्यक्ति केवल 31-3-71 को लेखा लिपिक बन कर इन सब व्यवधानों से छुटकारा पा जाता है। इस कारण आयोग का यह विचार था कि प्रस्तावित प्रावधानों से उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को अनुचित लाभ प्राप्त होगा। आयोग ने यह महसूस किया कि कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्वतः नियुक्ति उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होनी चाहिए जो कि 31-3-70 को लेखा लिपिक के पद पर कार्य कर रहे थे तथा स्थाई वरिष्ठ लिपिक थे एवं लेखा लिपिक की योग्यात्मक परीक्षा पास थे।

तीन कन्डीशन्स लगाई थीं कि वह सब्स्टेन्टिव यू. डी. सी. हो या अकाउण्ट्स क्लर्क हो या 31-3-71 को लेखा लिपिक के पद पर कार्य कर रहा हो।

उक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयोग ने उक्त तीन श्रेणियों में से केवल कुछ वर्गों को ही कनिष्ठ लेखाकार के पद पर स्वतः नियुक्ति के योग्य माना है।

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संशोधित प्रारूप पर उक्त सुझाव के अतिरिक्त आयोग ने यह सुझाव अपनी ओर से दिया कि आयोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि ऐसे स्थाई कनिष्ठ लिपिकों को जो कार्यवाहक रूप से वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हों, लेखा लिपिक की योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और 31-3-71 को जिन्हें लेखा लिपिक के पद पर कार्य करते हुए एक वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो स्थाई कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त कर दिया जाय। आयोग का यह सुझाव मुख्य मन्त्रीजी द्वारा की गई घोषणा की परिधि के बाहर था।

मौजूदा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मावली क्षेत्र के माननीय सदस्य द्वारा कुछ दूसरी श्रेणियों के कर्मचारी जो कि न तो मुख्य मंत्रीजी के द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत ही आते हैं और न आयोग की स्वयं की राय के अन्तर्गत हों, की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने

(श्री चन्दनमल वैद)
उन कर्मचारियों का जिन्होंने यद्यपि लेखा लिपिक की परीक्षा तो पास कर ली है पर जिनकी वांछित अवधि तक जिनका कि वर्णन मुख्य मंत्रीजी ने तीन घोषणाओं में किया था कार्य करने का अवसर नहीं मिला, हवाला दिया है। ऐसी परिस्थिति में कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की भी, जो कि उक्त श्रेणी में नहीं आते पर इस पर भी जो इस संवर्ग का अंग बनने का दावा करते हैं, आने की संभावना हो सकती है।

ऐसे भी कुछ कर्मचारी हो सकते हैं जिनका जिक्र न मुख्य मंत्रीजी ने किया न पी. एस. सी. ने किया और न ही माननीय सदस्यों ने किया है। ऐसे भी कुछ अकाउन्ट्स क्लर्क हो सकते हैं जो कि इस सर्विस में आने के इच्छुक हो सकते हैं। तीसरी, चौथी और पांचवी श्रेणी हो नहीं, छठी श्रेणी भी ऐसी हो सकती है।

माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि यह एक नये संवर्ग की स्थापना का आवश्यक मामला है। वे यह भी अनुभव करेंगे कि यदि इस संवर्ग में समस्त श्रेणियों को शामिल किया जाय तो राज्य सरकार के सामने वर्तमान में जो लेखा लिपिकों के स्वीकृत पद हैं उनसे अधिक कनिष्ठ लेखाकारों के पद सृजित करने का प्रश्न उपस्थित होगा। यह ऐसा विषय है जिसका कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ता है और इसी कारण गम्भीरता एवं सावधानी से इस विषय पर विचार करना होगा। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि पदों का सृजन प्रशासनिक कारणों से किया जाता है। यह सब मामले विशेष महत्व के हैं और कनिष्ठ लेखाकारों का नया संवर्ग सृजित करने से पूर्व भली भांति इस पर विचार करना होगा। इसमें लेखा लिपिकों के वर्ग में प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का ही खयाल नहीं करना होगा बल्कि मिनिस्ट्रीयल सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखना होगा, जिनका भविष्य इस संवर्ग के सृजन होने से प्रभावित होता है। राज्य सरकार विभिन्न पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार कर रही है। आयोग के सुझाव आने के तुरन्त बाद ही राज्य सरकार का ध्यान अन्य राष्ट्रीय महत्व की आवश्यक समस्याओं की ओर जैसे भारत-पाक संघर्ष तथा उसके पश्चात् आम चुनावों की ओर चला गया। सरकार का यह प्रयत्न होगा कि इस अहम मामले पर गहराई, गम्भीरता एवं सावधानी से विचार करके नये संवर्ग का शीघ्र सृजन करें। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम निर्णय लेते समय उनके विचारों पर आवश्यक ध्यान दिया जावेगा।

श्री केदारनाथ : समझौता क्या हुआ कल?

श्री चन्दनमल वैद : यह समझौता हुआ है कि यह जो संवर्ग है उसका सृजन किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर वाद-विवाद।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, बजट जो प्रस्तुत किया

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

गया और जो भाषण माननीय वित्त मंत्री महोदय का इस संदर्भ में हुआ, उससे मैं यह कह सकता हूं कि बजट का यह ढांचा है, अस्थि कंकाल जरूर हैं और बजट आफ दी स्टेट, फोर दी स्टेट, फोर दी पीपुल तो है बट नोट बाई दी पीपुल। यह बजट बनाया गया है एक विशेष वर्ग द्वारा। यह मैं क्यों कहना चाहता हूं? प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर स्टेट और समाज में अन्तर बहुत कम होना चाहिये। ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष होने चाहिये और जब स्टेट कोई बजट बनाती है तो उसमें मान्यताएं और आस्थाएं समाज की समाहित होनी चाहिये। इसलिए मैं जब इस बजट का विश्लेषण करता हूं तो मुझ को ऐसा लगता हैं कि जो समाज व्यक्तियों को चुनाव के द्वारा विधानसभा के लिये चुन कर भेजता है, जो चुनकर के 184 सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करने हेतु, समाज का प्रतिनिधित्व करने हेतु यहां पर आये हैं, उन 184 सदस्यों की भावनाएं, आस्थाएं, विश्वास और मान्यताओं का इसमें समावेश होना था। सत्ता दल के द्वारा जब सत्ता हाथ में ली जाती है तब यह दायित्व बजट तैयार करने का सत्ता दल का हो जाता है जिसका अर्थ 184 सदस्यों में से सत्तादल के 145 सदस्यों पर यह दायित्व आ जाता है। अतः 145 विधायकों की मान्यताएं इसमें होनी चाहिए और जब इन 145 माननीय सदस्यों द्वारा जो उसका नेता चुना गया और, उस नेता द्वारा जो मंत्री मंडल बनाया गया उस मंत्री मण्डल के वर्तमान दस सदस्य ही बजट बनाने का दायित्व रखते हैं। उनकी मान्यताएं और उनके सुझाव इसमें होने चाहिये और अगर एक कदम आगे बढ़ूं तो मैं कहता हूं कि दस सदस्य मंत्री मण्डल के, जिनका प्रतिनिधित्व अथवा नेतृत्व सिर्फ मुख्य मंत्री करते हैं, मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा बनाया गया है और इसमें थोड़े बहुत सुझाव, मंत्रियों द्वारा दिये गये होंगे। मैं इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल के ऐसे सक्षम और गतिशील मंत्री कौन हैं जो एक सशक्त मुख्य मंत्री को सुझाव दे सकें। मंत्री मण्डल के सदस्य यहां पर उपस्थित होते तो कुछ प्रश्न उनसे पूछ पाता। मेरा विश्वास है कि मंत्री मण्डल के सदस्य इस बजट से अवगत न होंगे। यह बजट जो पुरानी परम्पराओं के आधार पर ब्यूरोक्रेसी द्वारा बनाया गया है, जो आज़ादी के बाद उसी ढर्रे पर, उसी ढांचे पर चलता रहा, इस संदर्भ में, मेरा खयाल है, मंत्रियों की क्षमता के आधार पर इसका कलेवर नहीं हो सकता। वित्त मंत्री जी आप में क्षमता हो सकती है। कुछ सुझाव इसमें आपके हो सकते हैं परन्तु दूसरे मंत्री इसमें सुझाव दें ऐसा सम्भव हो तो आप स्वयं ही कह दें। आपने स्वयं ही कहा है, कि अभी ये नये हैं, अतः बजट का भार आप पर ही मंड दिया है। ऐसी स्थिति में यह बजट मुख्य मंत्रीजी का सूक्ष्म रूप, वृहद् रूप या व्यापक रूप है—आजकल व्यापक रूप तो मुख्य मंत्री महोदय का चीफ सेक्रेटरी है। मैं यह कहूं कि चीफ सेक्रेटरी और उनके सचिवों के माध्यम से यह बजट बनाया गया है जो मंत्री मण्डल के सामने आया मन्त्री मण्डल और मंत्री की उस पर छाप लग गई। इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट, जैसी कि

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

हम यह आशा लेकर चलते थे कि माननीय विधायकों की मान्यताओं का है, लोक कल्याण की आस्थाओं का है और इसमें कार्य-क्रम ऐसे होंगे जो समाजवाद की नीति के अनुरूप हों, ऐसा इसमें दिखाई नहीं दिया। बदकिस्मती से बजट बनाने का प्रश्न इस सन्दर्भ में जब कि मंत्री मण्डल गतिहीन हो, इसका दायित्व केवल राज-तन्त्र पर पड़ गया। और प्रशासन आजकल राजतंत्र के हाथ में है, मुख्य मंत्री को इतना अवकाश कहां पर है कि वे इस राजतन्त्र पर अंकुश रख सकें, उनको इतना अवकाश कहां पर है कि वे इतनी विशाल और व्यापक समस्याओं को देख सकें। उनमें तो आरामतलबी है, परिश्रम करने की क्षमता उनमें नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बजट को मैं खानापूर्ति का बजट कह सकता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके कलेवर की बात बाद में करूंगा। मैं यह कह सकता हूं कि इस बजट की जुबान समाजवादी है और इसका मस्तिष्क क्या है यह मैं न कहूं और आप ही कह दें तो अच्छा। जब जुबान समाजवादी है तो मस्तिष्क पूंजीवादी है और वित्त मन्त्रीजी समाजवाद का नारा आप जिस खूबी से लगा रहे हैं, यह तो वही रघुपति राघव राजाराम के नारे के समान हो गया है। इसलिये आप लगातार समाजवाद का नारा लगाकर, समाजवाद की मान्यताओं और आस्थाओं को खोखला करते जा रहे हैं। इसलिये कहता हूँ कि इस बजट के अन्दर इसके कलेवर को देखें, इसकी अन्तरात्मा को देखें तो वित्त मंत्रीजी इसको आत्मा पर जड़ता की झिल्लियां हैं। आवाज नहीं है, गतिहीनता है। यह एक ढांचा है और नकल करली गई है। आपका भाषण भी पुराने वित्त मंत्री मथुरादासजी माथुर के 71 व 72 के भाषण की नकल है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिये यह बजट गतिहीन, शक्तिहीन, अपंग और अन्तरात्माविहीन है, जिस अन्तरात्मा पर आप और हम बहुत कहते रहे हैं। इसमें स्पन्दन नहीं है। यह काम चलाऊ बजट है। मैं चाहता हूं कि जो बजट बने वह नीचे के स्तर से बने और माननीय सदस्यों के सुझाव और उनकी भावनाएं इसमें समाहित होतीं तब तो समाजवाद का बजट कहा जाता हमारी आस्थाओं के अनुरूप और समाजवाद के अनुरूप होता। इसलिये इस बजट की जुबान तो समाजवादी है और मस्तिष्क पूंजीवादी है। वित्त मंत्रीजी को सेठ साहब के नाम से मैं नहीं कहना चाहता। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उनको सेठ साहब कहा। आखिर सेठ भी तो आज समाजवादी नीतियों पर चल रहे हैं और जो पहले राजतंत्र में, सामन्तशाही में पले, पोसे और सिंचित हुए हैं, और जिन्होंने कभी समाजवाद को नहीं समझा, कभी दर्द को नहीं समझा, वे भी अब गरीबी हटाओ का नारा लेकर चलें हैं। जिन्होंने कि गरीबी को नहीं समझा, वे भी समाजवाद के नारे लगा रहे हैं। यह ऐसा मूल मंत्र है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कुरान नहीं पढ़े तो वह मुसलमान नहीं। उसको आयतें बिना समझे भी जानना जरूरी है क्योंकि हम एक जमात में बैठे हैं। इसलिये समाजवाद का नारा उसको बिना समझे लेकर चला जा रहा है, अतः उसका वह समाजवाद का नारा काफी खोखला है। इसलिये मैं इस बजट के लिये कहता

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

हूं कि यह बजट, बजट की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। मंत्री महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह टाप हैवी प्रशासन का बजट है।

प्रजातंत्र को, हमारे प्रजातंत्र के समाजवाद की नीतियों का इसमें आधार क्या है? आधार सचिवालय का वह केन्द्र नहीं है हमारी भावनाओं का। यह सचिवालय इस वक्त हमारी भावनाओं और आस्थाओं का केन्द्र नहीं है और इसलिये नहीं है कि सचिवालय का ढांचा, आजादी के बाद भी नहीं बदला है। अंग्रेजों के जमाने में जो ढांचा था, जिस ढंग से उनकी मान्यताएं, विचारणाएं चलती रहीं, वही ढांचा अभी तक इसमें चलता आ रहा है और जब उस ढांचे के द्वारा यह बजट बनाया गया है तो उसमें हमारी आस्थाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिये नहीं हो सकती कि हम क्षमताहीन हैं। हम में प्रशासनिक तंत्र पर हावी होने की क्षमता नहीं है। इसलिये मैंने कहा कि यह बजट तो है परन्तु इसमें समाजवाद नहीं है। इस बजट में हमारी आस्थाएं नहीं है, स्पन्दन नहीं है। यह केवल खानापूर्ति है, एक औपचारिकता मात्र है। मैं आपसे यह इसलिये अर्ज करना चाहता था कि ये जो प्राथमिकताएं इसमें आपने दी हैं वे गलत हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में पहली प्रायोरिटी शिक्षा है और शिक्षा पर हमने इस बजट का केवल 21 परसेन्ट व्यय करने का रखा है। बजट का 21 परसेन्ट। 71-72 का बजट देखते हैं तो उस वक्त के वित्त मंत्रीजी की याद आ जाती है और याद यों आ जाती है कि उन्होंने उस बजट में कुल बजट का 22% शिक्षा पर रखा था। वैसे लोक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा पर 40/50% होना चाहिये और इसमें आपने गत वर्ष से भी एक परसेन्ट कम रखा है। इस प्रकार आपने एक परसेन्ट काट कर एक नया नारा अजीब ढंग से दिया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में 6000 शिक्षकों को 1000 नई प्राथमिक शालाएं खोलकर, उनको रोजगार देगें और 1000 प्राथमिक शालाएं हम खोल रहे हैं, और हम माध्यमिक शालाएं भी एक हजार खोल रहे हैं, यानी एक हजार माध्यमिक शालाएं और एक हजार प्राथमिक शालाएं, इनके द्वारा यह शिक्षा और फिर 6 हजार शिक्षकों को रोजगार यह महरबानी शिक्षकवर्ग पर की गई और हमारा लोक कल्याणकारी राज्य इस शिक्षा के आधार पर होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा एक अतीत और वर्तमान का समन्वय है, शिक्षा भविष्य को देखती है और शिक्षा वर्तमान को समझ करके चलती है। आपने यह दो हजार विद्यालय खोलकर क्या किया? आपने 5–6 हजार शिक्षक बेरोजगारों को रोजगार देने का आश्वासन दिया और दूसरी ओर आपने क्या किया? दूसरा एक और कारखाना आपने खोल दिया जिसमें बेरोजगार पैदा हों। और आपके दरवाजे खटखटाएं और कहें रोटी दो। आज युनिवर्सिटी में कह रहे हैं विद्यार्थी कि हमें डिग्रियां नहीं चाहिएं, रोटी चाहिए। आप रोटियों के बजाय उन्हें डिग्रियां देकर शान्त करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बार बार राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार इस बात का आग्रह करती है, विश्वास दिलाती है वाद के नारे पर कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आमूल-चूल परिवर्तन शिक्षा पद्धति में किया जाना चाहिये। जब से विधान सभा में बैठे हैं तब से कोई भी शिक्षा मंत्री रहा हो उसने भी कहा है कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। आप बैठे हैं गद्दी पर। आपके हाथ में शिक्षा है और आपके हाथ में अधिकार है और फिर जनता में आप जाकर कहते हैं 'होना चाहिए'। क्षमा करें, इस 'चाहिएवाद को' काट दीजिये। यह आपके अधिकार में है। उसमें से 'चाहिएवाद' को समाप्त कर दें तो आप के तीन-चौथाई भाषण समाप्त हो जायेंगे जनता में। मिडिल स्कूल के लड़कों, हाई स्कूल के लड़कों और हायर सेकेन्डरी स्कूल के लड़कों को पढ़ाने का कोई बेस नहीं है। इनका बेस नौकरी का बेस है। एक माननीय सदस्य ने कहा था, श्री रामसिंहजी कुड़ी ने कहा था कि मेरे यहां पर पाठशाला में और कुछ नहीं दो केवल व्यवसाय का आधार को दें। मैं कहता हूं कि आप शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, और अध्यक्ष महोदय, ख्वाजा गरीबनवाज की दरगाह में हमारे मुख्य मंत्री जी गये तो ख्वाजा गरीबनवाज के आस पास के इलाकों में आप घोषणा कर आये कि प्राइमरी स्कूल नहीं युनिवर्सिटी तक की शिक्षा पद्धति को बदलने के लिये एक समिति का गठन कर रहे हैं और आमूल-चूल परिवर्तन वह समिति कर देगी। मैं कहना चाहता था कि इनको पता नहीं कि कितने ही कमीशन इन पर बैठ गये। कोठारी कमीशन सबसे बड़ा कमीशन है। शिक्षा मंत्री जी को नहीं मालूम है कि कितने कमीशन बैठ गये हैं। उन कमीशनों की अवहेलना, उनकी मान्यताओं, सुझावों की अवहेलना करके ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में यह घोषणा कर आये। यह राज्य घोषणाओं का राज्य हो गया, यह वास्तविकता, यथार्थता का राज्य नहीं रहा। हमारी घोषणाएं और समाजवाद के नारों के प्रदर्शन होते चले जा रहे हैं। इसलिए 6 हजार को रोजगार देकर संतोष करते हैं आप। मध्य प्रदेश सरकार ने एक क्रैश प्रोग्राम बनाया है रोजगार देने का और वहां के राज्य ने मैट्रिक पास जो व्यक्ति होंगे इनको इन्जीनियर्स द्वारा पंजीकृत करने के आदेश दिये हैं। रजिस्टर्ड कराओ और नौकरी 3 रुपये और कुछ पैसे प्रतिदिन पर मिट्टी डालो। उन शिक्षितों को काम मिट्टी डालने का दिया है। आपसे कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शालाओं को प्रोडक्टिव बनाइये चाहे उनमें बर्तन बनाने का काम सिखायें, कुम्हार का काम दे दें, भट्टी बनाने का काम दे दें, आप दीवार बनाने का काम सिखायें। ऐसे काम की शिक्षा आप दे देते हैं और उसके साथ में शिक्षा दे देते हैं, इन्डस्ट्री बेस्ड, तो उसके उपयोगी हो सकेगी। आप शिक्षा के कारखानों पर कारखाने खोलते चले जा रहे हैं जब कि इन कारखानों से आप और हम तबाह होते चले जा रहे हैं। आपने शिक्षा के नाम पर यह किया। और शिक्षा के नाम पर चुनावों के पूर्व जिन नवयुवकों को आपने तोड़ा, जिनका सहयोग आपने चुनावों में लिया जिनको विश्वास, आश्वासन दिये कि तुम हमारी भावी पौध हो, तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह भावी पौध मज्जाहीन और रक्तहीन बजट को देखकर निराश है और कहती है कि हमारे

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लिए क्या प्रोग्राम है ? वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में यूथ प्रोग्राम के लिए क्या किया ? कहां पर काम पर लगाने का प्रोग्राम दिया ? परम्परा तो निभा दी और बड़े जोर से कहते चले जा रहे हैं क्रेश प्रोग्राम है। एक हजार आदमी हर डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे क्रेश प्रोग्राम में और फिर मिनिमम वेजेज एक्ट से मुक्त ! एक हजार आदमी आप चाहते हैं काम करें प्रत्येक जिले में और वह मिनिमम वेजेज एक्ट से मुक्त। आप एक्सप्लायट करें। यह कल्याणकारी राज्य है जो मजदूरों को एक्सप्लायट करता है, और फिर शिक्षा के नाम पर आप विधायकों को मेजें थपथपाने का आग्रह करते हैं। समाजवाद का प्रश्न है। हमारी आस्था है, और हमारा विश्वास है यह टेबल थपथपाने का मसला नहीं है। एक हजार प्राइमरी स्कूल बेरोजगारों को पैदा करने के लिए खोलने की जब घोषणा की गई और आपने मेजें थपथपा दीं। आप शिक्षा पद्धति में 'चाहिएवाद' को खत्म कर दें।

2.58 म. प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

न मालूम वह समिति कब गठित होगी और कब आप शिक्षा पद्धति बदलेंगे। यह मैकाले का लगाया हुआ बीज है जिसकी जड़ें सातवें पाताल में पहुंच गई है और इसकी जड़ें ब्यूरोक्रेसी के हाथ में हैं। ब्यूरोक्रेसी आप पर हावी है। आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आरम्भ से ही आप से कहना चाहता था कि आप ऊपर से चलो नीचे मत चलो। आप गरीबी और बेरोजगारी के नारों को छोड़ दें, आप ऊपर जो हैं उनको सम्हालो। मैं कहना चाहता हूं कि समाज में व्याप्त भयंकर असमानता है जिस पर आपकी निगाहें नहीं जातीं। एक ओर 10 का जहां अन्तर होना चाहिए 100 और 1000 का अन्तर होना चाहिए वहां पर वेतन शृंखला में एक ओर 300 का अन्तर है। मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि जो आपका फाइव टायर स्ट्रक्चर है इस सचिवालय का जिसमें ऑफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और फिर आ गया ज्वाइन्ट सेक्रेटरी जिसकी एक केडर और बना दी और फिर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। इसमें पता नहीं क्या गोलमाल होता रहता है इन समाजवादी नीतियों के आधार पर इस लोक कल्याणकारी राज्य को ब्यूरोक्रेसी के ये आधार जिनकी मान्यताएं, प्रशिक्षण, शिक्षण हमारी मान्यताओं के विपरीत हैं. हमारे प्रशासन को पुराने ढर्रे से नहीं निकाल सकती हैं। इस सचिवालय के भारी भरकम ढांचे के प्रश्न पर कभी नहीं सोचा गया। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि यह सीलिंग आन दी इन्कम आज ही हमने सुना है कि कहीं किसी राज्य में सीलिंग ओन दी इन्कम के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है वह आप भी आरम्भ करिये। आप राज्याधिकारियों की इन्कम कट करने का कैम्पेन आरम्भ करिये। इस कैम्पेन में आपकी सफलता होती है तो कहें हमारे उच्च राज्य-कर्मचारियों से और विभागाध्यक्षों से कि यह वेतन तो केवल आपका स्टिपेन्ड है, यह मानकर आप चलें।

मुख्य मंत्री ने एक स्टेटमेंट अभी दिया था। जिनमें उन्होंने कहा था, सरकारी कर्मचारी 95 पर्सेन्ट ईमानदार हैं। न

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मालूम, कहां से वे ये आंकड़े ले आते हैं? कहां से यह आंकड़े मिल जाते हैं? हम ढूंढ ढूंढ कर मरते हैं, कहां से यह आंकड़े आते हैं? अब पांच पर्सेन्ट का भ्रष्टाचार मिटाने की बात बाकी रही, बाकी 95 पर्सेन्ट ईमानदार हैं। अब यह पांच पर्सेन्ट कौन हुते हैं? पांच पर्सेन्ट में राजनेता हैं, जनता है, कौन है? न मालूम कौन हैं। इस स्टेटमेन्ट में एक बात जरूर है, आप बढ़ाना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी को हिम्मत देना चाहते हैं, साहस देना चाहते हैं, उससे काम लेना चाहते हैं–इसलिए यह शब्द यूज किये गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उनको कहिये, समाजवादी नीतियों के आधार पर, और जो विशिष्ट पद हैं उनसे आरम्भ करिये, ऊपर से इन्कम कट कम्पेन को आरम्भ करिये। यह सुझाव मान कर अगर आप ऊपर से इस कैम्पेन को आरम्भ करेंगे तो जनता आपके पीछे चलेगी। आप मुख्य सचिव से कहिये, इतनी तनख्वाह काट दो। मेरा खयाल है, वह इन्कार नहीं कर सकते। सचिवों से कहिये, हमने एक आन्दोलन शुरू किया है, ढांचा बदलना है इसलिए अपनी मर्जी से तनख्वाह काट दो। विधायकों से उसके बाद कहिये, मेरा खयाल है सारे विधायक इसको पसन्द करेंगे। आप आई. जी. से कहिये, डी. आई. जी. से कहिये, तुम्हारी तनख्वाह भत्ता है, कही जाती है तनख्वाह लेकिन है वह भत्ता इस भत्ते में से कुछ मत लो, काट दो। मेरा खयाल है, राजी राजी वह साथ देंगे। इस प्रकार का कैम्पेन छेड़ते हैं, जन आन्दोलन शुरू करते हैं तो यह एक मिसाल होगी और जनता आपका साथ देगी। सचिवालय बदल रहा है, कार्य-क्रम बदल रहा है, मान्यता बदल रही है, आन्दोलन आरम्भ हो रहा है। लेकिन यह आपकी क्षमता का मसला नहीं है, इसलिए मैं इसको वापिस ले लेता हूं। आप इसको कर नहीं सकेंगे। यह फिजूल की बात है। इसमें क्या रखा है, बजट पास हो जायगा, 145 विधायक हैं। लेकिन वह भी दुखी हैं। मैं कहता हूं, यह भी दुखी हैं। यह समझ नहीं पा रहे हैं, कि क्या करें। हमारे पास काम केवल मेज थपथपाने का रह गया है। यह अन्दर से दुखी हैं। मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया, जिनके दिल टूट जायेंगे, यानि दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहां गिरा······

श्री चन्दनमल बैद : वहां गिरा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां गिरा आपके पीछे गिरा है, कमला जी हैं···

श्री चन्दनमल बैद : मेरे सामने गिरा है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : पांच कमरे रिजर्व कर रखे हैं सचिवालय में, न जाने किसका दिल टूट जाय, न जाने कौन आ जाय। भीखाभाई तो दिल टूटने वालों में शामिल हो गये हैं, उनको तो प्रमाण-पत्र मिल गया है कि इन का दिल टूट गया है। दिल टूटने के आधार पर मंत्रिमण्डल के मंत्री बनते हैं तो यह बेदिल कहना चाहता है, यह स्टेटमेंट क्या है? यह क्या स्टेटमेंट है? आज मुख्य मंत्री जी हैं नहीं। मैं बोल रहा था तब उन्होंने कहा था, मेरा चश्मा ले लो। उनका चश्मा लेने के लिये, मैं नाथ ब्रादर्स के यहां गया। उन्होंने कहा, मेरा चश्मा ले लो। मैंने सोचा, नहीं मिलेगा?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
मैंने दो चश्मे लिये। एक दूर से देखता है, एक नजदीक से देखता है या जो नहीं दिखता है उसको देखता है। मैंने तीन चश्मे लिये। मैंने सोचा, यह क्या बात मुख्यमंत्री ने कह डाली? मैं आठवीं क्लास में था, उस समय की बात याद आई। एक लड़का, मेरा दोस्त कहा करता था- मेरी आंख से देख अच्छा दिखेगा। तो मैंने सोचा, इतना बड़ा इतना महान् व्यक्ति, इतनी बड़ी हस्ती चश्मे की बात पर आ जाय। उनके जिम्मे केवल स्टेटमेंट देने की बात है। उन्होंने कहा, अभी कई भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। फिर कहा, जिन्हें मिल गया, उन्हें जनता ने सम्भाल लिया। मैं कहना चाहता हूं, जिन्हें मिल गया और जनता ने सम्भाल लिया यह किसके लिए उन्होंने कहा? अपने सहयोगियों के लिए कहा, अपने मित्रों के लिए कहा, कहीं उन्होंने गलती कर दी इसलिए। मैं कहना चाहता हूं, जिन्हें टिकट नहीं मिला, वह आपके एडवाइजर हैं पी.सी.सी. चीफ हैं, एक हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। चेयरमैन इसलिए हैं कि उन्होंने जागीर इनायत कर दी, जागीर बख्श दी हमारे मुख्य मंत्री को, और उस जागीर के एवजाने में दूसरे दिन चेयरमैन बना दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल-जयपुर): हाउसिंग बोर्ड के चेअरमैन बहुत पुराने हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य: हां, मैं करेक्ट कर लेता हूं, एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। तो मेरा कहना है, वह जो कुछ कहें उस पर पहले सोचें, दोस्तों पर रिफ्लेक्शन डालने से पहले सोचें, कौन जनता का प्रतिनिधि है, कौन नहीं···

एक माननीय सदस्य: बात इन्ट्रेस्टिंग है, लेकिन बजट के ऊपर नहीं है।

श्री निरंजनाथ आचार्य: जन प्रतिनिधि के लिये कहा। कहते हैं मोहमम्द रसूल वह मक्का से मदीना तशरीफ ले गये, तो सन् बन गया इसी मिसाल पर मुख्य मंत्री भी जोधपुर से तिजारा चले गये तो सन् बन जाना चाहिये। ताकि तवारीख का जनता को पता हो। यह मैं इलेक्शन के प्रश्न पर कह रहा था।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड है। साथ में ऐसा भी कहा जाता है, कि इस देश में लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी इन दी वर्ल्ड है। हमारे देश की प्रशासनिक स्थिति इसका प्रमाण है। यह बजट भी प्रमाण है। जो बनाया है यह एक व्यक्ति का है, बिना सुझाव का, बिना विचार का है। फ्रांस के लुई फोरटीन ने कहा था कि आई एम दी रूलर, आई एम दी लॉ। यही परिस्थिति है, हमारे प्रान्त की। भयंकर बहुमत का यह अभिशाप है जो कि सोचते है कि आई एम दी रूलर आई एम दी लॉ। इस स्थिति में जो आपने दे दिया है जनता को, जो भी उसके भाग्य में है वह इसमें उसे मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कहीं न कहीं आप चिन्तन करिए ब्यूरोक्रेसी से मैं नाराज हूं, वह तंत्र गलत है, इसकी मान्यता गलत है। आप इस पर अंकुश रखिए आपके जन प्रतिनिधि हैं उसको कवर करें नियंत्रण करें, उसको सुधारें। जो रेड टेपिज्म के कारण ढिले होती

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हैं उसको सुधारें जनता की शिकायतें निपटाने के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई है उनके पास कई शिकायती दरख्वास्तें आती रहें अधिक से अधिक दरख्वास्तें आ जाय। इस प्रकार एवरेज लगायें कि पांच हजार दरख्वास्तें आईं और चार हजार का डिस्पोजल कर दिया। आपके पास जो आती थी वह उधर कर दी गई और उनको डिस्पोज कर दिया। मैं कहता हूं, जनप्रतिनिधि का विश्वास लीजिये, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जन प्रतिनिधियों का विश्वास लीजिये। वह कवर करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कवर करें और मान्यताओं के आधार पर आपको सुझाव दें। तब हम कहेंगे कि यह जनतंत्रीय बजट है, समाजवादी बजट है, बाकी बखेड़ा बजट कहा जायगा। इस प्रश्न को सामने रखते हुए यह अर्ज कर रहा था।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। आप आज राजतंत्र से, नौकरशाही से बचना चाहते हैं तो जिस प्रकार यूनीवर्सिटी को आपने ऑटोनोमस बनाया है, जिससे उसकी क्षमता बढ़ी है, जन-प्रतिनिधि हैं उसमें, शिक्षाविद् हैं, और कई तरह से इस कारण यूनीवर्सिटी की प्रतिष्ठा बढ रही है। इसी तरह से जो नीचे की शिक्षा है, शिक्षण संस्थान हैं, उनको क्यों नहीं यूनीवर्सिटी के सुपुर्द करदेते? उनको देकर ऑटोनॉमस बॉडी का व्यापक स्वरूप बनादें आपको नुकसान जरूर होगा कि जब कभी बाहर से कोई अतिथि आएगा तो लड़के झण्डे लेकर उनके स्वागत में खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि वह आपके कंट्रोल से बाहर हो जायेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लड़के झण्डे लेकर खड़े नहीं होते हैं। आपके विभाग में 55 विभाग है, इन पचपन में से कुछ को आप ऑटोनॉमी क्यों नहीं देते हैं? अगर आप ओटोनोमी दे दें तो मेरे खयाल से अधिक सक्रियता से यह चलें।

मैं कहता हूं, पी. डब्ल्यू. डी. है, इरिगेशन है-आपके यह डिपार्टमेंट हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं। ऐसे डिपार्टमेंट है इनको ऑटोनॉमी दे सकते हैं, आप निवृत्त हो जायेंगे. आप पॉलिसी पर विचार करने लगें। आज आप को फुर्सत नहीं मिलती है, आप कमरे में रह कर कह देते हैं कि आप घर में नहीं हैं। डाइविंग कर जाते हैं। आप परिश्रम से डरते हैं, आदमी से घबराते हैं, मिलते नहीं हैं- यह सब खतम हो जायगा। आप थोड़ी ऑटोनॉमस बॉडी और बना दें, विभिन्न विभागों की ओटोनोमस बाडी बना दें, लेकिन यह सत्ता को छोडने का मसला है, डिपार्टमेंट में कौन जाय, कौन रहे. यह जो सत्ता है यह चली जायगी। इससे आपके हाथ से सोने की चिडिया चली जाती है। मैं आपके चिन्तन के लिये कहना चाहता हूं। आप इस सुझाव पर चिन्तन करें। मेरा विश्वास है कि इस नौकरशाही के नियन्त्रण से कुछ समय तक आप बच सकते हैं।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1971-72 के बजट में माननीय भूतपूर्व वित्त मन्त्रीजी ने 3-4 बातें बताईं थीं। एक थीं कि वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट आफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आपके इस बजट भाषण में इतनी महत्वपूर्ण नीति के मसले पर श्रम नीति के मसलों पर आप मौन हैं। वह तो भाषण में आश्वासन देकर चले गये, आपने देखा या नहीं मैं कह नहीं सकता लेकिन नीति के प्रश्न की अवहेलना करना कहां तक

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

उचित है? दूसरा कहा था Scheme for the marginal farmers and the landless आपने कहा है कि स्कीम बन रही हैं। एक हजार वाली या दो हजार वाली पता नहीं। आपने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री का कल का स्टेटमेंट देखा होगा। 9 करोड़ की स्कीम पंचायत समिति के लेविल पर राजस्व का 70 प्रतिशत उसमें से देने का उनका निर्णय, और उस प्रभावशाली कार्य-क्रम को उन्होंने आरंभ कर दिया है। पहले के 1971–72 के बजट में जो हमें आश्वासन दिये गए उन आश्वासनों का जिक्र इस बजट में नहीं है। तीसरा गत बजट में उल्लेख था स्कीम फार चम्बल विल बी प्रिपेयर्ड। साल भर हो गया, प्रिपेयर हो गई होगी, वह योजना लागू भी हो गई होगी लेकिन आप भूल गये दर्ज करना। प्रारंभ हो गई हो आप और देख लीजिए। आप भी पुरानी बातों को दोहराते जाते हैं।

अब आपके बजट स्टडी 1972-73 पर आता हूं। पेज 60 पर आपका प्रिंटिंग और छापना जो कुछ है, उसमें कई गलतियां हैं। मैं सही हूं या नहीं कह नहीं सकता, लेकिन इस पेज पर लिखा है 'देयर वाज सम इम्प्रूवमेंट इन दी एम्पलॉयमेंट सिचूएशन'। बच्चों को समझा रहे हैं आप? सम इम्प्रूवमेंट इन दी एम्पलॉयमेंट? ब्रेक अप नहीं? कितने एम्प्लॉयड कितने अनएम्पलायड? मैं कहता हूं 1.38 लाख अनएम्पलाइड हैं। दस हजार प्रति मास बढ़ते जा रहे हैं। जब आपका विभाग एम्प्लॉयमेंट की फिगर देता है तब अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर नहीं देता कि भविष्य में कहीं क्रांति नहीं कर बैठें। फिर देयर वाज सम इम्प्रूवमेंट इन दी एम्प्लॉयमेंट सिचूएशन आगे चलते हैं। मैंने सोचा एम्प्लॉयमेंट सिचूएशन का अध्ययन कर डालें, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि उक्त शीर्षक के नीचे विषय ही दूसरा दे दिया गया है जैसा कि इसमें प्रकट हो गया "The following indicators show the performance of the economy." ऊपर हेडिंग कुछ और है और नीचे विषय उससे भिन्न है। वास्तविकता कुछ दूसरी है। इसी तरह पेज 71 पर एग्रीकल्चर वेजेज का नक्शा है। 1969-70 में और 1970-71 में जो वेजेज बताए हैं, इसमें चाइल्ड को कितना वेज मिलता है, उसको बताया है। आपको आश्चर्य होगा, राजस्थान में अभी तक बच्चे से काम लिया जाता है। जिस कानून ने बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मिलने से रोक रखा है, उस कानून की अवहेलना करके आपने उसमें बच्चे को तनख्वाह पूरे दिन की दी जाती है, उसका उल्लेख किया है जिसका मतलब लोक कल्याण के रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, बालक को श्रम से कच्ची उम्र में बचाना चाहते हैं किन्तु उस बच्चे तक को आपने ऐक्सप्लॉयट किया है। मैं नहीं जानता कैसे हो गया? लेकिन आपने बताया है प्रतिदिन 1.69 से 2.30 बच्चे के वेजेज दिये गये हैं। यह नहीं हो सकता कि यह आधे दिन की मजदूरी हो। महिलाओं के जो वेजेज हैं, उनके मुकाबले की मजदूरी बालक को दी गई है। सारा दिन आप बच्चे से परिश्रम लेते हैं, इसको स्टेटमेंट करते हैं, आगे बढ़ने से उनको रोकते हैं, फिर कल्याणकारी आपका बजट कैसा? इसलिए मैं कह रहा था कि बजट में सही रूप से आपकी आस्थाओं को समावेश करने की आपकी क्षमता नहीं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अब गरीबी हटाओ। यह संकल्प है। यह आस्थाओं का संकल्प है, मान्यताओं का संकल्प है केवल नारा नहीं है। हमने इसको नारा बना दिया और नारा बनाकर एक हजार स्कूल खोल दिए। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्रीजी, आपका क्या कार्यक्रम है गरीबी हटाओ के सम्बन्ध में? क्या कार्य-क्रम आपने हाथ में लिया? यदि कार्यक्रम को हाथ में लिया तो मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान में कितनी जनता गरीबी में फंसी हुई है? कई तरह की गरीबी होती है सामाजिक गरीबी, राजनैतिक गरीबी और आर्थिक गरीबी। सामाजिक, मानसिक, राजनैतिक और आर्थिक। हमने एक गरीबी को लिया, और इस आर्थिक गरीबी के आपके पास क्या आंकड़े हैं? कितने गरीब हैं। आपने गरीबी की रेखा कहां निर्धारित की है...

श्री परसराम मदेरणा: मानसिक गरीबी की परिभाषा क्या है?

श्री निरंजन नाथ आचार्य: अगर आप मन्त्रीमण्डल में नहीं लिये जाते और नीचे पटक दिए जाते, तो मैं कहता कि आप मानसिक गरीबी में हैं। इसलिए मैं कह रहा था। कि गरीबी की रेखा का आपने निर्धारण नहीं किया। डाक्टर लोहिया 1963 के बजट पर संसद में बोल रहे थे। तब पंडित नेहरू ने कहा था कि 15 आने प्रति व्यक्ति आय है तो उन्होंने चुनौती देते कहा था कि प्रति व्यक्ति की आय 3।। आने हैं। श्री नंदा जी ने उठकर कहा 7 आने हैं। डाक्टर लोहिया ने कहा प्रति व्यक्ति की आय अमीर और गरीब दोनों को मिलाकर नहीं निर्धारित की जानी चाहिए, हमारे देश में गरीब कितने हैं? केवल गरीबों की संख्या के आधार पर आय निर्धारित की जानी चाहिये। उन्होंने कहा था 1961-62 के आंकड़ों में 60 प्रतिशत गरीब हैं और इस गरीब की आय को देखकर आप आय निर्धारित करते हैं तो 3।। आने से ज्यादा नहीं आती है। पावर्टी इन इण्डिया नामक पुस्तक के लेखक जिसके आयर् खांडकर हैं उन्होंने रेखा को खींचने की कोशिश की। आखिर गरीब की क्या रेखा है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपने इस गरीब की रेखा को खींचा है. इस अग्नि रेखा को खींचा है? इस देश के गृह मंत्रालय के आप आंकड़े देखलें तो 1969-70 में दो हजार आदमियों ने खुदकशी की है एक वर्ष में एक टाइम खाना नहीं मिलने के कारण। आप गरीबी हटाओ की बात करते हैं, गरीब की झोंपड़ी में गरीब के साथ आपने बैठकर इसकी अनुभूति ली है, उनके भावों को समझा है? गरीबी का नारा झोंपड़ी से पैदा हुआ है उसके दर्द से, सचिवालय से नहीं। इसलिये मैं कहता हूं उसके साथ दूसरा नारा लगाओ—गरीबी हटाओ और अमीरी हटाओ। तब जन आंदोलन का मसला हो सकता है अमीरी हटाओ का नारा। हमारा कर्तव्य है जन आंदोलन करना: जमीनें ज्यादा है, इन्कम ज्यादा है, उस पर सीलिंग, मकानों पर सीलिंग और अमीर व गरीब के अंतर मिटाने का प्रश्न हमारे हाथ में जन-आंदोलन द्वारा हो आ सकता है। इसलिये नया कार्यक्रम जनता के सहयोग के बिना नहीं चल सकता। इसलिये मैं कहता हूं कि दोनों परिस्थितियों को आप देखिये। आप नारा लगाइये कि गरीबी हटाओ और अमीरी हटाओ का भी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तब अमीरों को पता लगेगा। आज जनमत इस बारे में उग्र है, व्यग्र है, उतावला है। हमें इस अन्तर को मिटाना होगा। यह मैं इस सन्दर्भ में कह रहा हूं कि आमदनी का भी सीलिंग होना चाहिये। आप इस प्रश्न पर अड़ जाइये। आप कभी न कभी तो कामयाब होंगे ही।

मैं कह रहा था 60 पर्सेन्ट गांवों में गरीब और 40 पर्सेन्ट शहरों में गरीब हैं। गरीब की प्रतिदिन की आय निर्धारित की जाए। पांच व्यक्तियों के एक परिवार का एक यूनिट यदि समझा जाए तो उस यूनिट की दो सौ रुपया मासिक वेतन निर्धारित होती है गरीबी की रेखा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने अध्ययन किया है परीक्षण किये हैं, मनन किया है और जिन्होंने इस यूनिट का अध्ययन किया है यह उनका कहना है। दो सौ रुपया मासिक जिसकी आय है, वह गरीब का रूप है। उससे नीचे पांच सदस्यों का परिवार गरीब है और उससे ऊपर गरीबों के ऊपर है ठीक। उस स्तर से ऊपर और उसके नीचे कितने हैं? पांच हजार शिक्षकों को आपने बसा दिया। फिर कहा एक हजार आदमी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और मजदूरी पर लगा देंगे। यह काम इस दृष्टिकोण से नही चलेगा।

इसलिये सारे के सारे कार्य-क्रम राजस्थान के स्तर पर विधायकों के सहयोग से, चिन्तकों के सहयोग से, आप अपने हाथ में लीजिये। यह समाज का और राष्ट्र का मामला है। गरीबी और बेरोजगारी का मामला भी राष्ट्रव्यापी है।

मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी और गरीबी दोनों राष्ट्रव्यापी हैं। सारे राष्ट्र को सूचित किया जाना चाहिये कि इसके हल के लिये सारा राष्ट्र सहयोग दे। अभी गरीबी हटाने का आपका अभियान अधूरा है। समग्र रूप में नहीं है। शरीर में एक जगह फोड़ा उठा तो आपने उस फोड़े पर मलहम लगा दिया। फिर दूसरे स्थान पर फोड़ा उठा तो वहां मलहम लगा दिया। इससे काम नहीं चलेगा। इस तरह से इस समाजवादी तन्त्र को आप नहीं चला सकेंगे।

दूसरी बात, मैंने कही कि यह बेरोजगारी आज मल्टीपल होती जा रही है। यह राष्ट्र का रोग है, राज-यक्ष्मा या कैंसर का रूप ले रही है। इसके हल के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। हम इसका कारण खोजें तो पता लगेगा कि हम खुद ही बेरोजगार पैदा करते हैं। अपने जैसलमेर, बाड़मेर आदि अकालग्रस्त क्षेत्र में भी बेरोजगारों को बढाया है।

फेमीन के प्रश्न पर कहना चाहता हूं। आपने इसके लिये कार्यक्रम चलाया, पर किसी ठोस आधार पर नहीं चलाया। अगर किसी आधार पर भी चलाया गया हो तो समझ बूझकर नहीं चलाया गया। जैसलमेर वह स्थान है जहां अकाल अपना निवास स्थान बनाकर रहता है। आप समझते हैं अकाल वहां से आपके इस कार्यक्रम से निकल जावेगा कभी नहीं। आपने उसको वहां से हमेशा के लिये निकालने का ईमानदारी के साथ प्रयत्न ही नहीं किया। फिर कैसे निकलेगा? मैं कहता हूं कि यह लेबर जो अकाल कार्यों पर काम करते रहे ये तो

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

सब स्टेट एम्प्लॉयी हो गये हैं। पोलिटिकेलाइजेशन लेवर का हुआ है। हजारों की संख्या में ये करते थे खेतों में हाली के रूप में, मजदूरों के रूप में और अपना गुजर-बसर करते थे। उन हजारों बेरोजगारों में से रोजगार चाहने वालों को आपने अपने सरकारी कामों पर लगा दिया फेमीन के वक्त। उनको खेतों से हटाकर नहीं। अब वे आपकी हर साल प्रतीक्षा करते हैं कि फेमीन आवे और आप उनके लिये रोजगार के वैसे ही काम खोलें और उनको पैसा दें। जीविका के साधन दें। क्योंकि अब ये लेबर स्टेट एम्प्लॉयीज बना दिये गये हैं। राजनैतिक रंग आपने उनको दे दिया। साथ ही फायदा भी दिया। और खेत के मालिक जिनके यहां ये काम करते थे, जिसको कहते हैं आप खेत का मालिक खातेदार, वे खेत के मालिक सुखी हैं यह देखकर कि मेरा हाली मजदूर था उनको सरकार द्वारा काम में लगा दिया गया। वह मजदूर चाहे वह इस सड़क पर अन्यत्र काम करता है। पर खेत पर काम कर रहा हूं, मैं हाली हूं इसलिए इस पर उसका हक चला गया। वह किसान तो खेत पर रहा और उसका हाली सारा लेवर बनकर राहत कार्यों पर चला गया।

जो खेती पर मजदूरों द्वारा क्रान्ति होने वाली थी उनको आपने टाली है। लेबर को स्टेट एम्प्लोईज बनाकर। जब अकाल राहत नहीं होगा तो लेबर को कहा उपयोग करना चाहते हैं। खेतों पर जहां खेत जोते हुए थे वहां देना चाहते हैं? तो इससे कनफ्लिक्ट होगा और इससे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की नींव पैदा होगी अगर आपने ऐसा किया तो। यह एग्रीकल्चर लेबर रिवोल्यूशन करेगा बड़े और किसानों के खिलाफ खड़ा होगा।

इसलिये मैं कहता हूं कि फेमीन रिलीफ वर्क्स में उनको रोजगार मिल गया पर यह अभिशाप सिद्ध हो रहा है। लेबर का पोलिटिकेलाइजेशन किया और लेबर को एक्सप्लोयट किया। इसलिये यह लेवर रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा फेमीन के काम से हटेगा तब।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो पोइन्ट कुछ जमा नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इतनी बातें मैंने कही, झूंठ और सच भी इसमें हो सकती है। आपसे यह मामला सम्बन्धित है। पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब भी वैसे हा ××× हैं इस मामले में आज मैं फिर जप ही नहीं सकता इसमें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इण्डस्ट्रियेलाइजेशन में कोटा सेन्टर होता जा रहा है और इसके साथ ही जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भरतपुर और कई जगह। कई इण्डस्ट्रियां खुलती जा रही हैं। मैं इनका सर्वेक्षण करने की बात कहना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इन सब में अधिकांश में केपिटल बाहर का, मैनेजीरियल स्टाफ बाहर का और टेकनीशियन बाहर का और कभी कभी तो लेवर भी बाहर से अधिकांश में आता रहा है। अब यह सारा बाहर का बखेड़ा प्रोडक्शन भी यहां से बाहर चला जाता है।

××× मा. अध्यक्ष की आज्ञा से अंकित नहीं किया

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

डी. सी. एम., नाइलोन, सीमेन्ट आदि की इतनी बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रियां यहां लगी हैं। आपने इनका सर्वेक्षण किया क्या ? बाहर से इनमें मशीनरी आती है, बाहर से सामान आता है, बाहर का स्टाफ और लेबर तक आती है फिर प्रोडक्शन होता है। प्रत्येक इण्डस्ट्री की कई सहायक इण्डस्ट्रीज होती हैं। जिससे बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकती है। अब जिन सेठों के पास ये इण्डस्ट्रियां हैं वे यहां के लोगों को रोजगार देने में समर्थ नहीं हैं वे रोजगार दे नहीं सकते। इन इण्डस्ट्रीज में छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज अगर पनपाई जातीं तो इससे एम्प्लोयमेन्ट मिलता। इन पर आश्रित दूसरी छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज खोली जा सकती हैं।

जैसलमेर के लिये विश्नोई जी ने अकाल पर अपने सुझाव दिए हैं। उनका इस समस्या पर अध्ययन है। जैसलमेर में अकाल राहत कार्यों का क्या हाल है ? सड़क बनती हैं तो बाद में वह आंधी में उड़ जाती है। कई ट्यूब वैल बेकार पड़े हैं।

जैसलमेर से आप अकाल को नहीं हटा सकते जब तक कुटीर उद्योगों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। वहां बकरी की ऊन, भेड़ की ऊन और ऊंट की ऊन का काफी व्यापार होता है। यह ऊन का प्रधान क्षेत्र है। कहा गया कि दस इन्च वर्षा जहां होती है वहां खेती नहीं हो सकती। पर जब एक्सपर्टों ने बताया कि 250 फीट नीचे अथाह जल है तो इन स्थानों पर, तो आपको आज के विज्ञान के साधनों से काम लेकर पानी निकालना चाहिये और ऊन के धन्धे को पनपाना चाहिये। पानी से फौडर आप वहां पैदा कर सकते हैं। पशुओं की तरक्की यहां आप कर सकते हैं। अगर यह सम्मिलित प्रयास आपने किया तो इस इलाके से अकाल को हमेशा के लिये मिटा सकते हैं। अकाल की आप अपनी इस मोनोपोली को तोड़िये। छोटे कुटीर उद्योगों को पनपाइये। जैसलमेर सैल्फ सपोर्टेड हो जायगा। यदि फेमीन वहां खतम हो जाता है तो फेमीन का पोर्टफोलियो भी खतम हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसलमेर की ऐवरेज रैन फाल 4 इन्च है और 10 इन्च से जो नीचे रैन फाल है वहां पर खेती हो नहीं सकती है। जिन एग्रीकल्चर मजदूरों की बात कह रहे हैं जो बन्द हुए थे, उनकी हेबिट खराब हो गई। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न नहीं किया, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह उठाया है—उसको ध्यानपूर्वक करेंगे लेकिन वह कौनसे एम्पलाईज बता रहे हैं—कितने फार्म्स हैं, कितने एग्रीकल्चर फार्म हैं...

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा खयाल है, फेमीन मंत्री महोदय आपने एक प्रश्न को इस तरह पकड़ लिया और कहीं यह भय हुआ, कि कहीं इस तर्क में यथार्थता निकल जाय। जब एक बार आपका फेमीन चला गया था बड़ी मुश्किल हो गई थी और अब बड़ी मुश्किल से वापिस आया है...

श्री परसराम मदेरणा : फेमीन मेरे पास रहे या नहीं रहे (विराम) फेमीन मेरे पास रहता है या नहीं रहता है, इसकी चिन्ता नहीं है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, आई एम इन दी पजेशन आफ दी फ्लोर और मैं निवेदन कर रहा हूं जैसलमेर के प्रश्न को लेकर। मैं सारे फेमीन के प्रश्न को लेकर चला हूं जिसमें कमजोरी है और भय है। जैसलमेर के प्रश्न को मैंने कहा कि फेमीन से यदि छुटकारा किया जाय तो इन आधार पर किया जा सकता है। पानी का प्रश्न है, इण्डस्ट्री का प्रश्न है, उसको छोड़कर आप भले ही चलिये मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने तो आल्टर्नेटिव दिया था पर आपने यह समझ लिया कि मैं उसमें अटक गया।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार एक व्याधि है। कहे यह मिट जाय और फिर कहें मिटाकर हो रहूँगा। श्री गुलजारीलाल नन्दा भी यही कहते रहे हैं। मैं मिटाकर रहूँगा। यह व्याधि है पार्टी-पोलिटिक्स की। यह झुक जाती है, नीचे चली जाती है और जितना शासन सशक्त होता है उतनी ही नीचे चली जाती है और जितना शासन सशक्त नहीं होता है उतनी ही यह उभर आती है। इसलिये थोथे स्टेटमेंट कि कोई भ्रष्टाचार को मिटाकर रहेंगे या यह कह दें कि जनता से टकरा सकता है, पहाड़ों से टकरा सकता है बड़ी मुश्किल बात है-नारों से शक्ति नहीं आती। स्टेटमेंट देने पर नियन्त्रण कर दें खुदा के नाम पर। यह आगे चलकर दुख देगा। मैं कह रहा था ऊपर से चलता है और धरातल तक चलता है। अब सरकार वक्तव्य देती भ्रष्टाचार का अनुपात गिर गया है कि कभी पांच रुपये लेता था तो अब डेढ रुपया लेते हैं। यह तो आंखों का सवाल है-सबके सामने है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास एक पुस्तक है साहित्यकार की। कागज पर लिखा है लेख...

एक माननीय सदस्य : यह करप्शन ऊपर से कहां से आता है, छत से आता है या कहां से आता है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्षमता से पैदा होता है, इण्डस्ट्री से पैदा होता है, सत्ता से पैदा होता है, मानस से पैदा होता है...

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, आप तो इस सदन के स्पीकर भी रह चुके हैं आज आपकी बजट स्पीच है और ढाई करोड़ जनता के लिये यह बहुत बढ़िया बात होगी-आप यह बता दें कि करप्शन कहां से आता है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : बढ़िया और घटिया का तो प्रश्न नहीं है। यह बढ़िया और घटिया तो बाजारों में होती है। मैं यह कह रहा था कहां तक गिनाऊं। यहां तक जिस कागज में यह पत्रिका छपी है वह काले बाजार से खरीदी गई है खुले बाजार में कागज मिलता नहीं है। साहित्यकार लिखता है, मुझे खरीदना पड़ता है। मैं कहता हूँ सरकार कहती है कि वह मिटाकर रहेगी और मैं कहता रहूंगा पकड़ में नहीं आता है। और पकड़ में लेने के आधार नहीं हैं। कम से कम जो ऊपर की चीजें हैं...

(माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

ऊपर की चीज जनसंघ के सदस्य कहा करते हैं। मैं उसे दो रा [illegible]

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

इसलिये मैं कहता हूं इसको आप छोड़ दें। आपके ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाईजेशन नहीं हुआ, ट्रान्सपोर्ट का एग्जामिनेशन, आपके वेहकिल का इन्सपेक्टर करता है। मैं कहता हूं एडेड इन्स्टीट्यूशन का। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी समझते हैं एडेड इन्स्टीट्यूशन्स क्या हैं- जिन्दा किस पर रहते हैं। करप्शन पर जिन्दा रहते हैं। सीधा सा सवाल यही है। संस्थाओं को आप पैसा दे दीजिये वे तनख्वाह कम देंगे, फर्जी कार्यवाही करेंगे। मैं यह कहूं इस सम्बन्ध में एक मूक अध्यापक ने एक खुला पत्र मुख्य मंत्री जी के नाम लिखा है। आपके जो बैंक से बुकारा की प्रथा है, उसे आरम्भ कर दीजिये तो यह करप्शन चला जायगा। मैं ऊपर की बात बता देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी को इस बेबस अध्यापक का खत नहीं मिलता है इसलिए मैं कहता हूं। इसी तरह आप मेडिकल रिएम्बर्समेंट को जानते हैं। यह क्या है? हमने कहा वेतन बढ़ा दीजिये, उसमें इस रकम को लगा दीजिये। डाक्टर को करप्ट मत कीजिये, मरीज को करप्ट न कीजिये पांच रुपये का नोट पकड़ा दिया, 10 रुपये का नोट पकड़ा दिया इसी कारण पुलिस भी हैरान है, मुख्य मंत्री भी हैरान हैं, देने वाले भी हैरान हैं-अब हम क्या करें? जो पहले स्टेटमेन्ट दिया, उसको हटाने का प्रश्न है। मैं कहता हूं उसे हटा दीजिये लेकिन जो रिश्वत के घर बने हुये हैं उनका शुद्धिकरण कर दीजिये जिससे उसको कुछ मिल सकता है।

अन्त में मैं सुझाव देना चाहता हूं लैन्ड रेवेन्यू के बारे में सैन्ट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही है। यह एक निजी उद्योग है। यह उद्योग भी आदमी के हाथ में करोड़ों का उद्योग है और करोड़ों रुपये आप उपार्जन करते हैं-एक आदमी क्या है? शराब के मामले में अब 10 करोड़ की आवश्यकता है इसलिये मैं कहता हूं। आपके राक फास्फेट है, रोड ट्रान्सपोर्ट है और मैं तो यहां तक कहता हूं यह डिस्टिलरी, सिनेमा उद्योग, शराब बन्दी का जो आन्दोलन चल रहा है उसको आप किस करवट बिठायेंगे लेकिन कम से कम यह आन्दोलन चले या न चले लेकिन जो डेस्टीनेशन का प्रश्न है वह भी उद्योग है। हजारों हाथ में आते हैं और जाते हैं। जो कुछ होता है आपके हाथ से होता है। इसके साथ ही मैं रेशनालाईजेशन आफ लेन्ड रेवेन्यू की बात कहता हूँ-गंगानगर में 12 रु पर बीघा, जयपुर में 12) रु बीघा भीलवाड़ा में और उदयपुर में इससे और भी अधिक। लेन्ड रेवेन्यू के प्रश्न पर यह भी आप नहीं मानेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूँ रेगूलराईजेशन आफ कन्स्ट्रक्शन इन एग्रीकल्चर लेन्ड-एग्रीकल्चर लेन्ड पर जिन्होंने इमारतें बना ली हैं और जिसके सम्बन्ध में भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने कहा था-शायद जयपुर के नाम पर कहा है। इतने रुपये पेनेल्टी लगाकर ही चलाऊंगा। हजारों बीघाओं पर सारे राजस्थान में कन्स्ट्रक्शन बना दिये गये। एडीशनल रेवेन्यू आपको आमद का एक माध्यम है। करीब करीब दस लाख बीघा जमीन। 700 कुए बने हैं। इन कुओं पर आपकी क्या एडीशनल रेवेन्यू है? राजस्व विभाग ने असेस किया नहीं। आप रेगुलेराइजेशन कर रहे हैं। एडीशनल रेवेन्यू का जहां आपको फायदा मिलना चाहिये था, उसका फायदा बीच के लोग उठा रहे हैं।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

इस प्रकार के जो प्रश्न हैं क्या वे आपके ध्यान में हैं या नहीं ? मैं कह नहीं सकता । इससे भी कई अनेक प्रश्न हैं जिनमें एडीशनल रेवेन्यू का आपको फायदा हो सकता है ।

एक और प्रश्न है डी. सी. एम. कोटा का । यहां पर इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि चौथी विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया गया था और रेयेन्स स्पोट (पदार्थ) ऐसी चीज है जो असेस की जा सकती है, सेल्स टैक्स उस पर लिया जा सकता है और 5 करोड़ 30 लाख या 4 करोड़ 30 लाख की रकम है असेसमेन्ट की लेस 10 परसेन्ट । वह प्रश्न इस चौथी विधान सभा में खड़ा किया गया था और कहा गया था कि चार करोड़ रुपया सन् 1966 से अब तक उससे वसूल नहीं हुआ है । ब्याज तो छोड़ दीजिये । फाइनेन्स मिनिस्टर ने उस वक्त इस पर कहा था :

1966-67 में	4 करोड़
1967-68 में	9 करोड़
1968-69 में	10 ,,
1969-70 में	10 ,,
1970-71 में	10 ,,

चार करोड़ 30 लाख का, लगभग 5 करोड़ का असेसमेन्ट है उस पदार्थ पर । इस असेसमेन्ट को सुन्दर ढंग से वित्त मंत्रीजी ने समझाया विश्वास भी दिया । उन्होंने कहा उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह जो छूट की दलील दी है मेरे पास है, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी गयी है, उसका रिमाइन्डर भेज दिया गया है । उसका जबाव आने दीजिये । भारत सरकार एडीशनल ड्यूटी लगाये या नहीं, एक आध महीने में लगातार इन्तजार के बाद वसूली की कार्यवाही की जावेगी । एक आध महीने में । बार बार कहा गया है "एक्साइज ड्यूटी के लिये भारत सरकार को लिखा है इस पर क्या किया जाय ।" हमारे अधिकारी असेसमेन्ट करें और पांच करोड़ रुपये खड़े रहें, वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि हम गरीबी मिटा देंगे । वित्त मंत्रीजी मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह पांच करोड़ का असेसमेन्ट आपके कब्जे में आ गया ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मुझे बहुत कुछ कहना है । क्या यही सोलिड स्पीच है ? जिसकी जबान समाजवादी है, मस्तिष्क पूंजीवादी है । भाषण से ऊपर उठकर कुछ मान्यताओं के आधार पर इसको ले जाने की कोशिश करेंगे तो जो संकल्प है, नारा है, बेरोजगारी को हटाने और समाजवाद को लाने का सार्थक हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य : समाजवाद लाने का ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब आपकी शक्ल देखता हूं तो लाने में फर्क नजर आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर ।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 1972-73 के वर्ष के लिए वित्त मंत्रीजी के भाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर मैं कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं यह कह

(श्री शिवचरण माथुर)

दूं कि यह बजट पूर्ण रूप से समाजवादी है अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन यह कह सकता हूं कि यह समाजवाद की दिशा में जाने का अच्छा कदम है तो अत्योक्ति नहीं होगी क्योंकि स्वयं वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि वे यह नहीं कहते कि वे पूरा समाजवाद ले आवेंगे किन्तु समाजवाद के रास्ते पर चलने के लिए एक छोटा सा कदम है और उस पर वे ईमानदारी से चलना चाहते हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को, राजस्थान के मंत्रिमंडल को, इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई से जो कदम उठाया है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि राजस्थान की आज वित्तीय स्थिति की जो भयंकर स्थिति है, हमारा फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर की जो दुर्दशा है, उस स्थिति में उस ओर जो कदम उठाया है और आर्थिक कदम उठाने की बात कही गयी है, वह सराहनीय है।

इस मौके पर एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं योजनाबद्ध विकास के जरिये, पांच पांच वर्ष की योजनायें बना कर देश की गरीबी को मिटाना चाहते हैं, विकास को गति देना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमने जो प्रायोरिटीज निर्धारित कर रखी हैं उन चीजों को यों ही बीच में, अधरझूल में, न छोड़ दिया जाना चाहिये। उस ओर हमको थोड़ा सोच समझ कर उनमें परिवर्तन के लिए सोचना पड़ेगा। उदाहरण के लिये पिछले वर्ष हमने जो प्रायोरिटीज रखी है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को पूर्ण करने के लिये जो योजना फोर्मुलेट की थी, तो निश्चित रूप से हमने कुछ प्रायोरिटीज निर्धारित की थी और उन पर काम करना शुरू कर दिया गया था। अब उन प्रायोरिटीज को मिडटर्म में आकर चैन्ज करें तो निश्चित रूप से विकास की गति में बाधा उत्पन्न करना होगा और जनता के मानस में भी सरकार के प्रति एक अविश्वास पैदा होगा।

हमने शिक्षा के बारे में प्रायोरिटीज तय की, मैं स्वीकार करता हूं कि उचित और उत्तम प्रायोरिटीज थीं। विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं उनको एक साथ एवरप्टली ड्राप कर देने की बात कल्पना से बाहर की बात है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था कि इतने स्कूलों के बारे में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, इतनी सड़कों के बारे में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, इतने इर्रीगेशन के बारे में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, इतने माइनर और मीडियम और इतने मेजर इर्रीगेशन वर्क्स के लिए लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इन सबको छोड़ कर अचानक दूसरे लक्ष्यों को प्राथमिक रूप देना उचित नहीं है। मैं वित्त मंत्रीजी का इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनकी आर्थिक कठिनाइयां हैं, वित्तीय कठिनाइयां हैं, इससे अच्छा नहीं कर सकते थे, विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये, अधिक धन व्यय करने की क्षमता नहीं है तो भारत सरकार से ओवर ड्राफ्ट को मिटाने के लिए सहयोग नहीं बनता है तो जो खर्च है उनके बड़े बड़े पैमाने पर उनमें कटौती करनी चाहिये और विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपनी कठिनाइयों को सामने रखते हुए इस

(श्री शिवचरण माथुर)

बात को भूल गये कि जो डेवलेपमेन्ट के कार्य चल रहे हैं उनको सेंट बैंक मिलेगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं।

चुनाव से पहले कई योजनायें ली हैं, कई मीडियम और माइनर और मेजर इरीगेशन वर्क्स को हाथ में लिया, चुनाव के समय जनता से वादे भी किये थे, जहां जाते कहते थे कि गरीबी को मिटाने के लिये यह करना चाहते हैं और उनकी पूर्ति के लिये ठीक चुनावों के बाद उन प्रोग्राम्स को, कार्यक्रम को, तहस नहस कर दें अच्छी बात नहीं है। जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये प्रोग्राम्स कहां गये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं उनको पूरा न करके उनको बीच में छोड़ देना उचित नहीं है। एक प्रोग्राम ले लीजिये। पांच हजार की धन राशि रखी है। वह कितने वर्षों में जाकर पूरा होगा। देहात में जाते हैं, लोगों की दिक्कतें क्या हैं, उनकी बातों को समझ कर इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। अपने खर्च में कटौती करके आप इस ओर प्रयास करें तो अच्छी बात होगी। बहुत बड़े काम हैं, प्लान में रह गये हैं उनको भी पूरा कर सकेंगे।

जब हम लोग चुनावों में गये थे तो जनता ने मेन्डेट दिया था इस बात का दिया था और प्रधान मंत्री ने गर्व से अभिमान से इस बात को कहा था कि गत 23 24 वर्ष के विकास के कार्यक्रमों को हाथ में लेते हुए आगे बढ़ते रहे हैं, देश में जो मौलिक समस्यायें हैं–असमानता को दूर करना, गरीबी को मिटाना और मिनिमम आधार पर बेसिक सिद्धान्त की बात है उसको बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं।

हमारे प्रधान मंत्रीजी ने आज से दो साल पहले अगस्त, 1969 में यह बात कही थी और उसके बाद में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं की तो सम्पत्ति को लेने की बात कही, प्रिवीपर्सेस को हटाने की बात की तो लोगों को विश्वास बना और उस विश्वास के आधार पर देश की विचारधारा बनी कि यदि देश की गरीबी को मिटाने की बात को लेकर हम चलना चाहते हैं तो जो नारा हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समाजवाद का दिया उसके ऊपर हमें साफ विचारधारा लेकर चलना पड़ेगा। इसको एक बहुत बड़ा समर्थन जनता का मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनता ने पूरी तरह से सोचकर कहा है कि यदि देश की गरीबी का इलाज हो सकता है तो वह समाजवाद के द्वारा ही हो सकता है और समाजवाद को लाने के लिए जब हम विचार करते हैं तो हमें मोटे मोटे मुद्दों के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवाद को लाने के लिए बड़ी बड़ी बातों के ऊपर हमें एकमत होना पड़ेगा और इस दिशा में एक बात बहुत साफ तौर से सोचनी चाहिए कि समाज में आज दो तरह के वर्ग उपस्थित हैं। इन दो वर्गों में से एक तो शोषित वर्ग है और दूसरा है शोषक। यदि इन दो वर्गों के बारे में आप स्पष्ट नहीं हैं तो फिर मैं समझता हूं कि समाजवाद नहीं आ सकता। यदि इन दो वर्गों के बारे में आपका दिमाग साफ हो जाता है तो समाजवाद की दिशा में हमारे सही कदम जा सकते हैं। आ ज

Page No 64

(श्री शिवचरण माथुर)

की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए आप क्लास स्ट्रगल को कितना पैना करें, उसका क्या स्वरूप आप बनायें, इससे हमको फायदा हो सकता है लेकिन वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि हमारी समाजवाद की कल्पना एक थोथी कल्पना है और हम इस दिशा में सही रूप से आगे नहीं बढ़ सकते । मैं मानता हूं कि केपेटिलिस्ट इकानामी में चलने वाले देश भी ऐसा रिफार्म कर सकते हैं लेकिन समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले देश यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वह समाजवाद नहीं है। इसलिए आपके बजट भाषण में कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को स्वीकृति होनी चाहिए और आप स्वीकार करने की बात जब तक नहीं कहते तब तक समाजवाद के बारे में बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। समाजवाद के मौलिक सिद्धान्तों की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है और हम ऊपर से आगे बढ़ने की कल्पना करते हैं. लेकिन जो भी कुछ है एक अच्छा प्रयास है।

दूसरी बात समाजवाद को लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज हम पूंजी का केन्द्रीयकरण कुछ लोगों के हाथों में देते हैं या आम लोगों के हाथों में देते हैं। आज देश में और राजस्थान में भी जो भी हमारा पैटर्न है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, पूंजी के उत्पादन का, उस सारे पैटर्न को आपने देखा होगा। आपने कहीं भी पूंजी पर रोक नहीं लगाई और जिनके हाथों में अधिक पूंजी है उनके हाथों से लेकर गरीबों में या समाज के नीचे वर्ग में बांटने का प्रयत्न नहीं किया है। आज भी हकीकत है कि देश में चन्द लोगों के पास पूंजी का केन्द्रीयकरण हो गया है। एक कमीशन की रिपोर्ट है जो कि आज से 4-5 साल पहले प्रकाशित हुई थी, जिसमें कोई राजनैतिक दल का सदस्य नहीं था बल्कि उसमें आई. ए. एस. आफिसर्स थे। उस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा है कि इस मुल्क में 63 घराने ऐसे हैं कि जिनके पास में करीब 1500-1600 करोड़ रुपये की पूंजी है उसके आधार पर सारे समाज का, सारे देश का व्यापार है वह जो राष्ट्र की सम्पत्ति है, उसको हड़पने की उनके दिमाग में रहती है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि यह 63 घराने हैं उनके बारे में भी हमें अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है इसलिये उनके पास केवल 1400 करोड़ रुपये की ही पूंजी नहीं है बल्कि इससे भी कहीं अधिक 2800 करोड़ रुपये की पूंजी उनके हाथ में है। तो साफ तौर से स्वीकार करना चाहिए कि इन लोगों के पास जो पूंजी केन्द्रित है उनके लिए हम बैन लगायें कि उनको कोई नया उद्योग नहीं खोलने दिया जायगा उनको इसकी इजाजत ही नहीं मिलेगी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : और उनको फैसेलिटीज भी नहीं देंगे।

श्री शिवचरण माथुर : हां, आपने कहा है इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। तो मैं कह रहा था कि इन 63 परिवारों में इतनी बड़ी पूंजी उनके हाथों में है लेकिन आपने देखा होगा, आप राजस्थान का इन्डिस्ट्रियल पेटर्न देख लें। आने वाले पांच सालों में

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान में कम से कम 500 करोड़ रुपये लगने वाले हैं। विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया, झोटवाडा इन्डस्ट्रियल एरिया, कोटा को ले लीजिए सारा जो इन्डस्ट्रीयल काम-प्लेक्स राजस्थान का होगा वह शायद एशिया के बहुत बड़े इन्डस्ट्रिल काम्पलेक्स में होगा और यह जो 500 करोड़ रुपये की पूंजी है इसमें कितने आदमियों को, आपने अधिक से अधिक छोटे आदमियों को, लगाने की कोशिश की है ? मेरा मानना है कि यह सब बड़े बड़े लोगों को लगाने की बात है। इसलिए मौलिक बातों पर हमें बहुत साफ-साफ सोचना चाहिए। आप कह सकते हैं कि उद्योगों को लाईलेन्स देने की बात तो भारत ...कार की है लेकिन मैं आपसे कह सकता ...यदि आप अपना दबाव डालें और ... बात को स्पष्ट रूप से भारत सरकार ...कहें कि जितने हमारे रिसोर्सेस हैं उनका ...योग करने के लिए हम लोग इस प्रकार आगे बढ़ना चाहते हैं तो भारत सरकार निश्चित रूप से आपकी बात को मानेगी और मैं नहीं मानता कि वह आपको इन्कार करेगी। लेकिन हमें तैयार होना चाहिए। इस तरह का इन्डस्ट्रियल पैटर्न जो कलकत्ता और बम्बई में पैदा हुआ राजस्थान में भी पैदा होगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन राजस्थान को पछताना पड़ेगा।

आज कोटा का इन्डस्ट्रियल पैटर्न राजस्थान के लिए कलंक है। डी. सी. एम., जे. के. और दूसरे उद्योग जो वहां पर हैं 100 करोड़ रुपये का इन्डस्ट्रियल पैटर्न ऐसा डेवलप हुआ है जो कि शोषण का केन्द्र बन गया है। कोटा के अन्दर सारी मशीनें बाहर के काम करने वाले बाहर की, पूंजी बाहर की और छोटे छोटे टेक्निशियन्स बाहर के और वर्कर्स भी बाहर के। राजस्थान के इन्जीनियर्स से एलर्जी है और फिर मजे की बात यह है कि उनको 3 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं, आप सस्ती बिजली दें, सस्ता पानी दें और सुविधायें लेकिन यह सुविधायें इन्डस्ट्रीज को अच्छी फुटिंग के बाद नहीं रहनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गरीबों की जेब काटकर अमीरों को पनपाने वाली बात आप करते हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रारम्भ में आप इन्डस्ट्रीज को लाभ दें, उनको सस्ते रेट पर बिजली दें, लेकिन दस साल के बाद में यह सब नहीं होना चाहिए...

श्री भरतलाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय शिवचरण जी विद्युत् मंत्री थे तो क्या इन्होंने इस बात को नहीं सोचा ?

श्री शिवचरण माथुर : सोचा था और कार्यवाही की थी। 3 पैसे के बजाय 9 पैसे वाली बात मैंने कही थी इसलिए मैं अपनी मान्यताओं के आधार पर कह रहा हूं यह नहीं कि पहले मैं कोई बात कहता था और आज दूसरी बात कह रहा हूं। आज एक इन्डस्ट्री जब अपनी पूंजी लगाने के बाद में 300 प्रतिशित प्राफिट करने लगे और सारी की सारी रियायतें सरकार की तरफ से मिले तो यह बात समझ में आने वाली नहीं है।

श्री भरतलाल : व्यक्तिगत वार्ता नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : आज किसान को 1 पैसे के हिसाब से बिजली देते हैं।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं कहूंगा कि राजस्थान एटोमिक पावर बिजली पैदा होती है वह वहाँ की हमारी प्रतापसागर की 8 पैसे या 9-9।। पैसे के हिसाब की है। आप उसको घटा कर सात पैसा, छः पैसा प्रति यूनिट इन्डस्ट्रीज को देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उनको खुले तौर पर लाखों करोड़ों की पूंजी इन पूंजपतियों को देते हैं। इसमें पैसा हमारा, बिजली हमारी, पानी हमारा और लोगों को शोषण करने की खुली छूट दे देते हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्रीजी, आप बहुत भावुक हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपके हाथ में काम सौंपा है, हमारे मुख्य मंत्रीजी भी समाजवाद के अग्रुआओं में से हैं, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय रहते राजस्थान के अन्दर इन अमोर लोगों को इतनी अधिक सुविधाएं देना बन्द कर हमारे समाज को व्यापक आधार दें और इस बात की साफ तौर पर घोषणा करें कि हमारे यहां इण्डस्ट्रियलाईजेशन का पैटर्न क्या होगा ? आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को बिल्कुल ही इन्कार कर दीजिए, जिनके पास पूंजी बहुत इकट्ठी हो चुकी हैं उनको कह दीजिए कि आपको राजस्थान के किसी भी हिस्से में कोई भी पूंजी लगाने का, इण्डस्ट्रीज लगाने का अधिकार नहीं है। यह बात आप स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत बड़ा साधन समाजवादी समाज की रचना का आप तैयार कर सकेंगे, नहीं तो यह समाजवाद का लक्ष्य निश्चित रूप से असफल होगा। आज तक इस बात की दलील दी जाती रही है कि लाइसेन्स भारत सरकार देती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार पर भी दबाव डालें, उन पर वजन डालें, क्योंकि आप भी इस बात के लिए स्पष्ट रूप से पार्टी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस काम को करने की कोशिश करेंगे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि समाजवाद को लाने के लिए जहां एक तरफ आप पूंजी पर नियंत्रण करें वहां दूसरी तरफ यह भी आवश्यक है कि पूंजी के उत्पादन के साधन हैं, उन साधनों पर कब्जा सरकार का और इसी आधार पर उद्योग लगें बात हो। उद्योगों में पैसा देने की ... इस सम्बन्ध में एक बात और ... करनी चाहिए और वह बात यह ... जो पूंजी सरकार द्वारा या सरकार ... फाईनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स द्वारा दी जा... है वह लोन के रूप में नहीं बल्कि इक्वी... पार्टीशिपेशन के तौर पर दी जाय। एक पूंजीपति कोई इण्डस्ट्री लगाता है एक करोड़ रुपये की तो उस एक करोड़ की कैपिटल में से वह मुश्किल से पांच लाख रुपया लगाता है, उद्योगपति अपने पास से अपनी जेब से मुश्किल से पांच लाख लगाता है। जो एक करोड़ की पूंजी लगाई जाती है उसमें से चालीस पचास लाख रुपया तो इण्डस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन से लोन मिल जाता है, बीस पच्चीस लाख रुपया देकर मशीनरी का मिल जाता है, दस बीस लाख के शेयर हमारे द्वारा खरीदे जाते हैं और बाकी कुछ पांच लाख रुपया एक करोड़ की पूंजी में से उद्योगपति अपनी जेब में से लगाता है। इस प्रकार 95 लाख रुपया दूसरों का और अपना

(श्री शिवचरण माथुर)

पांच लाख लगा कर वह एक करोड़ का मालिक बन कर बैठ जाता है और उस रुपये से लोगों का शोषण करता है। यदि आप इण्डस्ट्रीज में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आप इसको रोकिये। आप इसके अन्दर लोन की लिमिट बांध दीजिए और तय कर दीजिये कि दस लाख, बीस लाख या अभी आवश्यकता हो तो पचास लाख कर दीजिये लेकिन जो भी आप सहायता दें, वह आर्थिक सहायता लोन के रूप में नहीं बल्कि इक्वीटि पार्टीशिपेशन के रूप में, शेयर कैपिटल के रूप में हो। इससे इण्डस्ट्रीज पर आपका अधिकार होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे समाजवादी देशों में भी क्या हुआ आप जी. डी. आर. का उदाहरण ले लीजिये। उसने अपने ढंग से कार्य किया रशिया में या चीन की तरह क्रांति के आधार पर समाजवाद लाने की बात नहीं करता, उसने भी इस तरह से नहीं किया जी. डी. आर. ने जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने जब उसके टुकड़े हुए वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी तो उसने अपना इण्डस्ट्रियलाईजेशन लोन के आधार पर नहीं बल्कि री-इवेल्यूएशन के आधार पर किया। उद्योगों को बढाने के लिये जितनी कैपिटल की आवश्यकता थी वह सरकार ने कैपिटल दी लेकिन वह लोन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रकार से हिस्सेदार के रूप में दी। उसमें भागीदार बन कर उसका विकास किया। धीरे धीरे बीस, पच्चीस सालों में वहां सारे के सारे उद्योग सरकार के अधिकार में हो गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर होता क्या है। हमारे मुख्य मंत्री जी जायेंगे, वित्त मंत्रीजी जायेंगे, उद्योग मंत्रीजी जायेंगे, कलकत्ता में सेठों के पास में और घोषणा करेंगे कि हम आपको दावत देते हैं, हम आपको निमन्त्रण देते हैं, कि राजस्थान में आइए। राजस्थान सूना पड़ा हुआ है। कलकत्ता में अशांति है इसलिए इसको छोड़िए, राजस्थान में चलिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसा करना छोड़िए। ऐसा करके आप समाजवाद के सिद्धांत को खत्म कर रहे हैं, समाजवाद के नारे को खराब करना चाहते हैं अगर हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हम समाजवाद की बातें तो करते रहेंगे लेकिन सच्चे माने में समाजवाद के नजदीक नहीं पहुंच पायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी धन दें वह लोन के रूप में नहीं लेकिन इक्वीटि पार्टीशिपेशन के रूप में, शेयर कैपिटल के रूप में दें और अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी उसमें कायम करें। यदि आप यह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छी बात मुझे बजट भाषण में लगी, वह यह थी कि राजस्थान में ओवर ड्राफ्ट है। उस ओवर ड्राफ्ट के बारे में आपने चिन्ता व्यक्त की है और मैं समझता हूं कि राजस्थान की ओवर ड्राफ्ट की स्थिति अवश्य ही चिंतनीय है। 90 करोड़ से ऊपर ओवर ड्राफ्ट है और राजस्थान का विकास अवरुद्ध है। जहां हम इस प्रकार के ओवर ड्राफ्ट को देखें। वहां हमें यहां की भौगोलिक स्थिति को भी देखना होगा। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति विषम है। जहां एक तरफ रेगिस्तान है, 2/3 पोरशन रेगिस्तानी है,

(श्री शिवचरण माथुर)

जहां पर पांच छः इंच पानी पड़ता है, जहां मुश्किल से एक फसल हो पाती है। जहां एक ओर इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है वहां दूसरी तरफ कुछ नदियां हैं जिन पर बांध बांध कर आगे बढ़ सकते हैं। जब राजस्थान में इस प्रकार की पिछड़ी हुई स्थिति है तो इसके लिए हम साफ तौर से भारत सरकार को कह सकते हैं, भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इसको स्पेशल फूटिंग्स पर चलाकर विकास कर सकते हैं। अन्य प्रदेशों के मुकाबले रखकर इसका विकास नहीं हो सकता है। आज यू. पी. है, बंगाल है, बिहार है और दूसरे प्रदेश हैं। जो काफी एडवांस हैं उनके मुकाबले इस प्रदेश को खड़ा करके और उनके मुकाबले ओवर ड्राफ्ट का हिसाब बैठा कर चलें तो शायद वह बात बैठेगी नहीं, वह बात मौजू नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि महरबानी करके इसके लिए प्रयास कीजिए, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, दूसरे मिनिस्टर साहब, उद्योग मंत्रीजी पूरे तौर से फैक्ट फिगर्स के साथ ब्रीफ करें, राजस्थान की जो आज स्थिति है उसके बाबत भारत सरकार पर दबाव डालें और मैं जानता हूं कि भारत सरकार भी दबाव को समझेगी। भारत सरकार पर भी दबाव है, बगला देश की समस्या है और भी समस्यायें हैं लेकिन कम्पेरेटिव आधार पर, तुलनात्मक दृष्टि से जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, उसको देखते हुए स्पेशल फूटिंग्स पर चल कर राजस्थान का किया जा सकता है वरना हमारा विकास पूरा नहीं हो सकता। सदियों तक भी हम राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। इसलिए भारत सरकार से इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए और इसके लिए यदि विधान सभा के अन्दर प्रस्ताव लाने की बात हो तो वह भी लाया जावे, हम उसका स्वागत करेंगे। और भी दूसरी कोई बात आती है तो उसको टैकल करना चाहिए। आपने इस समस्या को हल करने के लिए एक नेशनल डेब्ट्स कमीशन बनाने की बात कही है मैं उसका स्वागत करता हूं। अब तक 643 करोड़ रुपयों का ऋण राजस्थान स्टेट पर है। इस 643 करोड़ रुपये के ऋण को राजस्थान कितने वर्षों में चुका सकेगा, कितनी सदियां और शताब्दियां इसमें लग जावेंगी इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। इसलिए इस सारे के सारे ऋण को आप किसी प्रकार से राइट आफ कराने की व्यवस्था करें। यह भी बहुत जरूरी है कि देश में नेशनल डेब्ट-कमीशन बनाया जाय जो इस बात को देखे कि राजस्थान का ऋण किन हालातों में हुआ है और इसके पीछे कारण क्या थे और राजस्थान उस ऋण को चुकाने की स्थिति में है या नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चहता हूं कि आपकी यह बात स्वागत योग्य है, आप इसके द्वारा आगे बढ़ें और हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करें।

एक बात मैं आपसे और निवेदन करता हूं और वह यह है कि जैसे कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जब आपके पास पैसा नहीं है, धन कमी है, तो निश्चित बात है कि आपको अपने खर्चों में कमी करनी पड़ेगी और खर्चों में कमी करने की बात आती है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खर्चा कम करना पड़ेगा। जिस तरह से आप बजट में टार्गेट्स फिक्स करते हैं, फाईव ईयर

(श्री शिवचरण माथुर)

प्लान्स के टार्जेट्स फिक्स करते हैं उसी प्रकार प्रशासन में भी खर्चों में कमी करने का टार्जेट फिक्स कर दें उस में योजना का खर्चा नहीं लेकिन जो नोन प्लान खर्चा है प्रशासन का उसमें आप एकदम 25 परसेन्ट बजट में कमी करने का निर्णय ले लें। केबिनेट यह बोल्ड डिसीजन लें और मैं यह कह सकता हूं कि आसानी से 25 परसेन्ट आपका खर्चा कम हो सकता है। इस तरफ आप जरा ध्यान दीजिये, कितनी तो आपके पास में मोटर गाड़ियां हैं, उनमें कितना पेट्रोल खर्च होता है और कितनी फिजूल खर्ची होती है। सरकार का बड़े बड़े मकानों पर खर्च होता है। मैं तो कहता हूं कि इस पर आप जरा ध्यान दें तो 25 परसेन्ट खर्चा कम हो सकता है। सेक्रेटेरियेट में आप क्या काम करते हैं? इसका आप जायजा लीजिये। मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरियेट सारे जिलों के प्रशासन का केन्द्रीयकरण करने की दृष्टि से यहां पर केवल आर्डर पास करने वाला है। मंत्री मण्डल नीतियों का निर्धारण करता है और उस पर अमल करने वाली ऐजेन्सी फील्ड में है, डिस्ट्रिक्ट में है। इसलिए सेक्रेटेरियेट में एक्सपर्ट्स सेल्स खुलें और वह सेल यह जांच करे कि जो पॉलिसीज आपने तय की है, उसका इम्पेक्ट फील्ड पर, जनता पर, क्या हो रहा है। आपकी नीतियों का इम्पेक्ट फालो करने के लिए: इसको जज करने के लिए, इसका सेल होना चाहिये। दुनियां के किसी भी देश को आप देख लीजिए, आपको कहीं पर भी इतना बड़ा सेक्रेटेरियेट नहीं मिलेगा। यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप बैठ जाइये और इसको देख लीजिये। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट आती है उस पर आपके चीफ सेक्रेटरी, फाइनेन्स सेक्रेटरी, जी.ए डी.के. सेक्रेटरी बैठ जाते हैं और वे क्या करते हैं, थोड़ी सी हेराफेरी करके उस सारी रिपोर्ट को आपके सामने रख देते हैं। मेरा निवेदन है कि इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी इस काम के लिए बनाई जाये और वह जांच करे कि आपके सेक्रेटेरियेट का ढांचा किस तरह का हो। मैं सेक्रेटेरियेट में रहा हूं और यह कह सकता हूं कि आपके यहां पर कई सेक्रेटेरिज तो ऐसे हैं जिनको यदि आप हटा दें तो भी आपका काम सफर नहीं करेगा। टेक्नीकल डिपार्टमेंट जैसे पी.डब्लू.डी. इरीगेशन, मेडिकल इनकी बात आप अलग रख लीजिये बाकी जो दूसरे डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटेरीज हैं उनके पास एक–दो घंटे से ज्यादा काम नहीं है और ये सेक्रेटरी सुपर टाइम स्केल के सेक्रेटरी हैं। इनके काम का आप अन्दाजा लगा लीजिये। एक-दो घंटे से ज्यादा काम का एवरेज नहीं है वे खुद कहते हैं कि उनके पास काम नहीं है। इसलिए नहीं है कि एडीशनल सेक्रेटरी हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट को बना दिया गया है। सारा काम वे वहीं पर निबटा देते हैं केवल एस्टेबलिशमेन्ट का काम ही इनके पास रह गया है। और इस काम को देखने के लिए आपने सुपर टाइम स्केल के आफिसर को बना रखा है। मैं समझता हूं कि सीनियर आफिसर को आप इम्पारटेन्ट डिस्ट्रिक्ट में भेजें। यह ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार कोई आफिसर सेक्रेटेरियेट में आ गया तो वह रिटायरमेंट के बाद ही वहां से निकलता है। इसलिये इस परम्परा को आप तोड़िये। मैं कहता हूं कि यदि आप यह नहीं करेंगे तो जनता आपको बख्शने वाली नहीं

(श्री शिवचरण माथुर)

है। यह ठीक है कि 25 साल आपने जिस किसी तरह निकाल लिये हैं। अब पांच सालों के लिये यह बेसिक मेन्डेट आपको मिला है और रखिये पांच साल बाद यह बेसिक मेन्डेट आपके खिलाफ जा सकता है। आज बहुत हेवी एडमिनिस्ट्रेशन आपने बना दिया है। मेरा निवेदन है कि एक एक्सपर्टस् सेल आप खोले। यू.एस. को आप देखेंगे, वहां पर इतना बड़ा सेक्रेटेरियट कहां पर है? वहां पर कम्प्यूटरस् काम करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कम्प्यूटरस् यहां पर भी लगाये जायें। मेरा निवेदन है कि यहां पर एक्सपर्टस् को बुलाया जाये और वे सारी पालिसीज को, फारमूलेट होने के बाद उसका इम्पेक्ट हमारे फील्ड में क्या हो रहा है, उसके बारे में सरकार को सलाह दें। पालिसीज को मन्त्री मण्डल बनाता है और उन पोलिसीज का इम्पलीमेंटेशन फील्ड में हो रहा है या नहीं, तो मैं समझता हूं कि इसकी जांच करने के लिये हम आगे बढ़े तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा खर्च आप बचा सकते हैं।

एडमिनिस्ट्रेशन के काम का एक उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूं। 20-8-71 का एक फैसला है, केबीनेट ने एक फैसला किया है कि जितने भी नगरीय, बड़े शहर हैं, म्युनिसिपेलिटीज के इलाके हैं, उन इलाके के लोगों ने खेती की जमीन पर नाजायज कब्जा कर मकान बना लिया है, इस तरह के मकानों को बने आज 15-20 और 10 साल हो गये हैं, अब उनको डिमोलिश करना सम्भव नहीं है, इसलिये बजाय उसको डिमोलिश कर के जनता का डिस-प्लेजर लिया जाये, सरकार यह नियम बनाती है कि उस कार्यवाही को नियमित कर दिया जाये और इसे नियमन करने के लिये आर्डर निकलते हैं। इस आर्डर को आप पढ़ें तो केबिनेट की मंशा साफ है कि एक परटीकूलर डेट के बाद एक परटीकूलर तारीख तक जो अन-आथोराइज्ड कब्जे हुये हैं, उसे हटाने कि हम कोशिश नहीं करते हैं और उसको अब नियमन करने की कोशिश करते हैं। अकेले भीलवाड़ा जिले में इस तरह से एक करोड़ के नोटिस इश्यू कर दिये गये हैं। 53 के साल में पंचायत ने पट्टा दिया उसके बाद उसने वहां पर मकान बना लिये और उसके बाद अब यह कहते हैं कि 53 में पंचायत इसका पट्टा नहीं दे सकती। उस वक्त पंचायत इसके लिये कम्पीटेन्ट नहीं थी इसलिये आज हम देना चाहते हैं। इसमें साफ तौर से लिखा है कि सन् 60 से पहले जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, वे बिना किसी शर्त के रेगुलर कर दिये जायें। पंचायतों ने पट्टा दिया है और उस समय पंचायत का कब्जा नहीं था और वह हल्का आबादी में नहीं आता था। अधिक से अधिक आप यह कर सकते हैं कि बीस गुना लगान आप उससे ले लें और उसको रेगुलर कर दें परन्तु जिस मकान पर 5 हजार केलू नहीं हैं उसको आपने दस-बीस हजार का नोटिस इश्यू कर दिया है और इस तरह से एक करोड की राशि केवल भीलवाड़ा जिले से वसूल करने की बात हो रही है। यह तो केबिनेट की मंशा नहीं थी। मैं भी उस केबिनेट में बैठा हुआ था। फील्ड में जाते हैं तो इस सरक्यूलर का, इस कानून के अर्थ का, अनर्थ लगाया जाता है। एक तरह

Page No 71

(श्री शिवचरण माथुर)

से इस कानून का अर्थ अमीरों के पक्ष में निकाला जाता है। बड़े बड़े लोगों ने पांच पांच मंजिले मकान बनाये हैं उनको आप पहले डिमोलिश करें। परन्तु इसके लिये आपकी हिम्मत नहीं है। आप पहले उसके मकान को डिमोलिश करिये तो गरीब भी कहेगा कि मेरा मकान डिमोलिश करियें आज जो कुछ हम कहते हैं उसे करना होगा तब तो लोग हमारे ऊपर विश्वास कर सकेंगे अन्यथा रिजल्ट आपके सामने आ जायेगा।

इस बजट में जो खेती के माने में आपने सुझाव दिये है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारें देश में आजादी के बाद में, इतने सालों के बाद में कम से कम खेती के मामले में एक आत्मनिर्भरता का वातावरण उपस्थित किया है। आज न केवल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं बल्कि अपने अनाज को दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। राजस्थान का भी इसमें हिस्सा है। आपने जो भी कदम हरित क्रांति को बढाने के लिये सुझाये हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि छोटे किसानों को भी बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिये जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको टेप कर के हमें छोटे किसानों को देना होगा। छोटे छोटे माइनर इरीगेशन हैं। मेरे इलाके में एक जेतपुरा का बांध है जिसकी लागत 80/90 लाख रुपये है। इसके लिये पिछले साल 17 लाख था, इसके पहले 23 लाख का प्राविजन था। और एक साल पहले 2 लाख 60 हजार का प्राविजन था। इसके बाद जितने भी सब डिवीजन थे उनको हमारे चीफ इन्जीनियर ने फौरन तोड़ दिया और वहां के आदमियों को हटा दिया। वहां, मेरे इलाके में ऐसे दो सबडिवीजन थे जो तोड़ दिये गये हैं। 14 असिस्टेन्ट इन्जीनियर, ओवरसीयर सब को हटा दिया गया है। आर्डर हो गया जैसे कि कोई तूफान आ रहा हो तो यह बात जंचती नहीं है और आज के हालात में मौजू नहीं है। जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको टेप करके उसको किसानों के खेतों पर नहीं पहुंचा सके तो आप कैसे बता सकते हैं कि हरित क्रान्ति आने वाली है। मैं नहीं कहता कि पेय जल की समस्या को प्रायोरिटी दी है वह गलत है, मैं नहीं कहता कि शिक्षा को प्रायोरिटी आपको देना है। इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम दो-ढाई करोड़ रुपया वित्त मंत्रीजी आप इसमें रखें। वित्त मंत्रीजी आपकी दक्षता इसी में है कि आप अपने प्रशासन से बचाकर आज का जो प्लान है उसको सप्लिमेंट करें इसमें आप सफल होते हैं तब तो आपकी दक्षता है। प्लस माइनस का हिसाब लगाकर जैसे और वित्त मंत्रीजी किया करते हैं वैसा करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। हमें आप पर भरोसा है लेकिन चूंकि 145 सदस्य कांग्रेस के जनता से चुनकर आये हैं और विरोध थोड़ा रह गया है तो हमारी विशेष जिम्मेदारी है। विरोधियों का काम भी हमें एक तरह से करना है। मैं नहीं कहता कि

(श्री शिवचरण माथुर)
विरोध केवल विरोध के लिये ही किया जाय, लेकिन सुझाव के तौर पर कन्स्ट्रक्टिव प्रोपोजिशन हम सरकार के सामने दें तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अपने कर्तव्य को करेंगे और सही माने में जो लोगों को अपेक्षा हमारे प्रति है उसको पूरा करने में सफल होंगे।

अब मैं बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बिजली के बारे में कहूंगा कि कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपया इस साल बिजली के नाम पर रखा गया है उसमें से 7½ करोड़ रुपया तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन की तरफ से खर्च किया जायगा और डेढ़ करोड़ रुपया बोर्ड का लगाया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आर. आई. सी. स्कीम के आधार पर लग रहा है तो राजस्थान के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पर वह आ नहीं सकती है तो वहां पर बिजली पहुंचाने की कार्यवाही करना है तो डेढ करोड़ से कम की राशि में आप राजस्थान के दूसरे हिस्सों को कैसे बिजली दे सकते हैं? इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही किसी फाईनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से पैसा इकट्ठा करें, चाहे अपने रिसोर्सेज से करें, चाहे दूसरे तरीके से इन्तजाम करें, लेकिन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अलावा जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम है उसमें अलाटमेंट करने की कोशिश करना चाहिये। एक करोड़ की धनराशि तो केवल आप बड़े उद्योगों की रेट बढा कर पूरा कर सकते हैं। आज आवश्यकता नहीं है कि डी. सी. एम. को सस्ती रेट पर बिजली दें, आज आवश्यकता नहीं है कि रेयन फैक्ट्री को सस्ते रेट पर बिजली दें। इसमें एक डेढ करोड़ रुपया बिजली बोर्ड को बच जायगा। यह कहा जाता है कि बड़े बड़े उद्योग हैं इसलिये इनकी सुविधाओं में कटौती कैसे करें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपको बोल्ड होकर करना चाहिए और नए कदम उठाकर काम करना चाहिए। यदि आप एक करोड़ रुपया बढ़ा देंगे बिजली की दरों में तो यह उद्योग राजस्थान छोड़कर कलकत्ता जाने वाले नहीं हैं। उनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं। उनके निहित स्वार्थ हैं कानून के आधार पर हम इन लोगों को टेप कर सकते हैं। आज बहुत से टैक्सेज से लोग एक्जेम्प्टेड हैं। अधिक से अधिक इनको टैक्स करो। हमें मोटे तौर पर उन लोगों से अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करना चाहिए तब तो यह काम चलेगा वर्ना राजस्थान का काम इस तरह से चलने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता पर टैक्सेज का भार सेचुरेशन पाइन्ट पर आ चुका है। अगर उस पर अधिक टैक्सेज लगायेंगे तो उसकी कमर तोड़ने वाली बात करेंगे। आज जिसकी जेब में अधिक पैसा हो उससे पैसा लेकर विकास का काम करें। जो कमाई करते हैं उनकी जेब से पैसा लो और विकास के काम में आगे बढ़ो।

एक बात वित्त मंत्रीजी आप से और निवेदन करना चाहता हूं हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों के मोहल्लों में बिजली और नल की व्यवस्था के बारे में। आपने जो नल के लिए 36 हजार रुपया रखा है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह अपेक्षा आप से करता हूं कि

(श्री शिव चरण माथुर)
आप बोल्डली यह तो कहें कि शहरों के अन्दर अन्दर 1973 के मार्च के एण्ड तक राजस्थान में एक भी हरिजन बस्ती ऐसी नहीं रहेगी जिसमें बिजली नहीं पहुंची हो यह आप बोल्डली कहें। एक महाजनों के मोहल्लों में···

श्री चन्दनमल बैद : पानी के लिए कहा है।

श्री शिवचरण माथुर : बिजली के लिए भी कहें। आज अच्छे मोहल्लों में जिसमें सम्पन्न लोग रहते हैं उसमें स्कीम का जो पेटर्न है वह प्रोवाइड होता है। वहां पर 12 खम्भों को जरूरत है तो 12 खम्भे लगेंगे और उन लोगों के मोहल्ले में यह नहीं होता है। जहां सम्पन्न लोग रहते हैं उनके लिए यह दलील दी जाती है कि वहां पर कनेक्शन-मिल जाते हैं। अगर आपका समाजवादी व्यवस्था में विश्वास है तो निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए कि जो स्कीम में प्रोवाइडेड है वह सारी की सारी हरिजन बस्तियों में, गरीब आदमियों की बस्तियों में होगी और उसके बाद में रिटर्न के आधार पर दूसरे मोहल्लों में ले जाने वाली बात करेंगे। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि एक साल के अन्दर अन्दर 1973 के मार्च के एण्ड तक आप सारे इलाकों में, हमारे राजस्थान में, जितनी हरिजन बस्तियां हैं, जितने पिछड़े हुए लोगों की बस्तियां हैं, उनमें बिजली देने की घोषणा आप करें। घोषणा करने का वक्त है जब कि आप जवाब देंगे। उसके बाद में जब मांगों का आप जवाब देंगे तो उस वक्त आप घोषणा कर सकते हैं मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में आप समाजवाद के नाम पर यह घोषणा कर दें जैसी कि आपने पेय जल के लिए घोषणा की हो। इसी तरह से बिजली के बारे में घोषणा करना चाहिए तब तो मैं समझूंगा कि हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं···

श्री मूलचन्द सामरिया : घोषणा करने से क्या फर्क पड़ता है। करना उनके हाथ में है।

श्री चन्दनमल बैद : यह विरोधी दल की घोषणा थोड़े ही है। सरकार की घोषणा है तो करना पड़ेगा।

श्री शिवचरण माथुर : उद्योगों के संबंध में एक बात कहना भूल गया हूँ। इस बात की आप घोषणा करें बोल्डली और इम्प्लीमेंट करें कि एक करोड़ की लागत पर लगने वाली जितनी भी इन्डस्ट्रीज होंगी वे सारी की सारी को-आपरेटिव सैक्टर या पब्लिक सैक्टर में होंगी। यह बहुत बड़ी बात आप करेंगे। मैं समझता हूं कि एक करोड़ की लागत से चलने वाली काफी इन्डस्ट्रीज होती हैं। अगर आपका पूंजीवाद का खत्म करने का विश्वास नहीं है तो 1 करोड़ की पूंजी की लागत वाले उद्योग 10,20, 25 हजार ही एक आदमी कमा सकते हैं। एक करोड़ से ऊपर के जितने भी उद्योग हैं उन सब के अन्दर को-आपरेटिव सैक्टर में या पब्लिक सैक्टर में उनको लगाने की बात करें।

दूसरी बात हमें साफ तौर से कहना चाहिए कि जितनी भी फाइनेन्सिंग इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे लोन देती हैं, लेकिन उनसे लोन के अलावा इक्विटी केपिटल आपको हमेशा नहीं होने के कारण इन्डस्ट्रीज पनप नहीं सकी हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री शिव चरण माथुर)

5–10 मिनिट में ही खत्म कर रहा हूं। आपने उनको डेढ़ घन्टा दिया है तो आप मुझे पौन घन्टा तो एलाऊ करें।

आप इक्विटी पार्टनरशिप का सुझाव एक्सेप्ट करें। वित्त मंत्रीजी इस बात को सुन लें। मैं यह कह रहा था कि राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उद्योगों को लगाने के लिए जो पूंजी देते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने की नीति हमारी नहीं है। इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में एक बहुत शीघ्र ही एक इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन का निर्माण होना चाहिए जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ है। उन्होंने अपने यहां इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन बना दिया है उसके जरिये से जितने भी नये उद्योग लगते है उसमें पूंजी की तरह से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन करता है और उसमें सरकार का इस तरह से सहयोग होता है। इसलिए अपने यहां पर भी इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन बना देना चाहिए और उसके आधार पर समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए।

मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमको हमारे बजट पेपर्स में सप्लाई किया गया है, आय-व्ययक अनुमान अध्ययन, बजट स्टेडीं के तौर पर यहां पर वितरित हुआ है। उसके आधार पर मैं आपको एक बात निवेदन करता हूं, वह यह है कि पिछले वर्षों में राज्य में औद्योगिक उपभोग आमतौर से आय से कम होता है, वह आंकड़े मैं किताब के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूं। वह यह है, स्टेट इन्कम फ्राम इंडस्ट्रियल सोर्सेज। छोटे उद्योग, स्माल एन्टरप्राइजेज से 1955–56 में स्टेट इन्कम थी, उसका पर्सेन्ट है 14.42, वहां 1960–61 में स्माल एन्टरप्राइजेज से इन्कम हुई 14.07 पर्सेन्ट और वह 1965–66 में घट कर 12.86 पर्सेन्ट हो गई। 1969–70 में वह हो गई 11.33 पर्सेन्ट और 1970–71 में और घट कर हो गई 8.94 पर्सेन्ट। इस प्रकार जहां 1955–56 में 14.42 पर्सेन्ट थी, वह 1970–71 में जाकर स्माल एन्टरप्राइजेज से इन्कम 8.94 पर्सेन्ट हो गई। इसी प्रकार व्यापार, कामर्स व 1955–56 में आमदनी थी, वह कुल आमदनी का हिस्सा था 15.97 पर्सेन्ट, जो 1970–71 में जाकर घट कर 8.78 पर्सेन्ट हो गई। यह मूल कारण मैं समझता हूं कि उद्योगों में पूंजी लगाने की एजेंसी है, जो बड़ी एजेंसी है, वह बैंक है, इंडियन फाइनेंसियल कोर्पोरेशन है, वह बीस हजार की मदद देता है। इससे बड़ी पूंजी लगाने की बात है उसके लिए नहीं है। इस कारण सेन्ट्रल एजेंसी का लाभ पूरे राजस्थान को नहीं मिल पाता है। मैं उद्योग विभाग की इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्डिनेशन रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे विदित होगा कि बाहर की चार फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनसे राजस्थान को क्या मिला है? मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कोर्पोरेशन से हिन्दुस्तान को लोन्स के रूप में 1570.08 लाख मिला, राजस्थान को 10.66 लाख मिला है जो मिल कर कुल का .6 पर्सेन्ट हो जाता है। अब सारे राजस्थान की पापूलेशन ढाई करोड़ है जिसके हिसाब से वह 4.6 पर्सेन्ट मिलना चाहिए। और इस हिसाब से 72.75 लाख मिलना चाहिए

(श्री शिव चरण माथुर)

लोन्स के हिसाब से। अन्डर राइटिंग के लिए 267.50 लाख सारा दिया है, जब कि राजस्थान को एक पैसा भी नहीं मिला है। गारन्टी फार डेफर्ड पेमेन्ट में सारे भारत में 2 0.16 लाख बांटा गया है, जब कि राजस्थान को एक पैसा भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर जो पूरे हिन्दुस्तान में मिला है 1937.74, वहां पर राजस्थान को कुल 10.66 लाख मिला है। जो कुल का 0.55 पर्सेन्ट होता है और 4.6 पर्सेन्ट से 89.55 लाख होना चाहिए। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया एक बहुत बड़ी फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन है। इसकी शाखा राजस्थान में नहीं है। बतौर लोन के (अदर दैन एक्सपोर्ट) सारे इण्डिया को 10737.70 लाख का डिस्बर्समेंट हुआ है, लेकिन राजस्थान को 366.00 लाख मिला है। लोन्स (फोर एक्सपोर्ट्स) पूरे इण्डिया को 1776.00 लाख मिला है, राजस्थान को 62.50 लाख मिला है। लोन्स के अलावा अन्डर राइटिंग एण्ड डाइरैक्ट इन सब्सक्रिप्शन में पूरे इण्डिया को 2298.80 लाख मिला है, जब कि राजस्थान को केवल पांच लाख मिले हैं। गारन्टी में सारे हिन्दुस्तान को बांटा है 2725.09 लाख, जब कि राजस्थान को 278 लाख मिला है। रिफाइनेन्स आफ इंडस्ट्रियल लोन्स में कुल हिन्दुस्तान में 1007.02 लाख मिला, जब कि राजस्थान को केवल 174.05 लाख मिला। इसी प्रकार से रीफाइनेन्स आफ एक्सपोर्ट क्रेडिट में पूरे इंडिया को 1027.40 लाख मिला, राजस्थान को कुल 251.30 लाख मिला। रीडिस्काउन्ट में पूरे हिन्दुस्तान में 6142.10 लाख मिला लेकिन राजस्थान को एक पैसा भी नहीं मिला। इसका मतलब यह हुआ कि इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया से पूरे इण्डिया को एक प्रकार से 34710.07 लाख मिला, डिस्बर्समेंट हुआ और राजस्थान को 1137.4 लाख मिला है। यह स्थिति राजस्थान की है। उस स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न करें तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए। इसका कारण यह है कि बड़ी बड़ी तीन फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया की, जिनमें से एक का भी आफीसर राजस्थान में नहीं है। इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया का आफिसर राजस्थान में नहीं है, इंडस्ट्रियल फाइनेंसियल कोर्पोरेशन का आफिस भी राजस्थान में नहीं है। इसलिए छोटे या बड़े उद्योगपतियों को वहां जाना पड़ता है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार को भी जाना पड़ता है। यदि सरकार कोई उद्योग लगाती है, और इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया या इण्डस्ट्रियल फाइनेंसियल कोर्पोरेशन से लोन लेने की बात होती है तो वहां जाना पड़ता है और उसमें दिक्कत आती है। इसलिए आप इस सुझाव पर विचार करें और अपने स्तर पर बात करके राजस्थान में इनकी शाखायें खुलवाने के लिए कोशिश करें, तो मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ी बात होगी।

बहुत से आवश्यक सवाल हैं, उनके बारे में आपने प्रावधान रखा है, उनमें सबसे अधिक शिक्षा के लिए कार्यवाही की है। उसके लिए तो मैं सरकार को और वित्त मंत्रीजी को बहुत बहुत मुबारकवाद देना

(श्री शिव चरण माथुर)

चाहता हूं। यह राजस्थान का कलंक था, राजस्थान में छः से ग्यारह साल के बच्चों के लिए 1958 में 0.8 पर्सेन्ट शिक्षा की व्यवस्था थी। आजादी के बाद पच्चीस साल में इस दिशा में कुछ कार्य न कर सके—इससे खराब बात क्या हो सकती है, अब उस प्रोग्राम को बहुत हिम्मत के साथ हौंसले से लिया है और यह बात कह कर चलते हैं कि 1975 से हण्ड्रेड पर्सेन्ट छः साल से ग्यारह साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे—यह बहुत बड़ा काम है। ठीक बात है, उसके लिए सरकार को मुबारकबाद दें। इसके लिए भारत सरकार ने मदद दी, आपने उनको कहा, इतना बड़ा प्रोग्राम हाथ में लेने की बात कही, उन्होंने पैसा दिया छः साल से ग्यारह साल के बच्चों को शिक्षा देने के लिए—तो यह बहुत बड़ी बात सामने आई है। इस सदन के अन्दर माननीय सदस्य कहते थे कि प्राइमरी स्कूल उन्नीस हजार बना दिये, उसके बाद में खोलते नहीं हैं, तो अब आपने एक हजार का प्रावधान रखा है जिससे जहां आवश्यकता होगी आप प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं। इसके अलावा मिडिल स्कूल किये हैं। अभी मिडिल स्कूल ढाई हजार हैं और डेढ़ हजार स्कूल में मिडिल स्कूलों की सुविधा प्राप्त है। इस प्रकार अब बीस हजार प्राइमरी स्कूल हो जायेंगे, और बीस प्लस चार इसका मतलब है, एक पीछे चार प्राईमरी स्कूल हो जायेंगे, जब कि राजस्थान के अन्दर अब तक 1 के पीछे दस को सुविधा ही प्रोवाइड कर रहे थे। यह बहुत बड़ा कदम है, इसकी दाद देनी चाहिए और माननीय सदस्यों को मुबारकबाद देना चाहिए। यह भी कहना चाहता हूं कि स्कूल की सुविधा पैदा कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात शिक्षा के अन्दर, शिक्षा के क्षेत्र में है, वह है कि वेस्टेज कितना हो रहा है। राजस्थान में पहली क्लास में बच्चा भर्ती होता है वह पांचवीं क्लास तक नहीं जाता, वह दूसरी, तीसरी, चौथी में ड्राप हो जाता है। यह राजस्थान के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है, इस प्रकार जो 65 पर्सेन्ट का वेस्टेज होता है। उसको मिटाने की आवश्यकता है, मैन पावर के आधार पर और रिसोर्सेज के आधार पर और इसका एक व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1975 तक का रखा हुआ कार्यक्रम है, आपने उसके लिए नियोजन कर दिया है, लेकिन जब तक समाज को साथ लेकर नहीं चलेंगे, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक पैसे का प्राविजन करने के बाद भी, जो आपने 1975 तक का लक्ष्य रखा है वह पूरा नहीं हो सकेगा। बहुत बड़े पैमाने पर जिस प्रकार सामाजिक विकास करने की बात करते हैं उसी प्रकार से शिक्षा के विकास की बात करनी चाहिए। यह कर लिया तो बहुत जल्दी ही राजस्थान हिन्दुस्तान का विकासशील प्रदेश हो जायेगा।

माननीय आचार्यजी ने कहा कि शिक्षा के जरिये बेरोजगारी फैलती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, शिक्षा से बेरोजगारी फैलने की बात कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जितने शिक्षित हो गये उनसे बेरोजगारी बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा के जितने स्कूल हैं, जितने कालेज हैं उन्हें बन्द कर देना

(श्री शिव चरण माथुर)

चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा से बेरोजगारी पैदा नहीं होती है, बल्कि जो जीवन के मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, वह दोषपूर्ण हैं। आज एक व्यक्ति सचिवालय में बैठे, पर्दे के पीछे बैठ कर काम करे तो वह अच्छा काम कर सकता है, उसको इज्जत मिल सकती है लेकिन एक मशीन पर काम करने वाला व्यक्ति है उसको छोटा आदमी माना जाता है। मेरा निवेदन है कि समाज के मूल्यों को बदलना पड़ेगा, इनमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तरफ यह बात करते हैं कि सेन्ट पर्सेन्ट लिट्रेसी हो, दूसरी तरफ यह बात करते हैं तो फिर सेंट पर्सेन्ट लिट्रेसी की कल्पना कैसे की जा सकती है जब कि शिक्षा के द्वारा बेरोजगारी पैदा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि सेंट पर्सेन्ट बेरोजगारी पैदा करने वाली शिक्षा है। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा बढाने के लिए हर पैमाने पर काम करना पड़ेगा, चाहे वह प्राइमरी स्कूल की स्टेज हो, चाहे मिडिल स्कूल की स्टेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी की स्टेज हो। इसलिए यह दलील कि शिक्षा के जरिये बेरोजगारी पैदा होती है, गलत है। इससे बेरोजगारी पैदा नहीं होती है। आप अच्छे मूल्य दीजिये शिक्षा के जरिये। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हमने कहा था कि राजस्थान उन भाग्यशाली प्रदेशों में से हैं जहां तेजी के साथ और अनुभव के आधार पर शिक्षा को देने का काम किया। जगह जगह स्कूलों में मिट्टी का काम, बढ़ई का काम सिखाना शुरू किया। श्रम निष्ठा पैदा करने की भावना विद्यार्थियों में डालने की कोशिश की है। राजस्थान में इन योजनाओं को अच्छी तरह से चलाया जा रहा है। इसलिए कहना कि शिक्षा के आधार पर बेरोजगारी फैलाई जायगी, इसका मतलब हुआ हम लोग शिक्षित हो गए, समाज में अच्छा स्थान प्राप्त किया और दूसरों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। बड़े पैमाने पर शिक्षा के काम को हाथ में लिया जाए और हिम्मत और हौसले से कहिए, हम शिक्षा के जरिये बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं। इसलिए मैं शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए आप को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अंत में मैं बेरोजगार इन्जिनीयर्स के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार इन्जिनीयर्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए, जमाने के लिए काम देने के लिए, कोशिशें की हैं, लेकिन वित्त मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहता हूँ किसी बेरोजगार इन्जिनीयर को एक बात बुलाकर पूछ लीजिए कि जो कुछ सुविधायें आपको हमने दी हैं उनसे वह कितना लाभान्वित हुआ है या शासनतंत्र कितने रोड़े अटका रहा है। तब आपको मालूम पड़ेगा जो आप सोचते हैं शासनतंत्र आपको नहीं करने दे रहा है। इसलिए नौजवानों की भावनाओं को समझिए, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी मदद नहीं करना चाहते। बुलाकर पूछिए, रास्ते में कहां दिक्कतें आती हैं और बड़ी हिम्मत से प्रोसीज्यर से दूर हटकर बड़े पैमाने पर उनकी समस्या का समाधान किया जाए, तब सही मायने में इनका भला होगा, वरना आप दो लाख या तीन लाख एडवांस करेंगे, उद्योग फेल होंगे और आपका शासनतंत्र कह देगा, ये बेकार आदमी हैं। मैं समझता हूँ हिन्दुस्तान का नौजवान समझदार है, आप इसको हरैस मत कीजिए, उसकी क्रीएटिव जीनियस का

(श्री शिव चरण माथुर)
समाज में सही रूप से निर्माण कीजिए। मुझे आशा है, आप कार्यवाही करेंगे और इसके लिए कुछ न कुछ करने वाली बात करेंगे।

टैक्स प्रोपोजल्स जो वित्तमंत्री ने लगाये हैं, वह कड़वी बात नहीं है राज्य का आवश्यक अंग है लेकिन करों की वसूली करने की जो प्रक्रिया है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको सिम्पलीफाई करें। आपकी टैक्स वसूली का जो तरीका होता है, उससे फील्ड आफीसर छोटे आदमियों को परेशान करते हैं। आपको शायद इसका एहसास नहीं होता है। बड़े उद्योगपति अपने पैसे से एक्सपर्ट्स को रखकर इवेजन करने के तरीके निकाल सकते हैं। लेकिन साधारण व्यापारी, गांव का व्यापारी, उसके लिए जो परेशानियां हैं, उनका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इसलिए इस प्रासेस को सिम्पलीफाई करने के लिए आप हमें बुलाइए, हम आपको सुझाव देंगे और जो डेमोक्रेटीकली इलेक्टेड लोग हैं उनकी सुनवाई करें, वे आपको बतलायेंगे कि उनकी दिक्कतें कहां हैं। ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा कीजिए लेकिन स्टेट एन्टरप्राइजेज का आडिट होता है, उसका लाभ हानि का हिसाब भेजते हैं। आपके गवर्नमेंट एन्टरप्राइजेज हैं, उसके जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डाइरेक्टर को आप स्वतंत्रता दीजिए कि हमारे ये लक्ष्य हैं, साल के अन्त को हमें इतना लाभ कमाना है। यह कह दीजिये कि अगर नहीं कमा सकते तो आपको अगले साल बरखास्त किया जाएगा। स्टेट एन्टरप्राइजेज में आप परफोर्मेन्स आडिट की पद्धति चालू करें। अगर परफार्मेंस ठीक नहीं है, तो बरखास्त किया जाएगा। सरकारी तंत्र में इस प्रकार के प्रासेस को लागू करें तो देखेंगे कि जो कुछ पैसा शासन पर खर्च करते हैं उसका सदुपयोग होगा और समाजवाद की ओर बढ़ सकेंगे। उपाध्यक्षजी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं और वित्तमन्त्री को फिर से इस बजट के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल): उपाध्यक्षजी, तीन दिन से 1972-73 के बजट पर सदन में बहस चल रही है और माननीय सदस्यों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। मैंने जो कुछ सदन में कहा है, उसको भी सुना और साथ में बजट का अध्ययन भी किया। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आज की परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था और इसके लिये मैं माननीय वित्तमंत्री को बधाई देता हूं। कर प्रस्ताव हमेशा कड़वे मालूम होते हैं और उससे अलग अलग वर्ग नाराज होते हैं और इसमें कर प्रस्ताव जो आए उनमें कई ऐसे हैं जिनका संबंध ग्रामीण जनता से है। मैं खुद काश्तकार हूं अच्छी तरह से जानता हूं लेकिन जो कर प्रस्ताव आए हैं, आज की परिस्थितियों में ठीक हैं।

जहां तक इरीगेशन चार्जिज का सवाल है, अलग अलग इरीगेशन रेट्स अलग अलग योजनाओं में और अलग अलग जिलों में थे, उन सब का एकीकरण करके बहुत उपयोगी कार्य किया है, नहीं तो आपस में मन मुटाव रहता है कि फलां जगह इस तरह की रेट्स दूसरी जगह इस तरह की रेट्स। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

काश्तकार के लिए सबसे सस्ती खेती होती है बरसात, उससे थोड़ी महंगी नहरी उससे और अधिक तिगुनी महंगी होती है कुओं की ओर यदि वह 50-60 फीट गहरा हो तो वह बहुत खर्चीली खेती होती है, एक तरफ राज्य सरकार के करोड़ों रुपये योजनाओं पर खर्च करें और उससे कुछ आमदनी न हो, यह इस समय कुछ जचने वाली बात नहीं है क्योंकि हम वित्तीय कठिनाई से गुजर रहे हैं। इन परिस्थितियों का खेती के उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा।

दूसरे जो कर प्रस्ताव हैं वे भी आज की परिस्थितियों में ठीक हैं। किसी बजट को देखने से पहले, उसकी आलोचना करने से पहले, हमें उस समय की परिस्थितियों को जानना पड़ेगा। आज राजस्थान का ओवर ड्राफ्ट 90 करोड़ से अधिक है। राजस्थान पर योजनाओं का जो कर्ज है वह करीब 6॥ अरब रुपये हैं। अकाल की स्थिति इस साल भी हमारे सामने है तो इन कठिन परिस्थितियों में जो बजट बनाया गया और उसमें बहुत सी योजनायें जिनका जिक्र मुझसे पूर्व वक्ताओं ने किया, हाथ में ली गई, यह बहुत ही सराहनीय चीजें हैं और ये योजनायें अपने आप में उपयोगी हैं। राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है, पीने के पानी का अभाव है तो पीने के पानी को इसमें प्राथमिकता दी गई है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स बस्तियों को पानी और बिजली देने का प्रावधान है और बिजलीकरण को आमतौर से सभी क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता दी गई है और बिजली की जो उपयोगिता है उस बारे में मुझे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट बनाया है उसमें उन्होंने धन जुटाने की पुरानी प्रणाली को ही अपनाया है। समाजवादी सरकारें संसार भर में ज्यादा रेवेन्यू जो इकट्ठा करती हैं व अकर साधनों से करती हैं और अकर साधनों का वित्त मन्त्री ने संकेत ही नहीं किया है अच्छा होता इसकी शुरूआत इस साल ही करते और हर साल अकर आय बढ़ती जाती। अकर आय में वन संपदा से, खानों से, सरकारी संस्थाओं से, ट्रान्सपोर्ट से, बिजली से, इर्रीगेशन से, जो आमदनी होती है वह एक तरह से अकर आय होती है। वित्त मंत्रीजी ने इस बात का ध्यान रखा और इस साल नहीं तो कम से कम अगले वर्ष बराबर सरकार कोशिश जारी रखे कि हमारी अकर आय बढ़ती रहे और जनता पर टेक्स का भार कम हो क्योंकि एक तरफ हम यह नारा लगाते हैं कि हम गरीबी और अमीरी के भेद को मिटाना चाहते हैं, अमीरों के पास जितना कुछ है उसको कम करना चाहते हैं और गरीब के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इसका स्वाभाविक असर यह होगा कि करों से आमदनी कम पाई जायगी या दूसरी बात आएगी कि गरीबों पर ज्यादा टैक्सज लगाने पड़ेंगे।

पिछले वर्ष जब हमने करीब 6॥ अरब रुपया योजनाओं पर खर्च किया तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी जांच करें कि जितनी आमदनी उस वक्त हम इन धन्धों से आंक कर चलते थे वह क्यों नहीं हो रही है।

जहां तक मेरा अनुभव और जानकारी है मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसका लेखा जोखा नहीं किया, न इसका मूल्यांकन कराया और न जो घाटे की आज इन उद्योगों की स्थिति बनी हुई है उसकी गहराई में उसके कारणों का पता लगाने के लिये कोशिश की गई है ।

मेरा सुझाव है कि इस सदन के सदस्यों की, दूसरे एक्सपर्टों की और सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जावे जो जितनी भी योजनाएं हैं जिनमें घाटा लग रहा है, रिटर्न मिल नहीं रहा है, आशा के अनुरूप उन सभी में चाहे वे बिजली से सम्बन्धित हों, वन सम्पदा या खान के विकास आदि से सम्बन्धित हों या और दूसरी जगह जितने उद्योग धन्धे खोले हैं, जिनका राष्ट्रीयकरण किया है, उनको हम देखें कि उनमें घाटे का क्या कारण है या जितनी आमदनी हम उनसे मानकर चलते थे उसमें कमी आने का क्या कारण है ?

इसी तरह से दूसरी चीज जो मेरे सामने आई वह यह है कि जब हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो उसी के अनुरूप हमें अपने प्रशासन का दृष्टिकोण भी बदलना होगा, जो नहीं बदल पाया है अभी तक । क्योंकि आगे चलकर ज्यों ज्यों समाजवाद की तरफ आगे बढ़ेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में, सरकार का दखल बढ़ेगा । इसलिये हमारे पास इस तरह की सरकारी मशीनरी होनी चाहिये जो इस काम के लिये एकान्त रूप से जनहित का अपना दृष्टिकोण और लक्ष्य बनाकर चल सके और जो सक्षम हो, भ्रष्टाचार में कितने ही प्रलोभनों के बाद भी लिप्त न हो सकते हों। पर अफसोस है कि इस बजट में इस सबकी कोई झलक दिखाई नहीं पड़ती । इस तरह के प्रशासन के अभाव में हम आगे चलकर समाजवाद स्थापना की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते । हमें ईमानदार, कर्मठ और प्रलोभनों से दूर, जनहित की प्रबल भावना से प्रेरित होकर काम करने वाले, प्रशासन की आवश्यकता है ।

इसके बाद में सवाल आता है इस बजट भाषण में कुछ मुद्दों की बातें वित्त मन्त्रीजी ने कही हैं जो बिलकुल सही हैं कि जनता अब साधारण परिवर्तनों और छोटे मोटे परिवर्तनों से सन्तुष्ट होने वाली नहीं है और अब वह निर्णायक और ठोस नतीजे चाहती है ।

आगे फिर कहा है : इसमें शोषण न हो।

फिर आगे कहा है : "इसके लिये देश की सम्पदा बढ़ना ही काफी नहीं है। इसके उचित बंटवारे की व्यवस्था और आमदनी की असमानताओं में कमी करने की उतनी ही जरूरत है ।"

लेकिन मुझे इस बजट में इस बात की कोई तैयारी नजर नहीं आती क्योंकि समाजवाद का एक प्रबल साधन सहकारिता को हमने कतई तौर से नजर अन्दाज कर दिया है । ठीक है कि कई निर्माणों के लिये हम जिन सहकारी संस्थाओं का आश्रय लेना चाहते थे वे गलत निकलीं या उसका सम्बन्ध किसी सहकार समिति विशेष से हो । पर इसके लिये दोष हमारा है कि हमने उन सहकार संस्थाओं को मजबूत नहीं बनाया । जब तक सहकार समितियों को

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और सहकार विभाग को हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम शोषण से मुक्ति नहीं पा सकते।

हो सकता है आप निकट भविष्य में, जैसा मेरे पूर्व वक्ता शिवचरणजी ने कहा कि एक करोड़ या इससे ऊपर लगने वाली इण्डस्ट्री पब्लिक सेक्टर में ही लगाने का निर्णय करें या कोआपरेटिव सेक्टर में ही लगायें लेकिन आज जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, छोटे छोटे धन्धे हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनमें अगर हम आम लोगों को लगाना चाहते हैं तो इसके लिये सहकारिता के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता।

एक तरफ विज्ञान ने कई कई नई चीजें मनुष्य को दीं पर उसका लाभ जिनको मिलना चाहिये उनको नहीं मिलता। उसका लाभ आज भी जिसके पास अधिक पैसा है उसी को मिलता है। जिसको उसकी ट्रेनिंग है, जिसको पहले से कुछ अवसर प्राप्त हैं और जिनके पास साधन हैं, उन्हीं को मिल रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज मामूली से मामूली धन्धा गरीब आदमियों के हाथ से निकल रहा है और पूंजीवादी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं।

कुछ दिनों से आपके सामने रिक्शा वालों का प्रदर्शन चला। इसके बाद ऑटो रिक्शा वालों का चला और फिर टेम्पो वालों का चला। ऐसे कई मामले हैं। यह तो एक उदाहरण है।

अब इसका कारण क्या है? जब रिक्शा आ गया तो तांगे वाले एक तरह से समाप्त हो गये। उसका किराया रिक्शा वाले के पास चला गया और जब ऑटो रिक्शा आया तो रिक्शावाले का किराया उसके हाथ में चला गया। अब जब टेम्पो आ गया तो पहले पूंजी वालों के हाथ में आ गया जो टेम्पो में पांच दस हजार लगा सकते हैं। गरीब इतनी पूंजी उसमें नहीं लगा सकता। इसी तरह से सुतारों का, लौहारों का और रंगाई छपाई वालों का काम समाप्त हो रहा है। और छोटे मोटे सैंकड़ों हजारों तरह के धन्धे दिनों दिन समाप्त हो रहे हैं।

तो एक तरफ तो हम समाजवाद की बात करें और दूसरी तरफ जो हमने बिजली, सिंचाई, सड़कें आदि के साधन बनाये और बढ़ाये उनका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है और उसका फायदा भी कुछ इने गिने पूंजी वाले लोगों को मिला। ये बातें समाजवाद से मेल नहीं खातीं। छोटे लोगों को लाभ तभी मिल सकेगा जब सहकारी संस्थाएं मजबूत हों।

सहकारिता के बारे में आजकल आमतौर से यह धारणा बन गई है कि इसमें कुछ ऐसे लोगों का एकाधिकार है जो भ्रष्ट हैं, काम करना नहीं चाहते, हरामखोरी करना चाहते हैं। कुछ सीमा तक यह आलोचना सही भी है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इसकी बुराइयों को दूर करना तो हमारा फर्ज है, हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन आपने इस बजट में सहकारिता को पुनः अपने पैरों पर खड़ा करने की बात नहीं कही न इसमें सुधार लाने की बात कही।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इसलिये मैं माननीय वित्तमन्त्री जी से पुन: निवेदन करूंगा कि वे इन मुद्दों पर पुर्नविचार करें। छोटे मोटे प्रस्तावों में छूट दे देना यह सब बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात सहकारिता को पुन: उसके सही रूप में प्रतिष्ठापित करने की है। इसके बिना समाजवाद का स्वप्न अधूरा रह जावेगा।

इसके बाद में और एक प्रश्न आता है जिसका उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है और वह यह है कि सहकारी खेती को हम कतई तौर से भूल गये लगते हैं। 57-58 में सहकारी खेती का बड़ा शोर था। कुछ बड़े बड़े लोगों ने उसका लाभ उठाया। जमीनें भी काफी लम्बी चौड़ी ले लीं ट्रैक्टर आदि साधन भी जुटा लिये ऐसी स्थिति में हम कोई आशा नहीं कर सकते थे कि वे कोई सहकारी खेती के पक्ष में होंगे। यह तो एक तरीका मान लिया गया जिससे जमीन अधिक से अधिक ली जा सके। इसलिये जो होना था वह तो आखीर में जाकर हो कर रहा।

लेकिन अब भी वक्त गया नहीं है। अब अगर हम उनकी दशा को, उनके साधनों को बरकरार रखने के खातिर गरीबों को दंडित करें, उनको उन के अधिकारों से वंचित रखें तो मैं समझता हूं, यह कतई तौर से ठीक नहीं है। सहकारी खेती हमारे देश में नई चीज नहीं है। हमारे जितने सिंचाई कुये थे, पुराने जमाने में वह 4-4, 5-5 परिवार के मिलकर थे और हमेशा सहकारिता के आधार पर खेती करते थे। गांव में पीने का पानी का काम सहकारिता के आधार पर होता था और बहुत से ऐसे काम थे जो सहकारिता के आधार पर होते थे इसलिये यह कहना कि सहकारिता के आधार पर हम सफल नहीं हो सकते हैं यह बिलकुल निर्मूल है। इसके सम्बन्ध में एक सवाल और आता है और वह यह है कि आज सरकार बान्ध, सड़कें और पुलों के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन जो निर्माण करने वाले हैं वह ठेकेदार कौनसी ऐसी चीज हैं—केवल पूंजी है, पैसा है, जिसके कारण बिचौलिये बने हुये हैं। उचित होगा हम इस ओर भी कोई सक्रिय कदम उठायें। जितने भवनों का निर्माण हो, जितनी सड़कों का निर्माण हो, जितने पुलों का निर्माण हो, जितने बांधों का निर्माण हो, जो लोग एक्चुअली लेबर का काम करते हैं उन्हीं को सौंपा जाय और जो सबसे बड़ी अड़चन आती हैं, सुनते हैं और कुछ हद तक सही है कि परसेन्टेज बंधा हुआ होता है—इंजीनियर्स का, ठेकेदार का और वह परसन्टेज इस तरह की श्रमिक सोसाटियां दे नहीं सकतीं हैं। जब कभी श्रमिक सोसायटी का सवाल सामने आता है तो उनको फेल कर दिया जाता है और कह देते हैं ये लोग समय पर काम पूरा नहीं करते हैं। मैं समझता हूं यह गलत है और निर्मूल है। आपके जो बड़े बड़े काम हैं उनको निर्मित करने वाले वे ही मजदूर हैं। इसलिये उन्हीं के द्वारा काम कराया जाना चाहिये और राज्य सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि जो बहुत ही टेक्नीकल काम हैं, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के काम हैं, उनके अलावा तो सारे काम इन श्रमिक सोसायटीज के द्वारा करायेंगे।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उसके बाद खानों का प्रश्न है–इमारती पत्थरों का काम है, मारबल का काम है, चूने का पत्थर है और बहुत से ऐसे पत्थर निकलते हैं जिनमें न पूंजी की आवश्यकता है और न ही टेक्निकल जानकारी की। उस सब काम को साधारण मजदूर करते हैं लेकिन उनके पास 5–10 हजार रुपये नहीं हैं, उनकी विभाग में पहुंच नहीं है। इस कारण बिचौलिया हर खान पर बैठा हुआ है जो अनाप–शनाप लाभ उठा लेता है और गरीब मजदूरों का शोषण करता है। मैं समझता हूं जितनी छोटी खानें हैं उनका ठेका श्रमिकों को दिया जाना चाहिये। जैसे ईंट बनाने का है और जिनका राज्य सरकार लाईसेन्स देती है वह मैं समझता हूं ग्राम मजदूरों को देना चाहिये। इसके लिये आपके समाज कल्याण विभाग को या किसी दूसरे विभाग को शक्तिशाली बनाना चाहिये जो इन कामों में मदद दे सके। उसके बाद प्रश्न आता है जो बहुत ही विवादास्पद है वह है सीलिंग। माननीय मन्त्री महोदय ने कृषि भूमि पर सीलिंग और अरबन सीलिंग की बात कही है। कृषि भूमि की सीलिंग के बारे में जो काश्तकार लोग हैं और या जो उनके समर्थक हैं वे काफी चिन्तित मालूम होते हैं कृषि की जानकारी मुझे भी है। मेरे सारे घर वाले काश्तकार हैं और मैं समझता हूं 18 स्टेन्डर्ड एकड़ पांच सदस्यों के परिवार के लिये काफी है। केवल यह सीमा उन लोगों को नुकसान करती है जो खुद खेती नहीं करते हैं, मजदूरों से काम करवाना चाहते हैं . . .

(सदन में मेजें थपथपाई गईं)

यदि हम सही मायने में भूमि सुधार को लाना चाहते हैं और काश्तकार को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो जो 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमा राज्य सरकार ने तय की है उसको तय करना चाहिये और इसका जोरदार समर्थन इस सदन में जब बिल आये तो करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार को कुछ कठिनाइयां अवश्य होती हैं–जब अनाज पकता है तो उनके लिये उचित व्यवस्था नहीं होती है। कभी गेहूं, बाजरा आदि के भाव 60 रु. क्विन्टल हो जाते हैं तो कभी 30 रु. क्विन्टल हो जाते हैं और कभी 40) रु. क्विन्टल हो जाते हैं और कभी 70) रु. क्विन्टल तक हो जाते हैं तो इस तरह भाव घट जाते हैं और जब उसको खरीदने की जरूरत आती है तो भाव बढ़ जाते हैं–इसका कारण पूंजी का अभाव है, मार्केटिंग सोसायटीज का उनके लिये अच्छी तरह से काम नहीं करना और गोदामों की उचित व्यवस्था नहीं होना है। चूहे और जो कीटनाशक हैं उनसे बड़ा नुकसान होता है, आप समझें कि व्यापारी को नुकसान होता है, व्यापारी को नुकसान नहीं होता है असल में नुकसान काश्तकार को होता है। गोदामों की जो स्थिति है मार्केटिंग की जो स्थिति है, जो पूंजी उपलब्ध कराने का प्रश्न है, मैं समझता हूं राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और मैं समझता हूं राज्य सरकार इस पर ध्यान दे तो जो 18 स्टेन्डर्ड एकड़ हैं वह इसमें जुड़ी हुई है तो इसमें कम नहीं पड़ेगा यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। एक बार जब काश्तकार का प्रश्न सामने आता है उस वक्त यह भी आता है कि काश्तकारों से ट्रैक्टरों से खेती

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
नहीं हो सकेंगी, आधुनिक यन्त्रों से काम नहीं ले सकेंगे कि जमीन पर कुआ नहीं खोद सकेगा। मैं यह समझता हूं यह निर्मूल है और अच्छी से अच्छी जमीन और इस सीमा में वे काम में ले सकते हैं।

उसके बाद सवाल आता है शहरी सम्पत्ति का। मैं समझता हूं शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग यह अपने आप में ज्यादा महत्व-पूर्ण नहीं है। क्योंकि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो शहरी सम्पत्ति पर नहीं व्यक्ति की पूरी सम्पत्ति पर सीलिंग होना चाहिये और हमको यह मानकर चलना चाहिये समाजवाद के अन्दर कुछ लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा तो कुछ का आर्थिक स्तर निश्चित है नीचा जायेगा इस बात से इन्कार नहीं कर सकते और यदि हम सम्पत्ति की सीमा को बहुत अधिक कर देते हैं तो उससे समाजवाद निकट भविष्य में तो नहीं आ सकता है, यह मेरा मानना है। खेती करने वाले लोग हैं, जिनके पास अधिक जमीन है, दूसरों से खेती करवाते हैं-ठीक है उनका काम घृणित जरूर है लेकिन उससे ज्यादा घृणित काम उनका है जो पूंजी की मीठी छुरी लेकर गरीब आदमियों को, गरीब मजदूरों को बेरोजगार बना रहे हैं। आज जिसका जिक्र माननीय वित्त मन्त्री जी ने किया है लोहार का, रंगाई का, छपाई का, सुनार का, जितने लोग हैं इन सबका धन्धा मशीन छीन रही है और पूंजी की ताकत पर छीन रही है और एक समय ऐसा आयेगा जब हाथ से काम करने का उनके पास कोई साधन नहीं होगा और न उनका किसी प्रकार का रोजगार चलेगा और उसी का परिणाम यह हो रहा है। पुराने समय में जो परम्परा थी उसको छोड़कर फौज खड़ी हो रही है जो यह कह रहे हैं हमको खेती की जमीन दी जाय। एग्रीकल्चरिस्ट की जो डेफिनेशन है वह इस तरह की बनाई जानी चाहिये जो कृषि अपने हाथ से करता हो, जो बिना भूमि का हो, जो भूमिहीन किसान हो, भूमिहीन मजदूर हो जिसका पेशा हमेशा खेती में काम करना रहा हो या नये एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स हों या दूसरे व्यक्ति हों जिसने खेती कभी नहीं की लेकिन खेती को सही माने में अपनाना चाहते हैं, खेती का काम करना चाहते हैं, उनको तो उसमें लेना चाहिए और सारी दुनिया बेकार और बेरोजगार हो रही है। इसलिये उन सब को ही खेती पर लगाया जायगा तो मैं समझता हूं, देश में गरीबी और बेकारी, बेरोजगारी को और बढ़ाया जायगा। किसी देश में यदि ज्यादा काश्तकार हैं तो यह उस देश की पिछड़े पन की निशानी है, यह उन्नत देश की निशानी नहीं होती है। इसकी परि-भाषा करके जिनके पास खेती रहे या जो वास्तव में खेती करना चाहते हैं, किन्तु ऐसे लोग नहीं जिनके पास करोड़ों की सम्पत्ति हो, जिन्होंने अच्छे 2 बगीचे बना रखे हैं, उनके बजाय दूसरे लोग जो खेती करना चाहते हैं उनको इसमें लगाना चाहिये।

शहरी सम्पत्ति की सीमा क्या हो? आम लोगों को शोषण से बचाना चाहते हैं तो कुल सम्पत्ति की सीमा, हो सकता है कि दो तीन साल तक कुछ सदस्यों और लोगों के, जो प्रभावशाली हैं, गले न उतरे, कुल सम्पत्ति की सीमा एक लाख रुपया होनी चाहिए जिसमें 25 हजार रुपये रहने के मकान के लिए और 75 हजार रुपये पूंजी के लिये। प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये एवरे

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

धन्धे के लिये मिल जाता है। चार पांच हजार रुपये औसत उद्योग में लगा दें–एक व्यक्ति को काम पर लगाने के लिए काफी है। 75 हजार से ऊपर जिसमें लागत हो ऐसे बड़े कारखाने कोआपरेटिव सैक्टर में चले जावेंगे। और एक करोड़ से और पचास लाख से ज्यादा हों वे सब कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में होने चाहिये। सही समाजवाद तो उस दिन आवेगा जब यह व्यवस्था की जायगी। इस साल भूमि सुधार कर ले तो क्या उससे समाजवाद आ जावेगा? नहीं आवेगा। खेती पर से हटा कर लोगों को उद्योग धन्धों की ओर लगायेंगे तब ही समाजवाद आ सकता है। हम यह सोचते हैं कि पन्द्रह साल तक तो सोते रहे और अब शहरी सम्पत्ति पर, मकानों पर, केवल सीमा लगा दें तो क्या उससे समाजवाद आ जावेगा और काम बन जायगा? नहीं बनेगा। यह तो आंखे पुछाने जैसी बात होगी। गरीबी दूर करने की बात नहीं। मेरा यह सुझाव है कि कुल सम्पत्ति की सीमा एक लाख रुपया होनी चाहिये। 25 हजार रुपया तो रहवास के मकान के लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया। जिसमें प्लाट की कीमत नहीं होनी चाहिये। उसमें अन्तर है, कहीं पांच हजार रुपये में प्लाट मिलता है, कहीं पचास हजार रुपये में मिलता है। इसलिये मकान की लागत के हिसाब से यह चीज करनी पड़ेगी तब ही सही माने में समाजवाद लावेंगे। इसका एक दूसरा फायदा यह होगा कि सरकारी अधिकारी हैं और दूसरे लोग हैं, इन्जीनियर, डाक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और कलाकार इनको छोड़ कर किसी की भी तनख्वाह 1500 माहवार से अधिक नहीं होनी चाहिए एक तरफ तो हम समाजवाद की बात करें जिसमें रहने के लिये मकान नहीं, पहिनने के लिये कपड़ा नहीं, बीमार पड़े तो दवा दारू के लिये पैसा नहीं और पेट भरने के लिये साधन नहीं और दूसरी तरफ करोड़ों रुपयों की आमदनी, यह बात कभी भी नहीं चल सकेगी।

एक बात और कहूंगा। सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये किसी राज्य के लिये जरूरी है और हमारे पास जो बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं बन चुकी हैं, उनको बनाना चाहिये और राजस्थान नहर प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि अकाल की विभीषिका दूर की जा सकेगी। लेकिन आज शौक सा हो गया है। छोटे छोटे नाले सात-सात, आठ-आठ जगह बांध दिये गये हैं और पन्द्रह साल से उनमें पानी नहीं आता है। एक तो राज्य सरकार का अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है और दूसरी तरफ उस नाले पर, निचले स्थानों पर कुए हैं वे सब सूख रहे हैं और उनका पानी कड़वा हो रहा है। बड़ी योजनाओं के अलावा छोटी योजनायें हैं, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में पहले योजनायें बनीं उनसे कितनी आमदनी होती है, उन पर कितना खर्चा हुआ है और भविष्य में कौनसी योजना हो, उसके लिये कमेटी बना कर जांच करवानी चाहिये। यदि नहीं होता है तो लाखों रुपये खर्च करने के बाद ऐसी स्थिति में पहुंच जावेंगे कि अकाल की विभीषिका और बढ़ेगी और कुछ अर्से में हरे भरे क्षेत्र वीरान हो जावेंगे और पीने का पानी भी उन क्षेत्रों में नहीं मिल सकेगा। यह मैं मेरे गहरे अनुभव के आधार पर कह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रहा हूं। निजी आमदनी के क्षेत्र हैं। नदी नाले जिनसे खेती होती है, पीने का पानी मिलता है ऐसे क्षेत्रों के बीच में ये आये हुए हैं कि जहां आस पास में मरुस्थल है। पहले भी बात हो गयी। पहले भी एक कमेटी राज्य सरकार ने बिठायी लेकिन पक्की सिफारिश सरकार से नहीं की। नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसे बांध स्वीकृत हो रहे हैं जिनकी उपयोगिता के बारे में आशंकायें हैं और जिन परिणामों की कल्पना की वे ही परिणाम सामने आने वाले हैं।

एक बात नल कूप के बारे में। वित्त मंत्री जी ने कहा कि 400 नल कूप खुदवायेंगे और एक नल कूप को एक व्यक्ति को या कुछ मिल कर लेंगे तो उनको देंगे। 18 एकड़ का सीलिंग करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति को नहीं देना चाहिये क्योंकि जितना भी पानी अपने उपयोग में लेने के बाद बचेगा आधे हिस्से में, आस पास के लोगों को देगा और उनका शोषण करेगा। जितने नल कूप बनाये जा रहे हैं, नल कूपों को समूह में खोदना चाहिये, स्थानीय व्यवस्था होनी चाहिए और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है वे उपलब्ध होने चाहिये। आम शिकायत यह आती है कि फसल पकने के समय पानी की आवश्यकता होती है तब नल कूप बन्द हो जाते हैं। यह कठिनाई तब ही दूर कर सकते हैं जब रिपेयर करने वाला वर्कशाप आसपास दस मील के अन्दर हो। राज्य सरकार कोई योजना बनाये तो इसका ध्यान रखना चाहिये। नल कूप बहुत से बने बेकार पड़े हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। एक तरफ अकाल की स्थिति है, चारे का, पीने के पानी का अभाव है और नल कूप जिन पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो गए बेकार पड़े हुए हैं, मैं यह अच्छी स्थिति नहीं मानता हूं।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में पशुधन के ऊपर काफी बल दिया। पश्चिमी राजस्थान के बारे में जब मैं सोचता हूं तो कुछ प्रश्न सामने आते हैं कि पशुधन बहुत अच्छा है, पशुपालन एक धन्धा है। बहुत फायदे का धन्धा है। खेती का धन्धा लाभदायक नहीं है। लोग पुराने धन्धे में पड़े हुए हैं, खेती के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। पशुओं से दूध और चमड़ा मिलता है। उस पर पूरा मूल्य नहीं मिलता है इसलिये पशु नहीं पालते हैं। इसलिये पशुधन को आधार बनाया जाय। उस हिस्से में वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन नहीं हैं तो भारत के सम्पन्न प्रदेशों में से एक प्रदेश राजस्थान को बना सकते हैं। कुछ कदम उठाये जा रहे हैं लेकिन इस पर खर्चा जितना भी करेंगे बेकार नहीं जावेगा और इससे अधिक लाभ पहुंचेगा। अकाल पर 1½ अरब रुपया हम खर्च कर चुके हैं आगे के लिये हम शीघ्र बच सकते हैं। यह अकाल के लिये निश्चित हल है और जितना मंहगा आप सोच रहे हैं उतना मंहगा नहीं है।

आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शहरों के अन्दर और गांवों के अन्दर बहुत सी जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे लोगों के किये हुए हैं और उनको हर साल 40–50 रुपये जुर्माना के रूप में पटवारी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और स्थानीय अधिकारी हैं उनको खुश करने के रूप में देने पड़ते हैं । यदि हम इस तरह की योजना बनायें कि उन लोगों को जमीनों का पट्टा मिल जाये और कब्जे रेगुलेराइज हो जायें और राज्य सरकार और स्थानीय संस्थायें हैं, पंचायतें हों, चाहे नगरपालिकायें हों, उनको इससे अच्छी आमदनी हो सकती है । इस ओर समय समय पर कदम उठाये गये और बहुत सी सहूलियतें भी दी गयीं । मैं समझता हूं कि बिना कीमत लिये जमीन लेना कोई अच्छा कार्य नहीं है । ठीक है जो कमजोर वर्ग है उनको आप कम कीमत पर दें लेकिन भिक्षावृत्ति बढ़ाने से देश की तरक्की नहीं होगी । असली तरक्की देश की तब होगी जब लोग खर्चना सीखेंगे और खर्चना सीखेंगे तो कमाना भी सीखेंगे । इसलिए भिक्षावृत्ति बढ़ाने के बजाय अच्छे कार्य-क्रम बनायें। जो भूमि लोगों के गैर कानूनी कब्जे में है उनको देने का समयावधि में प्रबन्ध कर दें तो राज्य सकार को अच्छी आमदनी हो सकती है । अभी जितने भी राज्य सरकार के राजस्व के नियम हैं । आज उद्योग धंधों के लिए, मकान बनाने के लिए, अन्य छोटे मोटे सड़कों के किनारे होटल और रेस्टोरेन्ट बनाने के लिए, जमीन कोई लेना चाहे तो कोई नियम नहीं हैं । ये छोटी मोटी होटलें और रेस्टोरेन्ट के धंधे, रोड साइड पर नाई की दुकानें, जगह जगह सडकों के होने के कारण और लोगों का आना जाना बढने से इसमें काफी गुंजाइश है और मैं यह चाहता हूं कि जो होटलों के लिए या दूसरे किसी कार्य के लिए भूमि खरीदना चाहें तो उसके बाकायदा नियम बनने चाहिए ताकि सरकार को आमदनी हो और इस तरह के धंधे भी बढ़ सकें, पक्के मकान बनाये जा सकें । एक तरफ तो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं हैं और दूसरी तरफ यहां से दिल्ली जायें तो कोई अच्छा होटल नहीं है जिसमें कोई विदेशी खाना खा सके या चाय पी सके । उन विदेशियों को दिल्ली की होटलों में 20–20 और 30–30 रुपये एक खाने के ब्रेकफास्ट के देने होते हैं । एक नहीं बल्कि दस-पन्द्रह होटल इस तरह के अच्छे चल सकते हैं तो इस तरह का प्रावधान हो तो वे भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं और सरकार को भी आमदनी मिल सकती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

शिक्षा के बारे में जो कदम उठाये हैं खास तौर से प्राथमिक शालाओं को और उच्च प्राथमिक शालाओं को एक हजार बढ़ाने का मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा कदम है । राजस्थान में अभी 6 से 11 वर्ष तक के बालक और बालिकायें 58 प्रतिशत ही स्कूलों में जा पाये हैं लेकिन यह 58 प्रतिशत तो हमने क्षमता पैदा की है । वास्तव में देखा जाये तो रेशो बहुत कम है टीचर्स का बल्कि इससे आधा होगा । तो हमको एक तरफ तो यह कार्य-क्रम चलाना चाहिए कि ज्यादा बालक और बालिकायें इसमें आये ताकि हमारी जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा यूटीलाइज कर सकें और दूसरी तरफ हजार प्राथमिक शाला और हजार उच्च प्राथमिक शालाओं के बनाने से जो हमारा अनुपात था सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में वह अनुपात भी ठीक होगा और माननीय आचार्य जी ने एक बात कही कि शिक्षा होने से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
बेकारी ज्यादा बढ़ेगी और शिक्षा प्रणाली के बारे में भी बहुत सी बातें कही जाती हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कैसी भी शिक्षा हो वह व्यक्ति को जो पूरा अंधकार है, अभाव की स्थिति है, जो भेद-भाव और पिछड़ेपन में पड़े हुए हैं उससे आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को बाहर जरूर निकालती है और चाहे शिक्षित बेकारों की फौज हो जाये तो यह हमारा ठेका नहीं है कि हम ही इस देश के शासन को चलायेंगे ठीक है जैसी राज्य व्यवस्था उनके लिए उपयोगी होगी, मैं समझता हूं कि उस तरह की राज्य सरकार व्यवस्था कर भी लेगी लेकिन इनको इस बहाने अंधेरे में नहीं रखा जा सकता क्योंकि शिक्षा से बेकारी फैलती है इसलिए शिक्षा के ऊपर बल नहीं दें। शिक्षा के ऊपर हमें पूरा बल देना है और शिक्षित लोग अपना रास्ता अपने आप ढूंढेंगे, इसमें अपने को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है

हमारी जल प्रदाय योजनाओं पर और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की जल प्रदाय योजनाओं के ऊपर वित्त मंत्रीजी ने इस बजट भाषण में काफी जोर दिया है। यह सही है कि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में पीने के पानी की बडी विकट समस्या है और इसको रेट्स वगैरह के बारे में अभी तय नहीं हुआ है। यह मैं कह देना चाहता हूं, आप बहुत ही ज्यादा समय और धन पीने के पानी को प्राप्त करने के लिए लगाते आये हैं इसलिए इस बात पर हमें नहीं रहना है कि पिलाई को रेट कोई कायम नहीं की जाये। हमको बराबर रेट लेनी चाहिए प्रति परिवार 20 रुपये पीने के और मवेशियों को पिलाये तो इससे अधिक। मैं समझता हूं जितने करोड़ रुपये खर्च होंगे उससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है और जनता की सेवा भी हो सकती है और पशुपालन और खेती—बाडी तरक्की कर सकती है अन्यथा मरु प्रदेश में लोगों का ज्यादा समय पानी लाने में ही बीत जाता है, आधे से अधिक दिन।

आखिर में एक बात और कहूंगा, वह यह है कि हम पंचायती राज को कतई तौर से भूल गये और वित्त मंत्री जी भी उसको भूल गये। पंचायती राज को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे गांवों में न तो चेतना आयेगी और न गांवों के अन्दर नयी योजना बनेगी, न अन्य सोचने के तरीके सामने आयेंगे और इस तरह से गांव कभी भी विकसित नहीं हो सकते। पंचायती राज से जो हम चाहते थे वह प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन पंचायती राज की जनता में चेतना लाने की बहुत बड़ी देन है। तो मेरा कहना है कि पंचायती राज को मजबूत करना चाहिए और आज से 10 साल पहले प्रशिक्षण के कार्य-क्रम और दूसरे कार्य-क्रम चलाये जाते थे, खेती-बाडी के बारे में, इस तरह के नये नये कार्य-क्रम हमें चलाने चाहिए। इसको हमें नहीं भूलना है कि संसार में उदाहरण नहीं मिल सकता कि किसी पिछड़े देश में 20—25 सालों में अन्न उत्पादन को दुगना कर दिया हो। कम से कम यह पंचायती राज संसार के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत हमारा पिछड़ा देश है वह खाद्य के उत्पादन को दुगना कर सका है, इसमें पंचायती राज का हाथ है। शुरू शुरू की नयी खाद, बीज और यंत्रों का प्रचार पंचायत, पंचायत समितियों के माध्यम से हुआ था। गांवों

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
के अन्दर नये नये कार्य करने हैं, पशुपालन डेरी को विकसित करना चाहते हैं, गांवों को सुन्दर बनाना चाहते हैं, अच्छे मकान बनाना चाहते हैं, खेती बाड़ी भी अच्छी हो तो मैं समझता हूं कि पंचायती राज को हमें मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिये एक जोरदार कार्यक्रम राज्य सरकार को बनाना चाहिये। जब नये चुनाव हो जायें उसके बाद में पंचायती राज अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और जिस समाजवादी समाज की हम कल्पना करते हैं उसका बहुत ही उपयोगी और सुन्दर माध्यम बन सके।

एक बात और है सरकार ने अकाल के बारे में बहुत खर्च किया है लेकिन मुझे कहते हुये अफसोस होता है कि राज्य सरकार के पास में अकाल की विभीषिका कम हो इसके लिए कोई योजना नहीं है। योजना केवल इतनी है कि सदन के अन्दर जोरदार मांग होती है कि बांध बनाये जायें, मिट्टी इधर से उधर लाई जाये। मुझे कहते हुये दुख होता है कि जब बरसात होती है तो तगारी और फावड़े वहीं पड़े रहते हैं लेकिन अकाल के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये और जब लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि करोड़ों और अरबों रुपया हो तो अकाल का हल हो सकता है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को एक कमेटी गठित करनी चाहिए अकाल के हल के लिए और अकाल का हल इतना मंहगा नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। बहुत सस्ते में हम अकाल से मुक्ति पा सकते हैं और उसके लिए यदि कुछ योजनायें हाथ में ली जायें तो मैं समझता हूं कि जो हमारे लिए अकाल एक अभिशाप बन गया है इससे हम छुट्टी पा सकते हैं।

एक बात और भी है और वह यह है कि जब हम साधन जुटाने की बात करते हैं तो हमने सेविंग्स की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया है। आप जानते हैं कि गांवों के अन्दर और शहरों के अन्दर शादी विवाह पर, गहनों पर, तरह तरह के कपड़ों पर और दूसरे आमोद-प्रमोद पर अनाप शनाप खर्चा होता है। कोई भी समाज सक्षम नहीं बन सकता जब तक उसमें फिजूल खर्ची रहेगी। एक तरफ पूंजी की असुविधा है, निर्माण कार्यों के लिए पैसा नहीं है, टैक्स ज्यादा वसूल कर नहीं सकते, दूसरी तरफ अनाप शनाप खर्चा करें यह दोनों बात साथ-साथ चलने वाली नहीं हैं। मैं सरकार की कठिनाई जानता हूं लेकिन जनता सब वर्गों के इस रूढ़ीवाद को तोड़ने का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन यह आवश्यक है कि हम इस रूढ़ीवाद से मुक्ति पायें और समाज कल्याण विभाग का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए जो इस तरह के रूढ़ीवाद के विरुद्ध प्रचार कार्य करें। एक तरफ वह अल्प बचत और दूसरी बचत की योजनाओं का जनता में प्रचार करे और दूसरी तरफ कुरीतियां हैं उनसे मुक्ति पाने का एक आन्दोलन चलाएं। जब तक यह नहीं होगा, मैं समझता हूं कि जो पैसा पढ़ाई में, उद्योग धन्धों में, खेती और पशुपालन की तरफ जाना चाहिए वह मैं यह कहूं कि वह पैसा रेत में जा रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसके लिए आपने अपने बजट में कोई संकेत नहीं किया है, मेरा निवेदन है कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहिए था।

आखिर में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। राजस्थान पिछड़ा प्रदेश है, काफी बड़ा इसका क्षेत्रफल है। सड़कें बहुत

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बनी हैं पिछले 25 वर्षों में लेकिन सड़कें और अधिक बननी चाहिए। एक कहावत है:

We have or have not roads but we pay for the roads we pay more if we have no roads.

सड़कें हों चाहे नहीं हों, समाज को सड़कों का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है उस हालत में ज्यादा खर्चा बर्दाश्त करना होता है यदि सड़कें नहीं हों। इसलिए जो सड़कों पर प्रावधान रखा है वह कम है। मैं समझता हूं कि सड़कों पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए, इससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों में हौसला आएगा, तरह तरह के उद्योग पनपेंगे, गांवों की अच्छी 2 चीजें बाहर जा सकेंगी।

तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती मदनकौर।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 1972-73 के परिवर्तित बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते समय वित मंत्रीजी ने राज्य की नाजुक आर्थिक स्थिति का जो स्पष्ट चित्र इस सदन के सामने रखा है, राज्य के वित्तीय साधन सीमित होते हुए भी विकास कार्यों, विशेष तौर पर शिक्षा, पशु धन, पीने के पानी के मद में उल्लेखनीय प्रावधान रखा है-इसके लिए वित्त मंत्रीजी और राज्य सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन राज्य के लिए नए साधन जुटाने में जो अतिरिक्त कर भार कृषि और खेती से सम्बन्धित साज सामान पर लगाया गया है उससे साधारण और मध्यम वर्गीय किसान जो वैज्ञानिक तौर तरीके अपना कर अपनी खेती को लाभप्रद बनाने का प्रयास कर रहा था उसको निरुत्साहित किया है। उपाध्यक्षजी, इस बजट के सम्बन्ध में मेरी कुछ शंकाएं हैं। मैं उनको इस सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं। प्रस्तुत बजट और केन्द्रीय सरकार के बजट के साथ साथ हमारे देश में एक ऐसी अर्थ व्यवस्था है जिसका देश पर, राष्ट्र पर और सारे नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन उस अर्थ व्यवस्था को किसी सदन के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा अभिप्राय उस काले धन से है जो अरबों रुपयों में चन्द व्यक्तियों के हाथों में है जिसे इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा कर रखा है और जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में किसी प्रकार काम नहीं आ रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि वह रुपया हमारे राष्ट्र निर्माण में बाधक के रूप में खड़ा है। उसका तरह तरह से दुरुपयोग हो रहा है। राज्य सरकार को चाहिये कि केन्द्रीय सरकार पर इस सम्बन्ध में दबाव डाले ताकि ऐसे काले धन का कम से कम दुरुपयोग हो अन्यथा हमारे देश की अर्थ व्यवस्था जो पहले ही खोखली हो चुकी है और भी खतरनाक बन जाएगी।

इस बजट में वित्त मंत्रीजी ने कुछ नये कर और कुछ मौजूदा करों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव रखे हैं। कर किसको चुकाना पड़ता है? लगता तो ऐसा है कि जिन पर यह कर लगाया है उन सबको चुकाने पड़ते हैं लेकिन वास्तव में इन करों का भार उन नागरिकों पर पड़ता है जो कानून से बाध्य

(श्रीमती मदन कौर)

हैं और जो कर देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो करों की चोरी करते हैं, वे अपने पास से कर तो देते ही नहीं हैं, उल्टे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर को वसूल कर खुद ही हड़प जाते हैं। मौजूदा कर प्रणाली में वह जन साधारण जो कानून को मानता है, जो शासन को आदर देता है, वह दिन प्रतिदिन दवता जाता है और इसका लाभ वे लोग उठाते हैं जिन्होंने कानून को और शासन को अपने निजी लाभ का तौर तरीका बना रखा है। आज भू-राजस्व और करों की ज्यादातर रकम उन लोगों में बकाया है जो कानून की अवहेलना करते हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शासन और समाज भी उन्हीं की इज्जत करता है, उन्हीं को आदर देता है। एक साधारण काश्तकार किसी वर्ष अपनी भूमि का लगान देने में असमर्थ रहे तो उसकी छोटी सी, नाम-मात्र सम्पत्ति को भी कुर्की लाकर, नीलामी करके वसूली की जाती है। उस गरीब को पटवारी और दूसरे राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के तरह-तरह के अपशब्द सुनने पड़ते हैं, उनकी यातनाएं सहनी पढ़ती हैं और इसके विपरीत समाज के समृद्ध और प्रभावशाली लोगों में जो लाखों रुपयों की बकाया निकल रही है उनको कोई पूछता भी नहीं है और उल्टे ऊपर से उनको समय-समय पर संरक्षण मिलता रहता है।

उपाध्यक्षजी, मैं राजस्थान सरकार के ध्यान में बाड़मेर जिले की कुछ ऐसी कर प्रणाली की जानकारी देना चाहती हूं जिसको किसी सदन की स्वीकृति या समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। इस सदन द्वारा लगाए गए करों की तो चोरी हो सकती है लेकिन उस समानान्तर कर प्रणाली की चोरी नहीं होती और अगर होती है तो उसके लिए समुचित दण्ड दिया जाता है। उपाध्यक्षजी, राज्य में नागरिकों के माल और जान की सुरक्षा के लिए एक पुलिस विभाग है। लेकिन गांवों में एक समानान्तर पुलिस विभाग गांव के असामाजिक तत्वों का है जो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले आम पागीपा नाम का कर वसूल करते हैं। जो पागीपा नहीं देते उनके ऊंट, बैल और दूसरे माल की चोरी कराई जाकर उनको दण्डित किया जाता है ताकि दूसरे लोग पागीपा नहीं देने का साहस ही नहीं कर सकें। और यह सरकारी पुलिस विभाग इस सारे काम को असहाय होकर देखता रहता है या खुद इस काम में अपनी साझीदारी बना लेता है। इसी प्रकार तहसील पचपदरा के किसी किसी गांव में प्रभावशाली व्यक्ति गांव की पड़त भूमि और चरागाह पर पड़ौसी राज्यों के, खास तौर से गुजरात के लाखों पशु प्रतिवर्ष चराते हैं और उनसे चराई वसूल, शुल्क वसूल करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बार बार गत विधान सभा में मैं उठाती रही हूं लेकिन इस सरकार की समझ में ही नहीं आता है कि आखिर यह मामला है क्या। कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं पुनः राज्य सरकार को सुझाव देती हूं कि राज्य सरकार द्वारा बाहर के पशुओं को हमारे राज्य में चरने के लिए आने पर रोक लगाई जावे या उनसे चराई वसूल की जावे। ऐसे ही कुछ प्रभावशाली लोग गांवों में अपने नौकरों अथवा गांवों के गरीब वर्ग के लोगों के नाम काश्त की

(श्रीमती मदन कौर)

जमीन अलाट करा लेते हैं और इस जमीन के बारे में उन बेचारे गरीबों को तो पता तक नहीं लगता। इस जमीन पर काश्त नहीं कराई जाती, उसे घास के बीड़ के रूप में रखा जाता है। इन बीड़ों में कोई पशु घुसे तो पंचायत की फाटक में ले जाने की आवश्यकता नहीं, बिचारे पशु पालकों को मार पीट कर ये प्रभाव शाली लोग उनसे जुर्माना वसूल करते हैं और बाद में उसी घास के बीड़ में गांव के पशुओं को चराकर चराई शुल्क वसूल करते हैं। इस प्रकार गांव में समानान्तर राजस्व विभाग काम कर रहा है, उसने साथ ही ज्यूडिशल अधिकार भी ले रखे हैं।

इसी तरह से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को, उपाध्यक्ष महोदय, ड्राई एरिया घोषित किया हुआ है, बाड़मेर में शराब बन्दी है। परन्तु वहां गांव गांव में डिस्टिलरीज चल रही हैं। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने तो इसे आजीविका का एक साधन बना रखा है। ऐसी बात नहीं है कि इसकी जानकारी आबकारी विभाग को नहीं है। इस काम को गांव का हरेक आदमी जानता है और आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी तो उनसे चौथ वसूल करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे क्षेत्र के बारे में तो मैं अधिक जानकारी नहीं रखती परन्तु बाड़मेर जिले का जन साधारण तो इन असामाजिक तत्वों और सरकारी तबके से भयंकर रूप से आतंकित है। उनका दुःख गरीबी का इतना नहीं है जितना इनके अत्याचारों से। जहां कहीं जायं इन अत्याचारों का विवरण सुनने को मिलता है। हमारी कांग्रेसी सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार गरीबी को मिटाने के लिये वचनबद्ध है। परन्तु गरीबी मिटाने के पहले लोगों को निर्भीक और निडर बनाना आवश्यक है। जिस गरीब नागरिक ने सदियों से अच्छे दिन नहीं देखे वह कब और कैसे निर्भीक बनेगा, कहना कठिन है। अगर राज्य सरकार चाहे और मजबूती से अमल करे तो वह इन बेचारों को रोजमर्रा के अत्याचारों से अवश्य ही छुटकारा दिला सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। प्रति वर्ष कम वर्षा होने के कारण लूणी और उसकी सहायक नदियों पर बड़ी संख्या में बांध बंध जाने के कारण नदी के आस पास के गांवों के कुओं का पानी सूखता चला जा रहा है और गत वर्ष जो जल योजनाएं मंजूर की गई थीं उन पर भी काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे सन्देह होता है कि मौजूदा बजट में पीने के पानी के मद में जो अच्छा प्रावधान रखा गया है वह इस सदन को और जनता को मात्र गुमराह करने का है। अगर राज्य सरकार इस सन्देह को मिटाना चाहती है तो वह यह संकल्प करे और यहां सदन में घोषणा करे कि जो स्वीकृत प्रावधान है वह सारी धनराशि समय पर और सही ढंग से उपयोग में लाई जायेगी और इस स्कीम के लिए विभाग के अध्यक्ष को पूरी तरह से पाबंद किया जायेगा। बाड़मेर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर बार बार अकाल पड़ता है। निरन्तर यह जिला अकाल की चपेट में आता रहता है। यहां

(श्रीमती मदन कौर)

कृषि उपज बहुत ही कम है और वह भी प्रति वर्ष कम होती जा रही है और इस जिले में जहां पीने का पानी नहीं तब सिंचाई की तो बात ही करना व्यर्थ है। लेकिन हाल में सरकार द्वारा उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो प्रयत्न किये गये हैं, उदाहरण के तौर पर मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम हैं। ये वास्तव में सही दिशा में कदम है। परन्तु यह क्षेत्र जो वर्षों से नेग्लेक्टेड था अभी नगण्य है। इसका इतना जल्दी और आसानी से विकास करना संभव नहीं है। इस एरिया को विकसित करने के लिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के लिए सारे कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए, एक उच्चस्तरीय संस्था का गठन करें और बड़े पैमाने पर, जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों को विकसित करने का है, वैसा ही एक प्रोग्राम बनाया जाये और उस पर अमल किया जाये। राजस्थान के पश्चिमी जिलों की अर्थ व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के बजाय पशु पालन पर अधिक आधारित है। इस जिले के लोगों की माली हालत सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि पशुपालन के धन्धे को लाभकारी बनाया जाये। इसके लिए जरूरी है कि पशुपालन और पशुओं से प्राप्त विभिन्न उत्पादनों को एकत्रित करना और उन उत्पादनों को प्रोसेस करना और उनके विक्रय की समुचित व्यवस्था करना जरूरी है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा, जो कृषि प्रधान राज्य हैं, वे भी अब हरित क्रान्ति की उपलब्धि करके आज श्वेत क्रान्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे जिले की थरपारकर व कांकरेज जैसी बढ़िया नस्ल की गायें, मारवाड़ी भेड़ें, मालाना के घोड़े, देश भर में मशहूर हैं। इस नस्लों को सुधारने की बात तो दूर रही बढ़िया नस्ल के पशु प्रति वर्ष पड़ौसी राज्यों में बेचे जा रहे हैं और घटिया नस्ल के पशु हमारे यहां पर लाये जा रहे हैं। इस वजह से हमारे इलाके के पशुधन की नस्ल का तेजी से विनाश होता जा रहा है। सरकार को चाहिये कि वह इस पर नियन्त्रण करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सरकार ने राज्य में एक हजार नई प्राथमिक शालाएं खोलने और एक हजार प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया है। यह वास्तव में सराहनीय है, मैं इसका स्वागत करती हूं। यह निर्णय कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुरूप है। बाड़मेर जिला राजस्थान भर में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है। बाड़मेर जिले में साक्षरता का प्रतिशत सब जिलों से कम है। ऐसी स्थिति में मैं यह मानकर चलती हूं कि इन नई स्कूलों में बाड़मेर जिले को अपना उचित स्थान मिलेगा।

अन्त में, उपाध्यक्ष जी, मैं दो शब्द हमारे विकास कार्यों में जो वित्तीय धन लगाया जा रहा है इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी। बजट प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि ज्यादातर विकास योजनायें जो चल रही हैं वे सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड योजनायें हैं और ये बहुत सी योजनाएं विश्व बैंक से या दूसरी वित्तीय संस्थाओं के धन से चल रही हैं, यह धन हमें अनुदान और कर्जे के रूप में मिलता है। राज्य सरकार तो केवल यह योजना बनाने और उनको इम्प्लीमेन्ट करने की ऐजेन्सी मात्र है। योजनायें तो

(श्रीमती मदन कौर)

बन जाती हैं लेकिन जहां इम्प्लीमेन्टेशन का प्रश्न आता है, उपाध्यक्ष जी, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार क्रियान्विति के प्रति पूर्ण तरह असफल रही है। मेरे क्षेत्र का ही उदाहरण दूं। एक कांकरेज नस्ल का ब्रीडिंग फार्म खोलने का दो वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था। खेद का विषय है कि वह आश्वासन केवल सरकार की फाइलों तक ही सीमित रहा। इसी प्रकार उन्डू से गिड़ा कुंपलिया की नल योजना समदडो से कल्याणपुर की नल योजना और कानाना की ग्राम जल योजना कई वर्षों से स्वीकृत है और वहां पर भी काम धीरे-धीरे चल रहा है परन्तु निकट भविष्य में इन योजनाओं के पूरा होने की सम्भावनाएं नजर नहीं आती हैं। लेकिन इस बार वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में एक बात कही है और वह कुछ उम्मीद बंधाती है कि अब सरकार अपने विस्तारवादी रवैये के बजाय सुदृढ़ीकरण पर जोर देगी। इससे मैं यह समझती हूं कि सरकार एक्शन की तरफ ज्यादा जागरूक हो गई है और आशा करती हूं कि अब राज्य सरकार क्रियान्विति की बात पर अधिक महत्व देगी ताकि अनुदान और कर्ज के रूप में जो धनराशि हमें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से मिली है उसका सही रूप से समय पर उपयोग जनता को मिल सके।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सांमरिया।

श्री मूलचन्द सांमरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो वित्तमन्त्री जी द्वारा राजस्थान की इन्सालवेन्शी पिटीशन जो कि कर्ज के रूप में प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम यह निवेदन करूं कि इस प्रान्त में 80 प्रतिशत किसान और मजदूर हैं। अगर उनका प्रतिनिधित्व इस विधान सभा में और सरकार में सही ढंग से होता, अगर उनकी समस्याओं को और कठिनाइयों को सही ढंग से समझने वाले होते और यह बजट उन्हीं के किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता तो मुख्य मुख्य साधन और मुख्य मुख्य चीजें जो किसानों के लिए होती हैं, उन्हीं पर ध्यान दिया जाता। लेकिन आज इस बजट में दुर्भाग्य की बात है कि जिस किसान का बहुमत राजस्थान में है, उसके किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि ऐसे लोगों के द्वारा पेश किया गया है कि जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है। वित्त मंत्री जी ने स्वयं यह कहा है कि मेरे पास एक इंच भी जमीन नहीं है। जिसके पास एक इंच भी जमीन नहीं है, वह किसानों का दुःख दर्द नहीं समझ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। आज से कुछ समय पूर्व मसूदा साहब ने कहा था कि आज किसान को बाजार में जो चीज कभी 100 रु. में मिलती थी, वह 137 रु. में मिलती है। 100 रु. की चीज पर बाजार में 46% का घाटा आज किसान को होता जा रहा है। आप जानते हैं कि किसान अभी भी कृषि के साइण्टीफिक तरीकों से परिचित नहीं हो पाया है। नयी खाद, नया बीज और सरकार ने इसी तरह से कृषि के लिए जो किया है, किसान को उसका पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं हो सका था। वह लोग अभी उसका तरीका भी नहीं समझ सके थे कि वित्त मंत्री महोदय ने 5%

(श्री मूलचन्द सांमरिया)

रासायनिक खाद पर कर लगाया है। यह उन्होंने कृपा की है। आज किसानों के लिए ट्रैक्टर कितने आवश्यक हैं? बीज लाने के लिए, खाद रखने के लिए, खेत की उपज बाजार में पहुंचाने के लिए, इसके लिए जो सहूलियत थी, उस पर आपने कर लगा दिया है। जो कीट नाशक औषधियां हैं, उन पर भी टैक्स लगाया गया है। यह कई प्रकार से किसानों के लिए घातक होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसका असर पूरे राज्य की कृषि उपज पर पड़ेगा। उस समय हमारे मन्त्रिमण्डल के सदस्यगणों को यह पता चलेगा कि आज हमारी स्थिति किस तरह की है। जो किसान आज बाजार में जाकर कोई वस्तु खरीदता है तो उसको उसकी सवाई ड्योढ़ी कीमत देनी पड़ती है। वह बाजार में जाता है तो उसको उसी दर पर देना पड़ेगा। खेती के लिए सिंचाई की दरों को काफी बढ़ा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसानों को परेशानी होती है तो वह व्यक्तिगत या सरकार के बैंक से ऋण ले लेता है। ऋण लेकर वह कुवां खुदवाकर उपज को बढ़ाता है। वह अपनी जमीन को बनाता है। जो जमीन बंजर है, उसका तो कुछ नहीं लेकिन अगर किसान उसको उपजाऊ बनाता है तो उस पर उसको अधिक कर देना होगा। यह सरकार उसको पंगु बनाकर रखना चाहती है। बजट की स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें मजदूर और किसानों को नेग्लेक्ट किया गया है। बल्कि मैं समझता हूं कि यह बजट पूंजीपतियों और उद्योग-पतियों से मिलकर सरकार द्वारा मजदूर और किसानों पर प्रहार करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि अगर मजदूर और किसान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया गया तो वह आगे बढ़ जायेगा। अगर वह खुशहाल हुआ तो आगे बढ़ कर आन्दोलन कर सकता है। इससे जो पूंजीपति और उद्योगपति मनमानी करते हैं, उनके मनमानी करने का अवसर नहीं मिल सकेगा। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप किसानों के वर्किंग आवर्स को देखें। एक किसान महिला सौरी से उठकर खेत पर काम करने के लिए जाती है। वह अपने बच्चे को रेशम के झूले पर नहीं खेत की मेंड पर छोड़कर काम करती है। उसको इस प्रकार से काम करना पड़ता है। मगर इन लोगों के लाड़ले साहब जब स्कूल जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वह आपको मालूम है? मजदूर और किसान के साथ में आज यह किया जाता है। अगर यही समाजवाद है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा धोखा है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसी बातें करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक महान व्यक्ति ने कहा है कि कोई यह कहे कि पहाड़ उड़ कर आ गया है तो यह माना जा सकता है। लेकिन कोई यह कहे कि किसी ने अपना स्वभाव बदल दिया है तो यह नहीं माना जा सकता है। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों ने ब्युरोक्रेसी का काम किया है, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं, जिनको उनके पदों से हटा दिया गया है, विधान सभा में जिन पर आरोप लगे हैं, वही लोग एक प्रकार की आंधी आई और वे लोग सत्ता के साथ में इधर आ गये हैं। लेकिन क्या उनका स्वभाव बदला है? परिस्थितियों के अनुसार वह अपने आप

(श्री मूलचन्द डांगरिया)

को डाल कर एक प्रकार से, येन केन प्रकारेण सत्ता के ऊपर हावी हो सकते हैं। सत्ता के साथ वह अपने आपको छुपा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों से अब भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व जो चुनाव हुये थे, उस समय बड़े जोर शोर से यह नारा लगाया गया था कि गरीबी हटा दी जायेगी। बेरोजगारी दूर कर दी जायेगी। बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जायेगा।

डाक्टर से मरीज का इलाज कराना चाहते हैं उसके सामने मरीज नहीं है तो किसका इलाज कराना चाहते हैं? कितने बेरोजगार हैं, कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, और कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं और कितने अंशतः बेरोजगार हैं, जब तक इन बातों के आंकड़े नहीं हैं तब तक किसको रोजगार दिलायेंगे? इस तरीके का क्या कोई प्रोवीजन इस बजट में रखा है, जिसके अनुसार आपका क्या प्रोग्राम है, जिसके अनुसार आप बेरोजगारी मिटा रहे हैं?

शिक्षा पद्धति के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता माथुर साहब ने कहा है कि शिक्षा को बढ़ना चाहिए। इसका हरेक आदमी समर्थन करेगा। देश के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिये, लेकिन शिक्षा का जो तरीका है, शिक्षा की जो पद्धति है, वह इस तरह की बनाई जाय कि जिस समय विद्यार्थी स्कूल या कालेज से निकले तो उसको जिस काम में वह दक्षता प्राप्त करे उसके औजारों की एक पेटी मिलनी चाहिये और उसको पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिये और उसको डिग्री देने के बजाय औजार दिये जाने पर जोर दिया जाय जिससे कि वह घर वालों को कमा कर कुछ दे सके। इस तरह से गरीब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके बच्चे बड़ी उमंग के साथ स्कूल और युनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लेकिन जब वे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो मालूम पड़ता है। पढ़ते समय तो वे समझते हैं कि वे बड़े से बड़ा पद लेंगे, नौकरी लेंगे और उससे घर वालों को अच्छी हालत में रख सकेंगे, लेकिन जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो उनको बड़ी निराशा होती है। वृद्ध माता पिता जो उनको खुशी खुशी पढ़ाते हैं उन माता-पिता को वे भार के रूप में समझने लगते हैं। वे इसी प्रकार की शिक्षा-पद्धति में पढ़े हैं तो गुनाह किस का? एक गरीब मजदूर यदि अपने लड़के को मेट्रिक तक पढ़ा देता है तो वह लड़का अपने सिर पर टोकरी लेकर नहीं जा सकेगा। अगर किसी किसान के लड़के को पढ़ा दिया तो हल अपने हाथ में लेकर खेती करने के लिये तैयार नहीं होता है। यह शिक्षा-पद्धति का दोष नहीं तो किसका दोष है अगर आपकी शिक्षा पद्धति ऐसी होती कि किसान के लड़के को आप खेती की शिक्षा देते, उसको प्रैक्टिकल साइड की शिक्षा देते तो शिक्षा पाने के बाद वह अपने खेतों को सरसब्ज करने को तैयार हो जाता। अगर आप किसी लड़के को मिस्त्री बनाकर भेजेंगे तो कम से कम घर जाकर वह कमा कर खा तो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा पद्धति से असन्तोष बढ़ रहा है, लेकिन उस असन्तोष की भी कोई सीमा होती है। आज बेरोजगार लोगों के लिये अगर इस तरह से अवहेलना की गई तो बेरोजगार व्यक्ति वे ही व्यक्ति हैं जो आपसे

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सरकार से मांग करते हैं कि रोटी और कपड़ा दो। उनको दो समय का भोजन चाहिये। भूखों मरता क्या नहीं करता है? जब एक आदमी भूखों मरता है तो वह चोरी भी कर सकता है, भूखों मरता हुआ आदमी और दुष्कर्म भी कर सकता है और उसको रोका जाता है तो वह डाकू भी बन सकता है। अगर, उपाध्यक्ष महोदय ऐसे लोगों की लगातार संख्या में वृद्धि हुई तो मैं समझता हूं कि सरकार और विधान सभा में बैठने वाले लोगों के सामने संगठित होकर मांग करेंगे कि या तो रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो। यदि वे सरकार से जिन्दा रहने के लिये रोटी-रोजी मांगते हैं तो क्या अपराध करते है? नंगों को अपना तन ढांकने के लिये मोटा कपड़ा तो चाहिये आप रेशम पहनें। आप अच्छे से अच्छा खाकर भी जो बेरोजगार गरीब व्यक्ति हैं उनको मोटा कपड़ा और मोटा अनाज, बेजड़ वगैरह की रोटी दो टाइम भी नहीं दे सकते और फिर भी दावा करते हैं समाजवाद का। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे बुरी हालत किसी भी सरकार की नहीं हो सकती है।

इस बजट में आपने देखा होगा कि मजदूरों के लिए कोई भी प्रोवीजन नहीं है। मजदूरों के केसेज 8–8, 10–10 साल तक ट्रिब्यूनल में चलते हैं और जब उनका फैसला मजदूरों के हक में हो जाता है तो भी उद्योगपति उसका पालन नहीं करते हैं। उद्योगपति के पैसों पर पलने वाले लोग, उद्योगपतियों से फायदा उठाने वाले लोग, कभी मजदूरों की तरफ नहीं देख सकेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवाद के नाम पर उद्योगपतियों की सरकार ने किसान और मजदूरों के नाम से इन्सोल्वेन्सी पिटीशन दायर की है। इनके बारे में यदि उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं किया गया तो किसान और मजदूर अपना फैसला खुद करने के लिए मजबूर होंगे और इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। उसकी वजह से उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े खतरे की सम्भावना हो सकती है। आप यह अनुभव स्वयं कर सकते हैं कि कितने मंत्री और सरकार के कितने अधिकारी ऐसे हैं जो कि हफ्ते में एक दिन के लिए एक टाइम भोजन कर सकते हैं? एक दिन के लिए बगैर भोजन के नहीं रह सकेंगे और अगर रहेंगे तो उनके लिये फ्रूट चाहिए, लेकिन एक गरीब के लिए, एक मजदूर के लिये, जो कि धूप के अन्दर तपता है, जिसके पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वह दिन भर घूम फिर कर शाम को बच्चों के पास घर आता है और उस वक्त उसको ज्वार और बाजरी की भी रोटी नहीं मिले तो उसको क्या हालत होगी जब कि आप घी, मक्खन और इंग्लिश वाईन लें! अगर आप समाजवादी हैं तो हाउस में यह कह दें कि राजस्थान में एक भी आदमी भूख से नहीं मर सकता है। इतनी भी घोषणा आप नहीं कर सकते हैं तो फिर डूब कर मरने की बात है, और इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि देश में समाजवाद लायेंगे लेकिन लोगों को दो टाइम की रोटी की भी गारन्टी न दें और फिर भी कहें कि समाजवादी हैं तो फिर डूब मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद क्या है ? इसका पूरा मतलब मैं समझ नहीं सका। आप "समाजवाद" शब्द की जो दुर्दशा इस देश में हुई है, इस प्रान्त में हुई है, वह कहीं भी नहीं हुई है। महात्मा गांधी और नेहरूजी के वक्त में खादी की जो इज्जत हुई तो आजाद होने के बाद जो चोरी करता है, जो जेब काटता है, वह भी सफेद टोपी और खादी के कपड़े पहन कर अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं और जितने भी ब्लेकमार्केटियर्स हैं वे सब खादी की आड़ लेते हैं, उसी तरह से आज समाजवाद का नारा एक फैशन हो गया है, और जो व्यक्ति ब्लैकमार्केटियर्स हैं, काला धन इकट्ठा करते हैं, और भी बुरे कर्म करते हैं अवैध लाइसेन्स लेते हैं वे लोग ही सबसे ज्यादा समाजवाद का नारा लगाते हैं। इस तरह का यह समाजवाद है तो आप समाजवाद के महत्व को घटाना चाहते हैं। लोगों ने गांधी जी को खत्म किया और गोली से उड़ा दिया उसी तरह से यह लोग समाजवाद को निगल जाना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, खून की कमी से मजदूर से चला नहीं जाता है और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे हुए लोगों में अत्यधिक खून होने की वजह से चला नहीं जा सकता है। आपको बलिदान करना पड़ेगा, किसान को खून देना पड़ेगा, मजदूर को खून देना पड़ेगा और तभी समाजवाद आ सकता है। आप चर्बी और अधिक खून से परेशान हैं और किसान और मजदूर खून की कमी से परेशान है।

अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह फरमाया कि मैं पहाड़ से टक्कर लूंगा। एक सेन्सीबल आदमी को पहाड़ से टक्कर नहीं लेना चाहिये और समस्या को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मैंने यह समझा है कि इस समय मुख्य मंत्री जी कम से कम किसान और मजदूर से टक्कर ले रहे हैं जो कि पहाड़ से किसी तरह भी कम नहीं है। उसका नतीजा वही होता है जो कि एक व्यक्ति का होता है जो कि पहाड़ और पत्थर से टकराता है। एक तरफ तो किसान पर टैक्स और एक तरफ मजदूर पर टैक्स लागू करके सरकार की डूब मरने की नीति है। आज किसान पर आप सोशियलिस्ट तरीका लाने के नाम पर टैक्स लगा रहे हैं। किसान और मजदूरों की जेब से 20 करोड़ निकाल कर 10 करोड़ रुपया आपने अपने घाटे में रखा है और सरकार यह 10 करोड़ रुपया अपने ऐशो-आराम पर खर्च करेगी और बड़े-बड़े लोगों की तनख्वाह पर खर्च करेगी। उसमें कटौती न करें और लग्जूरियस कार्यों पर आप पैसा खर्च करें। आज मन्त्री महोदय के लिए एक चार आने की सब्जी लेने के लिए कार जाती है, उस पर दो आने, चार आने का पेट्रोल खर्च हो जाएगा, ड्राईवर जो उसे चलाता है, उसकी तनख्वाह लगेगी। लेकिन उसमें कोई कटौती नहीं की जाती, यह कहेंगे कि यह दस करोड़ रुपया हम नहीं छोड़ सकते हैं। यह क्या दुर्दशा है ? सरकार ने क्या समझ रखा है ? आज जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, इन लोगों को जबर्दस्ती पकड़ कर ब्लड बैंक में इनका खून ले लेकर आप क्यों नहीं बेचते हैं, क्यों नहीं उनका खून बेचकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं ? आप

(श्री मूलचन्द मामरिया)

उनको शराब के नशे में, उनको बेहोश करके, उनका खून खींच रहे हैं। मैं आपको शराबखोरी की मिसाल दूं। मैं आपको एक ठोस मिसाल देता हूं। एक शराबी अपनी औरत के कपड़े लेकर शराब की दुकान पर पहुँचता है, वह दुकानदार को कहता है, यह मेरी औरत की लूगड़ी रख लो, मेरी औरत का लहंगा रख लो और मुझे शराब दे दो, मेरे हाथ पांव टूट रहे हैं, इनमें दम नहीं रह गई है। वह अपनी औरत के कपड़े बेच देता है, शराब पीने की मजबूरी में अपने घर के बरतन बेच देता है। इस तरह वह बीबी के कपड़े, लूगड़ी-लहंगा बेच देता है, घर के बरतन बेच देता है फिर अपना मकान बेच देता है। आप गरीब मजदूर और किसान को मजबूर करना चाहते हैं! यह समाजवादी सरकार कहलाने वाली सरकार किसान मजदूर को मजबूर करती है कि शराब पी-पी कर वह बेघरबार हो जाय, घर के कपड़े, बरतन दे। मेरा निवेदन है कि कम से कम उसके मकान को तो बख्स दें ताकि वह अपना सिर उसके नीचे छिपा सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो सरकार शराब की आय के सहारे चलती है उसको अधिकार नहीं है राज्य करने का। आप यह कहिये कि गांधी जी ने जो कहा है वह गलत कहा है। उनमें तमीज नहीं थी, अक्ल नहीं थी। आप कहिये कि आप ही बुद्धि के ठेकेदार हैं। अगर गांधी जी का नाम लेते हैं तो ईश्वर के वास्ते घोषणा करिये कि आप दस करोड़ रुपये की आमदनी जो शराब से होती है वह नहीं लेंगे। अगर आपको नुकसान होता है तो आप लोगों पर कम्पलसरी पैनल्टी के रूप में कुछ लगा दें, पांच-पांच रुपये आप उनसे चन्दे के रूप में इकट्ठे कर लें, या उन पर टैक्स लगा दें। उन पर अनावश्यक रूप से जिन्दा रहने का टैक्स लगा दें। आप यह कह दें, जो किसान भूखा रह कर जिन्दा रहता है, जो मजदूर भूखा रह कर जिन्दा रहता है उसको पांच दस रुपये देने पड़ेंगे, वह उसे बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन शराब पिलाकर उसको खत्म करना मोरल दृष्टि से और सामाजिक रूप से उसका पतन करना होता है। जो शराब पीता है उसको ऊंचे कहे जाने वाले लोग पास में बैठने नहीं देते हैं। तो शराब के कारण उसके पास कपड़े नहीं हैं, मकान नहीं है और इज्जत नहीं है। आप शराब पिला कर दस करोड़ रुपये की आय के रूप में लेते हैं इससे अच्छा तो यह है कि आप लोगों के अनावश्यक रूप से, भूखा रह कर भी जिन्दा रहने के ऊपर टैक्स लगा दें या उनका खून निकाल लें अपनी ब्लड बैंक में और उसको बेच दें, या यह जो गरीब लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों को आप बेच दें। शराब पिला कर आप इन्सान को खत्म करें, इससे अच्छा तो यह है कि विदेशों को इन लोगों को बेच दें। अगर आपका काम नहीं चलता है किसानों में से, मजदूरों में से, शोषित लोगों में से, जो आप गुलाम हैं और जिन्हें प्रेक्टिकल रूप में आपने गुलाम बना रखा है, उनको विदेश में ले जाकर बेच दें। लेकिन ईश्वर के वास्ते शराब पिला कर जो आप आय करते हैं उसको खत्म कर दें–यदि आप चाहते हैं कि लोग स्वतंत्रता पूर्व रह सकें और आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

समानता का दावा करने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि मजदूरों के बच्चों के लिए पढ़ाई के कितने साधन हैं। आज मंत्री के बच्चों के लिए पढ़ने के अच्छे साधन हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन गांव के किसान और मजदूर का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, वह धूप में बैठकर पढ़ता है। और लू लगने से बीमार पड़ कर खत्म हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस देश में हरिजनों के स्कूल के दो बच्चे लू लगने से मर गये क्योंकि स्कूल में छांह में बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आज इस प्रकार आये दिन बच्चे खत्म हो जाते हैं। इसकी शिकायत हुई तो इन्सपेक्टर उस स्कूल में गया, निरीक्षण किया और उसने यह किया कि उस स्कूल का नाम ही बदल दिया उस स्कूल का नाम बदल कर दूसरा स्कूल का नाम रख दिया और इस प्रकार उन्होंने इसका इलाज किया। एक तरफ गरीब बच्चे पढ़ें लू में, दूसरी तरफ मैं आपको कहता हूं मंत्री महोदय, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, आपके बच्चे सेंट जेवियर में पढ़ते हैं, वहां पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी का है, तो आपके बच्चे ही आफिसर बनेंगे. आर. ए. एस. और आई. ए. एस. बनेंगे, जुडिसियल सर्विस में जायेंगे, इसका नतीजा क्या होगा? आप राजनीतिज्ञ हैं, मंत्री हैं आपकी स्थिति के कारण ही कानून बनाना चाहते हैं, जिससे आपके बच्चों को सहूलियत मिले और गरीब के बच्चों को न मिले और आपके बच्चे शिक्षित बन कर प्रशासन करने वाले बन जायं, या फिर आपके दोस्त पूंजीपति लोगों, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद लेकर राजनीति में आ सकें। आप इस तरह के कानून के लिए नहीं कह सकते कि उससे गरीब किसान और मजदूर का हित होगा। मगर आप किसान और मजदूरों के बच्चों को शिक्षित बना कर उन्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ईश्वर के वास्ते यह घोषणा करें कि यह जो नान-टैक्स पेयर हैं, और जो टैक्स पेयर हैं उनमें आप भेद नहीं करते हैं, आप नान टैक्स पेयर के बच्चों को सलेक्शन के बाद में सहूलियत दे सकते हैं, उनको ट्रेन्ड कर सकते हैं, वह भी आखिर इन्सान हैं, वह कुछ समझ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। वह भी पढ़ाये जाने के बाद में योग्यता हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज गरीब की देश में कीमत नहीं है क्योंकि आपने समाज के अन्दर इस तरह का ढांचा बना रखा है। आज प्रान्त के एक एक पद पर आपके लड़के हैं, साले हैं और भाई-भतीजे बैठे हुए हैं। यह सब सरकारी मशीनरी में हैं, और सरकार जो कानून बनाना चाहती है उसमें बड़े बड़े जो सेठ हैं, आपके दोस्त हैं, इनके हित की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। आज कहीं पर मजदूर का लड़का ऊंचे पद पर है, किसी किसान का लड़का ऊंचे पद पर है–यह आप मिसाल दे सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि कितने आर. ए. एस. और आई. ए. एस. के पद पर शोषित वर्ग में से हैं, कितने किसानों में से हैं, कितने हरिजनों में से हैं, ऐसे कितने लोग आई. ए. एस. और एडमिनिस्ट्रेटर हैं? फिर भी आप कहते हैं समाजवाद की बात। इससे ज्यादा निकम्मेपन की बात नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा सफेद झूठ नहीं हो सकता है, जो आप बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि मजदूरों से रुपया लो, किसानों से रुपया लो क्योंकि उनसे ज्यादा और कौन धनवान

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है ? आप उनको शराब पिला पिला कर अपने वैभव को जिन्दा रखना चाहते हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने 28 पर्सेन्ट का रिजर्वेशन रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने इसमें म्यूनीसिपैलटी के स्वीपर्स की संख्या को जोड़ रखा है ? यह सही है कि यह काम हरिजन ही करते हैं क्योंकि यह इतना गंदा काम है जिसको करने वाला कोई दूसरा मिलता नहीं है। इससे ही हरिजनों का उद्धार हुआ है, झाड़ू लगाने से ही उनका उदर पोषण होता है। दूसरे विभागों में 28 पर्सेन्ट की बात न हो तो एक पद के लिए हरिजनों के अलावा सैकड़ों लोगों की दरख्वास्त आ जाय। हरिजनों और शोषित लोगों के लिए इतनी जगह हैं, यह आपकी महरबानी है कि यह जगह आप हरिजनों के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो आई. ए. एस. आफिसर और मिनिस्टरों के लड़के भी इस जगह आ जायें। आपकी महरबानी है, जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। समाजवादियों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने 28 पर्सेन्ट इसलिए रखा है कि वह झाड़ू दें।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : सैंट पर्सेन्ट हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : सबसे बड़ी बात आपके सामने यह है कि आज गरीब वर्ग के लोगों के सामने शराब के अलावा रूढ़िवादिता बहुत बड़ी चीज है। मेरा निवेदन है कि बजट में समाज में से रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। आज गरीब आदमी के चार लड़कियां हैं तो वह शादी करने के लिए जगह जगह फिरे तो भी वह नहीं कर सकता है। मेरा निवेदन है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, वह इस प्रकार का कार्य करे जिससे समाज के मूल्य बदले। शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता है लेकिन क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए उनकी शादी में दिक्कत आती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कानून हो कि जो इन्कम टैक्स पे करते हैं उनके लड़के लड़कियों की शादी नान इन्कम टैक्स पेअर लड़के लड़कियों के साथ होगी। इससे मजबूर हो कर जो इन्कम टैक्स पेअर हैं उसको नान इन्कम टैक्स पेअर के यहां पर शादी करनी पड़ेगी। आप यह कर दीजिये कि ऐसा नहीं करता है तो उसे नौकरी से हटा दिया जायगा, सरकारी पद पर नहीं रहने दिया जायगा। इससे मैं दावे के साथ कहता हूं कि साधारण व्यक्ति पर असर पड़ेगा सरकार को कुछ कदम इस दिशा में उठाने चाहिए, यह कल्याणकारी सरकार है इसको जनता को मूल्य को बदलने के लिए समझाना पड़ेगा और यह काम भी अपने स्तर पर करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करूं, सदन के नेता ने एक बार कह दिया, हाई कोर्ट का मसला किसी पार्टी ने मेनीफेस्टो में नहीं लिया है, इसको बेसिस बनाकर चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए इस मामले को क्लोज कर दिया। हाई कोर्ट की बेंच के चेप्टर को बन्द करना किसी व्यक्ति को न्याय देना बन्द करना होगा। हाईकोर्ट का मसला यह नहीं है कि जोधपुर से जयपुर में हाई कोर्ट लाने की मांग हो, मांग यह है कि हाई कोर्ट जोधपुर में ही रहे और वहां

(श्री मूलचन्द सामरिया)

और बड़ी बिल्डिग बने। लेकिन जिस प्रकार कलेक्टर, एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर से तहसील पर जाकर फैसला कर लेते हैं, केस आते हैं उसी तरह बैंच जयपुर में रक्खी है, हाई कोर्ट जोधपुर में ही रहे। बैंच जयपुर में रहेगी तो जोधपुर या उस इलाके को कष्ट क्या है? मैं कहता हूं कि अगर हर डिविजनल हैड क्वार्टर पर एक एक बैंच हो तो गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह नीति होनी चाहिए कि हाई कोर्ट की बैंच डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर रहे, इससे सस्ता न्याय होगा क्योंकि गरीब आदमी के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह हाईकोर्ट से न्याय ले सके। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जन-भावना का आदर करते हुये, उन मुसीबत को देखते हुये,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित की जाये। यदि ऐसा किया जाये तो बहुत अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, दौसा एक ऐसा कस्बा है, दौसा, बस्सी, जमवा-रामगढ़, राजस्थान की ऐसी तहसीलें हैं कि राजस्थान के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ विकास हुआ होगा लेकिन इनमें अब तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। पहले जमवा रामगढ़ बन्धे से सिंचाई होती थी, वह सिंचाई के लिये पानी देना बन्द कर दिया गया। यह तर्क दिया गया कि रामगढ़ बन्धे से जयपुर को पेयजल के लिए काम में लाया जाता है। एक पाल उठाकर दूसरी रोक दी जाती है। इसी प्रकार से सरकार ने बनास नदी का सर्वे कराया। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कराया गया है। 13 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। जयपुर, अजमेर और टोंक इन तीनों जगहों के लिए पानी के लिए प्रयत्न किया जाये। जयपुर राज-स्थान की राजधानी है। दौसा, बस्सी और जमवा रामगढ़ इन तीनों तहसीलों में पानी के लिए कोई योजना नहीं है। 71—72 में एक बन्धे का नाम लिया गया था। अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। उसका नाम लेकर कब तक कहा जायेगा इस बजट में से उसके लिए इन्स्टा-लमेण्ट्स में व्यवस्था की जाये। और दौसा में जो कालिज बिल्डिग है, उनको पूरा किया जाये। भाण्डारेज में जल की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के काम को रोक रखा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि भाण्डारेज वालों के साथ ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने अगर कोई गलती की है तो उसके लिए मैं सरकार से माफी मांगता हूं आप भाण्डारेज वालों को माफ करदो। वह आपकी जनता है। उनसे क्या लेना है? उनको क्या प्यासा मारना है? साढ़े 12 हजार में बीज के लिए वहां पर एक गोदाम बनाया है। वह प्लान फेल हो गया। बीज गोदाम वैसा ही पड़ा है तो वह शिक्षा विभाग को दे देना चाहिए। वहां हायर—सेकेण्डरी स्कूल चल सकता है। एग्रीकल्चर का भी काम चला सकते हैं। नहीं तो वह यों ही टूट फूट जायेगा। अगर शिक्षा विभाग को दे दिया जायेगा तो बच्चों के पढ़ने के काम म जायेगा मैंने आपका काफी टाइम लिया है। अगर कोई अनुचित बात हो तो उसकी माफी चाहूंगा। लेकिन आज जो नारा दिया जाता है, वह बिल्कुल बेकार है

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला सिंह ।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमन्त्री जी ने जो इस वर्ष के प्रस्तावित बजट के माध्यम से राजस्थान का जो चित्रण किया है वह बड़ा आकर्षक तथा सुन्दर है । उसके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ही इज नोट हियर टू एक्नालिज योर ग्रीटिंग्स । अच्छा चलिये चलिये ।

श्रीमती निर्मला कुमारी : बजट पर यदि गम्भीरता से देखें तो यह बजट एक परम्परावादी और रूढ़ीवादी बजट है । वह ऊपर से समाजवादी दिखाई देता है लेकिन आन्तरिक रूप से देखें तो रूढ़ीवादी दिखाई देता है। बजट में जो आंकड़े दिये हैं, उनको देखने से पता चलता है कि वास्तव में जो कर भार बढाया गया है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीब वर्ग पर ही पडेगा उदाहरण के लिए जो रासायनिक खाद पर 5% कर लगाया गया है, वह किसानों पर ही पड़ेगा । एक ओर खाद का भाव बढ़ रहा है । दूसरी ओर गेहूं का भाव कम हो रहा है काश्तकारों के जो प्रोडक्शन होता है, उसके लिए उनको दिन रात पसीना बहाना पड़ता है । उसके बाद भी आज किसानों की वही स्थिति है जो कि पहले थी । अतः समाजवाद का स्वप्न अधूरा रह गया है उसके उपरान्त सोना चांदी के जेवर पर 5% और गोटा किनारी पर 3% कर लगा दिया गया है । हमारी यह परम्परायें हैं कि शादी विवाह पर गोटा किनारी के जो वस्त्र पहने जाते हैं, यह सुहागिनों का प्रतीक है । गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों में भी इनको पहना जाता है । गरीब स्त्रियां चांदी के गहने पहनती हैं । अगर चांदी पर प्रत्यक्ष कर लगा तो उन पर प्रभाव पड़ेगा । इसके साथ साथ जो कृषि कार्यक्रम के लिए कहा गया है, यदि किया जाता है तो बहुत ही सराहनीय है । हमारे प्रान्त की स्थिति यह है कि बहुसंख्यक व्यक्ति कृषि पर ही निर्भर हैं, परन्तु कृषि की दशा शोचनीय है कारण एक तो किसान को वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना नहीं आता है और दूसरा सिंचाई का अभाव है । इसके अतिरिक्त जो विकास अधिकारी नियुक्त होते हैं, उनका कार्य संतोषजनक नहीं है दुर्गापुरा में कृषि संस्थान है । जिसका कार्य कृषि में अनुसंधान करना है । परन्तु वहां पर भी भूमि के बारे में कोई जांच नहीं हुई है । अगर किसान यही नहीं जानता है कि कौनसी भूमि में हमें किस प्रकार का बीज डालना चाहिए, तो वह आगे क्या कर सकेगा ? वह आंख मूंद कर यूरिया ही डालता जा रहा है । यह सौभाग्य की बात है कि सिंचाई के लिए राज्य में साढ़े 12 करोड़ की राशि रखी गई । राजस्थान नहर परियोजना पर काफी राशि व्यय की जायगी, परन्तु प्रान्त की स्थिति को देखते हुये यह राशि बहुत ही कम है । अगर इस राशि पर निर्भर रहे तो कई वर्षों तक विकास कार्य को पूरा नहीं कर सकेंगे । इसके लिए मैं सुझाव रखूंगी । वह यह है कि अब तक जो अधूरे काम पड़े हुये हैं, उनको पूरा कराया जाये । मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में कई योजनाएं अकाल राहत में शुरू की गई थी वह अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं । दूसरा यह है कि नहरें बनाई जायें । अभी तक जितनी नहरें हैं, वह कच्ची हैं ।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

कच्ची नहरें होने से पानी का सीपेज होता है। सीपेज के कारण जमीन ऊसर हो जाती है इस बारे में महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने हैं। सीपेज के कारण वहां जमीन ऊसर हो गई है। हमारे प्रान्त में ०% भूमि में सिंचाई की सुविधा है अगर यह भूमि बिगड गई तो बहुत दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि नहरों को सीमेण्टेड किया जाना चाहिए। इसके दो लाभ होंगे, भूमि जो बिगड़ रही है, वह बिगडेगी नहीं। और पानी जो बेकार होता है, उससे सिंचाई भी जा सकेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वहां के किसानों की स्त्रियों को रो रो कर मुझे गेहूं की बालें दिखाई। वे बालें देखी तो उनके दाने चावल के समान थे। इसलिए मेरा निवेदन है, नहरों से सिंचाई करवानी है तो नहरों को पक्का बनाया जाये। अभी नहरी सिंचाई के रेट्स बढा रहे हैं, यदि सिंचाई की सुविधा अच्छी होगी तो किसान खुश होकर इस रेट को चुकायगे सिंचाई क्षेत्र में दूसरा मेरा सुझाव यह है कि नदियों पर एनीकट्स बनाए जाने चाहिए जिससे अंडर ग्राउन्डवाटर की सतह ऊपर आए और साल भर कुओं में पानी रहे और किसान ठीक प्रकार से सिंचाई कर सके।

विद्युतीकरण के लिए जो बजट प्रावधान रखा है, उसका मैं स्वागत करती हूं क्योंकि विद्युत वह शक्ति है जो हमारे प्रांत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। हमें तीन क्रांतियां अपने प्रांत में लाना है एक हरी क्रांति, भूरी क्रांति और तीसरी श्वेत क्रांति। हरी क्रांति हम तभी ला सकते हैं जब ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हम अधिक से अधिक प्रावधान रखेंगे। जो प्रावधान इस बजट में रखा है वास्तव में बहुत कम है। अगर इसी पर हम चलेंगे तो कई वर्षों तक गांवों में बिजली नहीं पहुंचेगी और हरी क्रांति का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा।

भूरी क्रांति अथवा कल कारखानों के विकास के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान रखा गया है, 50 लाख पूंजी विनियोग पर 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाएगी, इसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन एक बात का कल कारखाने खोलते समय ध्यान रखना है कि कारखाने वहीं स्थापित किए जाने चाहिए जहां कास्ट आफ प्रोडक्शन सबसे कम हो, अर्थात् उस स्थान की भौगोलिक स्थिति सर्वोत्तम होना चाहिए, जमशेदपुर का उदाहरण लीजिए, वहां की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत कम आता है तो यही परिस्थिति राजस्थान में भी लागू करनी है। हमें वहीं उद्योग लगाने हैं जहां प्राकृतिक परिस्थिति अनुकूल है। जैसे विदित हुआ है, एक खाद का कारखाना राजस्थान में लगाया जाने वाला है, उसके लिए चित्तौड़गढ़ सर्वोत्तम स्थान होगा, क्योंकि एक तो राक फास्फेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जो खाद के लिए रा मेटीरियल का काम करता है। दूसरा खाद के लिए बहुत पानी आवश्यक होता है, चित्तौड़गढ़ ऐसा स्थान हैं जो आज कैचमैंट एरिया है और वहां पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है और पानी की सुविधा की वजह से भी यह स्थान सर्वोत्तम होगी। तीसरी बात चित्तौड़गढ़ एक फर्टाइल बेल्ट है जहां पर कृषि बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है और वहां पर सिंचाई की सुविधा है। अतः

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

खाद का उपभोग हो जाएगा और मार्केटिंग समस्या नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उपजाऊ खाद वहां आसानी से पहुंच जाएगी। चौथी बात ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से सेण्ट्रल प्लेस है। पांचवी बात चंबल घाटी में विद्युत् पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए खाद का कारखाना यहां खुल जाए तभी योजनायें हमारी सफल हो सकती हैं और भूरी क्रांति का उद्देश्य सफल हो सकता है।

तीसरी क्रांति है श्वेत क्रांति। यह सराहनीय कदम है कि श्वेत क्रांति का अथवा डेयरी और पोल्ट्री का विकास। इसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखा है, यह सराहनीय कदम है, परंतु फिर भी इस उद्योग को हमें बहुत अधिक बढ़ावा देना है, अधिक से अधिक लोन की सुविधायें देनी हैं। जरूरी नहीं है कि भूमि के टुकड़े बांट कर एक बीघा जमीन, दो बिघा जमीन भूमिहीनों को देते रहें। इससे तो अच्छा यह होना कि हम किसानों को कुटीर उद्योग में लगाये अथवा पोल्ट्री और डेयरी में लगाये और ऋण की सुविधा सरल बनायें। वह सरल नहीं है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई व्यक्ति आए कि हमें ऋण नहीं मिल रहा है और उसका जो प्रोसीजर है इतना कम्पलीकेटेड है कि ग्रामीण समझ नहीं पाते और वह ऋण नहीं ले पाते। इसलिए लेने की सुविधा को सरल से सरल किया जाना चाहिये। डेयरी और पोल्ट्री का हम विकास करें तो इससे दो लाभ होंगे। एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा दूसरे लोगों को बैलेन्सड डाइट मिलेगी। आज परिस्थिति यह है कि गांवों में हम स्त्रियों के मुरझाए हुए चेहरे देखते हैं। कारण यह है कि एक तो अर्ली मैरेज की वजह से जल्दी जल्दी बच्चे बहुत पैदा होते हैं और दूसरा बैलेन्सड डाइट का अभाव। इसलिये "20 वर्ष कि आयु में ही बुढापा" वाली कहावत वहां चरितार्थ हो गई है। यदि डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग को विकसित करें तो ऐसी हालत में बैलेन्सड डाइट की जो कठिनाई है वह दूर की जा सकती है।

बजट में एक हजार नयी प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत करने का जो प्रावधान रखा है, यह सुनकर वास्तव में हमें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई क्योंकि अब तक हम तैनों पर याने विश्वविद्यालय की शिक्षा पर पैसा अधिक खर्च करने थे परन्तु जड़ें सूखी थीं परंतु इस बजट में जो हमने प्रावधान रखा है उसका में स्वागत करती हूं। पिछली बार एक बात मैंने अपने भाषण में कही थी कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो कि टकसाल में सिक्कों की तरह बेरोजगारों को ढालती है, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि हम अपने राज्य राजस्थान के अन्दर देखें तो 31-7-71 तक राजस्थान में शिक्षित बेकारों की संख्या 1,38,269 थी इस प्रकार यदि हम शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जायगी। हमें इसमें सुधार करना है। अनुदान की मांगों के समय में विशेष तौर से प्रकाश डालूंगी। यहां पर यही निवेदन करती हूं कि अधिकतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिए शिक्षा शास्त्रियों की कान्फ्रेंस बुलाई

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

जाय। आपने सुना होगा विश्वविद्यालय में फैकल्टी मीटिंग चल रही है जहां पर सभी गवर्नमेंट कालेजिज और यूनिवर्सिटी हैड्स आफ डिपार्टमेंटस वहां पर आए हुए हैं। मैं भी कालेज में थी तो फैकल्टी मीटिंग में आया करती थी परन्तु वहां और कुछ नहीं होता मेला सा लगता है जहां पर निश्चित निर्णय नहीं लिया जाता। जब सेमीस्टर सिस्टम का एक बार प्रस्ताव रखा तो उस समय संघर्ष चला गवर्नमेंट कालेजिज वसर्ज यूनिवर्सिटी। अच्छा डिसीजन लेना है तो नहीं ले पाते हैं। सेमिस्टर के बारे में डिसीजन नहीं ले पाये। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिये की ध्वनि प्रतिवर्ष निकलती है परन्तु वह ध्वनि पुरानी विचारधाराओं से टकरा कर रह जाती है। पुराने व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स, जो पुरानी शिक्षा प्रणाली के अभ्यस्त हैं, वह नया परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। उसमें परिवर्तन लाने के लिये 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात कही थी। 1937 कितनी पुरानी बात है, जिस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था लेकिन इस बुनियादी शिक्षा को आज तक लागू नहीं कर पाए। इस शिक्षा का मतलब यह है कि किसी उद्योग के माध्यम से बच्चों को सभी विषयों में शिक्षा दी जानी चाहिये परन्तु इस प्रकार की शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि शिक्षा को हमें उद्योगों की ओर केंद्रित करना होगा, शिक्षा को समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढालना होगा आज प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर भी उद्योगों को स्थान देना होगा। वोकेशनल गाइडेन्स सेंटर्स खोलने होंगे इण्डस्ट्रियल कालेजिज खोलने होंगे जहां पर विद्यार्थी अपना विशेष प्रकार की जीविका उपार्जन की शिक्षा ले सके। अनुदान की मांगों के समय में विशेष प्रकाश डालूंगी। यहां केवल यही कहूंगी कि शिक्षा में यदि सुधार नहीं किया तो ऐसी हालत में हम अंधकार की ओर चले जायेंगे विश्व भर में स्टूडेण्ट अनरेस्ट है, वह समस्यायें बढ़ती जायेंगी और इन्हें सुधारने के लिए हमें शिक्षा में परिवर्तन लाना ही होगा। दूसरी बात, मैं शराबबन्दी के लिये अर्ज करूंगी। वास्तव में इसमें बिक्री कर 15 परसेन्ट से बढ़ाकर 20 परसेन्ट कर दी गई यह सराहनीय है। परन्तु क्या यह अच्छा नहीं होता कि हम इस मद्य निषेध की नीति को सम्पूर्ण रूप से लागू करते ? यह नीति आवश्यक रूप से इस बार लागू करनी चाहिये थी। यह हो सकता है कि इससे प्रशासन में परेशानी होती तथा राजस्व में भी कमी आती। पर मैं यह पूछना चाहती हूं सरकार से कि वह राजस्व क्या काम का जो व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विघटन के आधार पर एकत्रित किया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हम शराब की तरफ इस लाल बोतल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह प्रज्वलित ज्वाला की तरफ बढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। ज्वाला तो केवल शरीर को जलाती है पर यह लाल बोतल पीने वाले की आत्मा शरीर और सारे परिवार को ही तिल तिल कर के भस्मसात कर देती है। आज हमें अपराधों में वृद्धि और सामाजिक समस्याएं दिखाई देती हैं यह सब इस नशे

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

के ही परिणाम हैं। नशा निषेध की नीति को आप लागू नहीं करेंगे तो समाज निरन्तर पतन की ओर गिरता चला जावेगा और कई प्रकार की समस्याएं नित नई हमारे सामने आती जावेंगी।

मेरे तर्क के विपक्ष में यह कहा जा सकता है कि अगर हम इसे बन्द कर देंगे तो लोग लुके छिपे पीया करेंगे तो कानून बनाने से क्या फायदा? पर मैं निवेदन करूंगी कि यह कहना उचित नहीं है। कानून का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सती प्रथा को कानून के द्वारा बन्द कर दिया था। तो क्या आप शराब को कानून से बन्द नहीं कर सकते हैं? मैं तो कोई सन्देह नहीं करती कि यह कानून से क्यों नहीं बन्द की जा सकती? तो मैं निवेदन करूंगी कि कानून से इसे आप एक बार बन्द कर देंगे तो यह बुराई बहुत सीमा तक काफी कम हो जावेगी और यह सरकार का एक बड़ा साहसिक और प्रशंसनीय कदम होगा।

प्रश्न यह उठता है कि इससे जो राजस्व प्राप्त होता रहा है उसकी पूर्ति किस तरह से की जायगी? इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि आप सिनेमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये। आज तो यह सिनेमा भी हमें अन्धकार के गर्त में ले जा रहा है।

मैं मानती हूँ कि व्यक्ति के लिये मनोरंजन आवश्यक है। पर जिस तरह से खाद्य पदार्थों का शरीर स्वास्थ्य के लिये सन्तुलित होना आवश्यक है। उसी तरह से इस मनोरंजन के लिये भी स्वस्थ होना आवश्यक है तथा स्वच्छ होना भी आवश्यक है। इसके बिना हम अन्धकार के गर्त में चले जावेंगे हमारी सामाजिक परिस्थितियां बिगड़ जावेंगी। युवा वर्ग में आज जो अनैतिकता के कीटाणु फैलते जा रहे हैं इसका कारण अरुचिकर और अस्वस्थ मनोरंजन है। "दो राहें" खेल नमूने के तौर पर कह रही हूं ऐसे ही खेल हैं जिनको देखकर हम अनैतिकता के गहरे गर्त में बहे जा रहे हैं।

तो इसके राष्ट्रीयकरण से दुहरा लाभ होगा। एक तो अर्थ लाभ और दूसरा स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन जिससे हमारा नैतिक मनोबल भी बढ़ेगा। समाजोपयोगी हो सकेगा।

इस घाटे की पूर्ति करने के लिये प्राकृतिक सम्पदा का आप अधिक से अधिक उपयोग करिये। कई प्रकार के खनिज हमारी भूमि में दबे पड़े हैं। आप उनको प्रोत्साहित करिये। उनको आवश्यक साधन, यातायात के साधन, सड़कें, बिजली आदि साधन दीजिये ताकि जिप्सम, बेराइट राक फास्फेट, घीया पत्थर, सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा, कांच की मिट्टी का अधिकाधिक उत्खनन किया जा सके। इन पर आधारित उद्योगों को स्थापित किया जासके। अगर हम इन खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे तो हमारी आय के साधन अवश्य बढ़ेंगे।

इसलिए मेरा नम्र निवेदन यह है कि शराब बन्दी न करके इसके माध्यम से ही हम अपना राजस्व बनाये रक्खें यह गलत रास्ता है इसे हमें छोड़ देना चाहिये हमें इसके लिये दूसरे साधन ढूंढ लेने चाहिये। इससे हमारा समाज सबल बनेगा और सबल समाज ही समाजवाद को कायम कर सकेगा।

Page No 108

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

इन्हीं शब्दों को कह कर में अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

श्री भंवरलाल भदादा।

श्री नाथूराम (बामीहोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद लाने के भाव जो व्यक्त किये गये हैं उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। पर बजट को सीधे सादे ढंग से देखा जावे तो 643 करोड़ का खर्चा है और 31 करोड़ का घाटा और बढ़ने का अनुमान है और 90 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है। यह स्थिति देखते हुए समाजवाद आवेगा यह लगता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने केवल नारा लगा दिया लेकिन इसकी स्थापना के लिये ठोस कदम नहीं बताये। हमारा घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है और अगर सरकार ने फिजूलखर्ची कम करने की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यह घाटा और भी अधिक हो जायगा। सैक्रेटेरियट में और बड़े बड़े डायरेक्टोरेट में और अन्य दफ्तरों में अफसरों की अनाप शनाप भरमार कर रखी है। सचिव, उपसचिव, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कमिश्नर, इन्सपेक्टर, आफीसर तो उनको कम करके खर्चा घटाया जा सकता है। टैकनिकल आदमी है उस पर नॉन टैकनिकल आफिसर बिठाने की आपको जरूरत नहीं तो इस तरह की बहुत फिजूल खर्ची है यह फिजूलखर्ची दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। यह आप घटाइये ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।

कृषि उत्पादन में हमारे किसान ने मेहनत की है। रासायनिक खाद को बढ़ावा देने की आपने कोशिश की और किसान ने उसको पकड़ा है। पर आपने आज उस पर भी टैक्स लगा दिया है यह अनुचित है।

एक तरफ तो उत्पादन बढ़ाने का प्रोग्राम है उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बढ़ती हुई अफसर की बाढ से उत्पन्न फिजूलखर्ची को आप रोकने की चेष्टा नहीं करना चाहते तो फिर मामला बैठेगा कैसे ? वित्तमन्त्री हमारे अच्छे सुझावों पर ध्यान नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमन्त्री और मुख्य सचेतक दोनों ही आपस में बातें करते हैं। अब किसको पुकारें ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : उप सचेतक जी से बात करनी जरूरी है।

श्री चन्दनमल बैद : आपने सुझाव दिये उसी के आधार पर तो बजट भाषण तैयार किया था।

श्री नाथूराम : किसान को ज्यादा से ज्यादा सिचाई के साधन देने चाहिये। पर उन पर भी आज टैक्स लगा रही है यह सरकार।

सीलिंग के लिये 54 में कमेटी बैठी, 60 में कानून बना पर आज तक सीलिंग नहीं लागू किया जा सका। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 एकड़ तक सीलिंग लागू किया जावेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। पर साथ ही निवेदन कर दूं कि

(श्री नाथूराम)

यह निर्णय केवल कागजों में ही न रह जावे। आप जल्दी से जल्दी इसे लागू करें और जिन लोगों ने इस कानून को प्रभावहीन करने के लिये अपनी जमीनों का गैर कानूनी बँटवारा कर दिया है उसे सरकार नहीं मानेगी यह मेरा विश्वास है। भूमि-हीन किसान जमीन के लिये तरस रहा है पर आज भी उसे जमीन नहीं मिल रही है। आज भी देखते हैं कि जो पैसे वाला है वह पटवारी को पैसा खिला पिला कर जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लेता है और उसके बाद रेगुलेराइज भी करवा लेता है। सरकार ने 1 दिसम्बर, 71 तक के ऐसे नाजायज कब्जों को रेग्यूलेराइज करने का आदेश निकाला। परन्तु किसके लिये? आज पटवारी को जिसने पैसा दे दिया उसका कब्जा बता दिया और रेगुलेराइज भी होगया पर जिन गरीबों ने पटवारी को पैसा नहीं दिया या जो पैसा देने की हालत में नहीं थे उनका कब्जा ही पटवारी ने नहीं बताया तब रेगुलेराइज कैसे हो सकता था? इन जैसे किसानों ने जिन जमीनों को बनाया, संवारा और डवलप करने के लिये काफी पैसा और मेहनत लगाई उनको वहां से जबर्दस्ती हटाया जा रहा है।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार से मेरा निवेदन है कि आज उच्चस्तर पर सरकार का एक मन्त्री जो काम नहीं कर सकता वह नीचे रहने वाला एक पटवारी कर देता है और वह गरीब किसान के लिये बहुत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हर जिले में कलेक्टर को आदेश दिये जावें कि जिन गरीब किसानों का कब्जा जमीन पर है उसे नहीं छुड़ाया जाना चाहिये। अगर पटवारी के रेकार्ड में दर्ज नहीं है तब भी नहीं हटाया जाना चाहिये। उसे पुनः रेगुलेराइज किया जाना चाहिये। सरकार घोषणा कर देती है पर उसका पूरी तरह से पालन नहीं होता इसलिये ये कठिनाइयां पैदा होती हैं।

इसी तरह से शराब बन्दी का कानून है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया सरकार ऐसी गन्दी चीज की बिक्री से आमदनी क्यों करना चाहती है? ऐसी आमदनी के बजाय तो आप अपनी फिजूल खर्चियां घटाइये। बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों पर टैक्स लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाइये।

लेकिन आज उन गरीब किसानों पर असर हो ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिये। शुरू से ही मेरी यह मांग रही है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में नशाबन्दी की घोषणा कर दी जाय। आपके जो कर्मचारी हैं, आदिवासी तो शराब नहीं पीते हैं, पैसे वाले पीते हैं, वे तमाम आमदनी को जेबों में रखते हैं। अधिकारी केस नहीं बनाते हैं और पैसा खा जाते हैं। कानून भी हैं लेकिन पालन नहीं होता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सिंचाई की दरें बढ़ायीं वे ठीक नहीं हैं। एक किसान अन्न वगैरह पैदा करता है। सिंचायी की दरें बढ़ा कर किसानों पर उनका भार पटकें यह ठीक नहीं है। गरीब किसानों के पास सिंचाई के साधन ज्यादा नहीं हैं। छोटे 2 तालाबों से सिंचाई करते हैं और उस पर भी दरें बढ़ायें तो बड़ी कठिनाई होगी। छोटे किसानों पर वजन पड़े यह निवेदन करता हूं।

बांसवाड़ा में मेरे क्षेत्र की स्थिति बताता हूं। कडाना बांध के लिये हाउस के

(श्री नाथूराम)

माननीय सदस्यों ने पहले सहयोग दिया। मेरे प्रस्ताव पर विचार किया और 419 से 410 करने की सरकार ने घोषणा की। गुजरात और राजस्थान के एग्रीमेन्ट में सरकार ने संशोधन नहीं किया। राजस्थान सरकार सोई हुई थी, उसको प्रस्ताव के द्वारा जगाया गया। 15 लाख रुपया खर्चा हुआ। डूंगरपुर बांसवाड़ा को फायदा होगा। सरकार ने एग्रीमेंट में संशोधन नहीं किया। जो एग्रीमेन्ट में संशोधन करना है वह जल्दी कर देना चाहिये और 410 में प्रभावित क्षेत्र हैं उनको भूमि देना चाहिये और मुआवजा देना चाहिये।

उसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कडाना बांध से मेड बन्दी सरकार के द्वारा हुई है। संवत् 23, 24 और 25 में भयंकर दुष्काल रहा है। लोगों को जिन्दा रखने के लिये सरकार ने राहत कार्य खोले। पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा सड़कें खोलीं, मेड़ बन्दी के कार्य आरम्भ किये लेकिन सिचायी के कार्य और पी. डब्ल्यू. डी. के कामों में कोई वसूली नहीं हुई लेकिन मेड बन्दी में 25 परसेन्ट की वसूली हुई है। सरकार का कर्तव्य है · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा समय बढ़ाया जाय। जरूरी विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री नाथूराम : मैं आभारी हूं उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, उन मेड़ बन्दी कार्य में आदिवासी और हरिजनों को जिन्दा रखने के लिये राहत कार्य खोले। सरकार को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिये कि गरीबों से वसूली हो। रिलीफ मंत्रीजी ने उसको रोकने के लिये आदेश कर दिये। सरकार का कर्तव्य था कि भयंकर दुष्काल में राहत कार्य खोले उनको माफ कर देना चाहिये। आदिवासी क्षेत्र में केन्द्रीय और प्रान्तीय कानून भी हैं कोई दिक्कत होती है तो उसमें परिवर्तन होना चाहिये। कडाना बांध से जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वहां पर मेड़ बन्दी के राहत कार्य की वसूली तो रोक देना चाहिये बल्कि गुजरात से पैसा लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कडाना बांध से इस प्रकार की ज्यादती हो रही है कि विकास के कामों में रुचि नहीं लेते हैं। सरकार ने एग्रीमेन्ट में संशोधन नहीं किया इसलिये आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी संशोधन करके रेडियो द्वारा घोषणा कर देनी चाहिये ताकि लोग विकास के कामों में रुचि लें और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा के बारे में एक हजार प्राइमरी स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूल खोलने और आदमी बढ़ाने की घोषणा की उसका तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ साथ यह भी निवेदन करता हूं कि महिला शिक्षा के लिये

(श्री नाथूराम)

विशेष तरक्की नहीं हुई है। आदिवासी क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाते हैं। पांच पांच साल से कन्या मिडिल स्कूल खोलने की मांग चली आ रही है उसको पूरा करना चाहिये। शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा तो हमारी तरक्की होगी।

समाज कल्याण विभाग के बारे में कुछ फैक्ट्स निवेदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार गरीब इलाकों के लिये लाखों रुपया देती है लेकिन पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। राजकीय छात्रावास चल रहे हैं लेकिन बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिलता है। और रुपयों का दुरुपयोग होता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पिछले समय भी बताया था कि गर्भवता माताओं के लिए और कमजोर बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के लिए सरकार की तरफ से काफी पैसा खर्च हो रहा है लेकिन मैं आपको एक बात निवेदन करूं कि समाज कल्याण विभाग में गुड की खरीद की गई और उस गुड की जांच भी हुई तो पाया गया कि उस गुड को तो मवेशी भी नहीं खा सकते, ऐसा गुड वह साबित हुआ तो जब वह मवेशियों के ही काम में नहीं आ सकता तो व्यक्तियों के लिए कैसे उपयोग में आ सकता है? तो सरकार को चाहिए कि जिसने ऐसा गुड खरीदा उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जो कि गरीबों का पेट काट कर अपना पेट भरता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ बेरोजगारी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैंने पिछले समय भी बताया था कि भारत सरकार के नियम है कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो रखे जायें वे स्थानीय होने चाहिए। लेकिन आज एल. डी. सी. या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हमारे यहां बांध पर रखा जाता है तो वह भी बाहर से बुलाया जाता है। आज सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी पास लड़के हमारे यहां मारे मारे फिरते हैं, उनको नहीं रखा जाता है। इसलिए चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वे स्थानीय व्यक्ति होने चाहिए और बाहर के व्यक्तियों को नहीं रखा जाना चाहिए।

हमारे परिवार नियोजन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नही कर रही है। बांसवाड़ा में 38 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है लेकिन वहां पर ऐसा है कि परिवार नियोजन विभाग की गाड़ियों और पेट्रोल का बड़ा भारी दुरुपयोग हो रहा है। मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि वहां पर जो परिवार नियोजन अधिकारी है वह करप्टेड है और भ्रष्टाचारी है लेकिन उसका तबादला किया तो कोटा और कोटा से फिर बांसवाड़ा भेज दिया। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हम शिकायतें करते हैं, मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया और परिवार नियोजन मंत्री को भी लिखा लेकिन वह व्यक्ति आज भी बांसवाड़ा में बैठा हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको वहां से हटाना

(श्री नाथूराम)

चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि आपको किसी विभाग में नहीं मिलेगा। आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि एक तरफ तो आप समाजवाद का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ आप करप्शन को बढ़ा रहे हैं। आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो लोग कभी बरदाश्त नहीं करेंगे। आशा है कि आप इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

हमारे यहां भू-राजस्व की लगभग 12 करोड़ की रकम बकाया है। वह 6 करोड़ ही वसूल हुई है। एक तरफ तो ओवरड्राफ्ट है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। यह पैसा अच्छे अच्छे किसानों के ऊपर बाकी है। आप एक तरफ कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपका करोड़ों रुपयों का टैक्स का पैसा बकाया पड़ा है। यात्री कर यात्रियों से वसूल किया जाता है लेकन सरकार के पास में जमा नहीं होता है। अभी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट नहीं है नहीं तो मैं बताता कि कितने करोड़ रुपया बकाया है। एक तरफ आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और दूसरी तरफ टैक्सों का पैसा पूंजीपतियों में पड़ा है वह सरकार वसूल नहीं करती है। यात्रियों से पैसा वसूल कर लिया जाता है लेकिन वह बस मालिकों के पास जमा है और सरकार के पास नहीं पहुंचता।

प्रशासन में अव्यवस्था भी है जैसे किसी बस मालिक को परमिट दिया जाता है तो परमिट देने वाला तो एक विभाग है और कर वसूल करने वाला दूसरा विभाग है। जब परमिट दिया जाता है तो उस विभाग को मालूम ही नहीं होता कि उसके ऊपर पहले का कितना पैसा बाकी है ताकि परमिट देते समय यह देख लिया जाये और पैसा बाकी हो तो परमिट नहीं दिया जाये। आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह दोनों काम एक ही विभाग के पास होने चाहिए तब जाकर प्रशासन में सुधार होगा वरना दिन ब दिन हालत खराब होती जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंच वर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कई विकास योजनायें बनाईं, जंगलों के बारे में भी

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

कुछ किया लेकिन हमारे जंगल खत्म होते जा रहे हैं। वनों की सुरक्षा नहीं हो रही है, जब तक वनों की सुरक्षा नहीं होगी और रिजर्व जंगल वन विभाग के अण्डर में रहकर उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो इसका असर यह होगा कि दुष्काल पर दुष्काल आते जायेंगे। मैं उदाहरण देता हूं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जंगल थे और वे इतने घने जंगल थे कि सूरज की किरणें तक नीचे नहीं आती थीं और जब से आजादी आई और ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई तब से जंगलों की कटाई होने लगी और आज पहाड़ नंगे खड़े हैं और इसका नतीजा यह है कि पानी नहीं बरसता है और दुष्काल होता है और उस दुष्काल पर करोड़ों रुपये सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। यदि सरकार वनों की रक्षा करेगी तो दुष्काल पर करोड़ों रुपये खर्च

(श्री नाथूराम)

नहीं करने पड़ेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि वनों की सरकार को रक्षा करनी चाहिए, इससे ज्यादा बरसात बरसेगी और पानी खेतों में आयेगा, वन सम्पदा भी ज्यादा होगी, सरकार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और अन्न का उत्पादन भी बढ़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि जहां जंगल एरिया है वहां आदिवासी लड़के दसवीं, ग्यारवीं और बी. ए. तक पढ़े हुए हैं और आज वे बेकार हैं और मेरा निवेदन है कि वन विभाग में ऐसे लड़कों को रखा जाये जोकि अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्ग के हैं ताकि वे जंगलों की रक्षा कर सकें। आज जैसलमेर या बाड़मेर का आदमी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जंगलों में रखा जाये तो वह हमेशा भागने की कोशिश करेगा और वे कभी वनों की सुरक्षा की कोशिश नहीं करेंगे। जंगलों में रहने वाले आदिवासी अपने मकानों के साथ ही साथ जो जंगल उसके आसपास हैं उनकी भी वह रक्षा कर सकेंगे। आज नंगे पहाड़ हैं उसका कारण यह है कि जंगल काटे जा रहे हैं। रिजर्व जंगलों में बाहर के आदमी रेंजर से लेकर गार्ड तक बाहर के आदमी रखे जाते हैं। सरकार को चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र में हरिजन हैं या दूसरे पिछड़ी जाति के आदमी हैं उनको सरकार द्वारा स्कालरशिप देकर रेंजर वगैरह की ट्रेनिंग दिलाई जानी चाहिए और वन विभाग में उनको नौकर रखना चाहिए ताकि वे वनों की रक्षा कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए और नहीं तो हमारी योजना कभी सफल नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं भूमि के बारे में बता देना चाहता हूं। भूमि के सीलिंग के कानून में 58 हजार एकड़ भूमि को ली और इसमें से 8 हजार एकड़ ही भूमि को किसानों को बांटी गयी। आज 50 हजार एकड़ भूमि का या तो कब्जा नहीं लिया गया या सरकार ने जानबूझ कर किसानों को नहीं बांटी। इस तरह से यह सीलिंग लागू करो या कानून पास कर लो किन्तु कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि आज कितने वर्ष हुए अभी तक यह सरकार की व्यवस्था सुधरी नहीं है। इसलिए आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से नरेशों से आपने जो भूमि ली है वह गरीब किसानों को वितरण कर देनी चाहिए और आगे भी जिस तरह से निर्णय लिया है उसी हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी इसको लागू करना चाहिए, यही मैं आपके द्वारा निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही दिनांक 2 मई, 1972 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5 बजकर 11 मिनिट पर मंगलवार, दिनांक 2 मई, 1972 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No 114

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 151 की सूची)

(जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा बसाई गई बस्तियों की सूची)

क्रमांक 1	नाम योजना 2	स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक 3
1.	जनता कालोनी	एफ–3।व।20।एल. एस. जी.।61 दिनांक 30-C-1962
2.	वनीपार्क विस्तार	एफ–3।व।20।एल. एस. जी. 61 दिनांक 22-5-63
3.	बड़ोदिया योजना	एफ–19।3।द।63 दिनांक 15-6-64
4.	शो रूम कच्चा बन्धा रोड	एफ–3।व।12।एल. एस. जी.।60 दि. 2-2-65
5.	अम्बा बाड़ी	एफ–19(17)टी. पी.।63 दि. 9-2-65
6.	एस. एम. एस. विस्तार	एफ-3।बी.।13।एल. एस. जी.।62 दि. 9-2-65
7.	कबीर मार्ग बनी पार्क	एफ–3।बी.।14।एल. एस. जी.।62 दि.9-2-65
8.	जनता कालोनी विस्तार	एफ–3।डी.।22।टी. पी.।62 दि.9-2-65
9.	नाहरी का नाका पूर्व	एफ–19।16।टी. पी.।63 दि. 23-2-65
10.	ट्रक स्टेण्ड	एफ–3।डी.।20।टी. पी.।62 दि. 12-3-65
11.	अजमेर रोड	एफ–19।1।टी. पी.।63 दि.9-12-65
12.	शोपिंग सेण्टर बापू नगर	एफ–22(28) टी.पी.। 64 दि. 18-12-65
13.	आगरा रोड अर्जुनलाल सेठी नगर	एफ–22(36)टी. पी.।64 दि. 18-12-65
14.	बजाज नगर विस्तार	एफ–19(24)टी. पी.।63 दि. 18-12-65

Page No 115

1	2	3
15.	फतेह टीवा विस्तार (आनन्दपुरी)	एफ–3(डी.) 21:टी. पी.।64 दि. 16-7-65
16.	उनियारा गार्डन स्कीम	एफ–3(डी.) 21।टी।.पी.।62 दि. 16-7-65
	(शो रूम नारायण निवास)	
	(कानोता हाउस)	
	(शोरूम नीयर वेटेरीनरी हास्पिटल)	
17.	लाल कोठी योजना	एफ–3।(डी.)8।एल. एस. जी.।62 दि. 6-5-71
18.	फतेहसिंह की धर्मशाला	7-5-71
19.	नलवाड	,, ,,

<u>विचाराधीन</u>

1. सीकर हाऊस
2. फ्रूट एण्ड वेजीटेबल मार्केट
3. न्यू ग्रेन मण्डी सूरजपोल

परिशिष्ट–2

(ता. प्र. सं 153 की सूची)

PANCHAYAT SAMITIWISE LIST OF GIRLS GOVT. & AIDED SCHOOLS IN NAGAUR DISTRICT (RURAL AREAS) 1971-72

Name of Panchayat Samities	Name of Middle Schools
1. Nagaur	—
2. Mundwa	1 Kuchera 6 Mundawa
3. Jayal	—
4. Ladnu	1 Jaswantgarh
5. Deedwana	1 Maulasar 2 Kollyan 3 Chhoti Khatu
6. Kuchaman City	1 Maroth
7. Makrana	—
8. Parbatsar	—
9, Degana	—
10. Riyan Badi	—
11. Merta City	—

PANCHAYAT SAMITIWISE NUMBER OF GOVT. & AIDED SECONDARY & MIDDLE SCHOOLS IN NAGAUR DISTRICT 1971-72

Name of the Panchayat Samiti	Secondary Schools	Middle Schools
1. Negaur	2	5
2. Mundwa	2	7
3. Jayal	2	8
4. Ladnun	3	7
5. Deedwana	4	14
6. Kuchaman City	2	4
7. Degana	2	9
8. Parbatsar	2	7
9. Merta City	3	5
10. Riyan Badi	3	6
11. Makrana	1	6

SECONDARY SCHOOLS IN RURAL AREA GOVT. & AIDED

(Panchayat Samitiwise)

1971-72

Panchayat Samiti		
1. Mundwa	—	Kuchera, Khajwana.
2. Nagaur	—	Alai, Basni.
3. Jayal	—	Jayal, Deh.
4. Ladnun	—	Ladi, Mithdia, Nimbajodha.
5. Deedwana	—	1. Shri Somani Sec. School, Maulasar 2. Govt. Secondary School. Dankali, Tasina, Kaliya.
6. Kuchaman City	—	Ghatwa, Kunkunwali.
7. Degana	—	Sanja, Harsora.
8. Parbatsar	—	Jawala, Rid.
9. Merta City	—	Merta Road, Gotan, Ren.
10. Riyan	—	Riyan Badi, Thawala, Jasnagar.
11. Makrana	—	Manan.

PANCHAYAT SAMITIWISE LIST OF GOVT. & AIDED MIDDLE SCHOOLS OF BOYS IN NAGAUR DISTRICT.

1971-72 (Rural Areas)

	Management 1	Name of Middle Schools 2
1. Nagaur	Govt.	1. Bhaggu (Shri Balaji) 2. Gagalao 3. Jodhiyasi 4. Kumari 5. Dodiyana.
2. Mundwa	—do—	1. Roon 2. Asawari 3. Panshla Shidha 4. Sankhawas 5. Pharod.
3. Jayal	—do—	1. Rol 2 Tarnau 3 Badi Khatoo 4 Badwa 5 Khatholi 6 Khinyata 7 Somna 8 Loonasar.
4. Ladnun	—do—	1 Balod 2 Rataw 3 Silanwad
	P.S.	1 Kusumbi 2 Rodu 3 Sardi.
5. Deedwana	Govt.	1 Nimbod 2 Ladriya 3 Khun-Khuna 4 Beri Jatanpura 5 Chhoti Chappri 6 Kayamsur 7 Bhikharniya 8 Singhana 9 Akoda 10 Khakholi.

1		2
6. Kuchaman City	Aided Govt.	1 Sagoo Badi 1 Mithari 2 Minda 3 Guda Salt 4 Panchwa.
7. Makrana	—do—	1 Borawar 2 Budsu 3 Gachhipura 4 Ranigaon 5 Bhichawa 6 Heenawa 7 Bajoli 8 Bhesroli 9 Jusani.
8. Parbatsar	—do—	1 Bhakri 2 Badu 3 Peslwa 4 Bassi 5 Bagot 6 Bijwas 7 Gonjila.
9. Degana	—do—	1 Edwa 2 Sirasana 3 Jhakhera 4 Parlikalan 5 Nemari Kalan.
10. Riyan Badi	—do—	1 Padukalan 2 Dodyana 3 Ahniawas 4 Bagar 5 Bheruda 6 Lalian.
11. Merta City	—do—	1 Dangawas 2 Kurdia 3 Harsolao 4 Basniseja 5 Nokha Chandawata 6 Gagrana.

Page No 119

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 155 की सूची)

राजकीय ऊनी मिल बीकानेर में उत्पादित धागे का सन् 1968–69 से सन् 1971–72 तक का वार्षिक विवरण।

वर्ष	ग्रे सी यार्न किलोग्राम।	स्कार्ड यार्न कि. ग्रा.	योग कि. ग्रा.
1968–69	2,993.000	21,956.000	24,949.000
1969–70	9,489.000	17,100.000	26,589.000
1970–71	38,801.000	70,015.800	1,08,816.800
1971–72	1,22,579.300	30,006.000	1,52,585.300
योग:–	1,75,862.300	1,39,077.800	3,12,940.100

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

पीलीबंगा वाटर वर्क्स

162. **श्री गुरुदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पीलीबंगा मंडी जिला गंगानगर में वाटर वर्क्स कब मजूर हुआ तथा उसका शिलान्यास किसके द्वारा और कौन कौन सी तिथि को किया गया ? वाटर वर्क्स का कितना कार्य आज तक हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि जो पाइप 1972 में वाटर वर्क्स बनाने हेतु भेजे गये थे वे अब उठाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) दिसम्बर 70 को। शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के कर कमलों द्वारा दि. 12-8-66 को हुआ आज तक करीब 4. 30 लाख रु. का कार्य हुआ।

(2) जी नहीं। स्कीम की आवश्यकतानुसार पाइप वहां पर मौजूद हैं। वित्तीय वर्ष 73-74 तक पूरा होने की सम्भावना है।

झालरा पाटन शहर में हायर सेकेण्ड्री स्कूल

163. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन शहर (जिला झालावाड़) में सेकेण्ड्री स्कूल ही है जब कि यहां की 20 हजार की आबादी को देखते हुए हायर सेकण्ड्री स्कूल होना आवश्यक है तथा इसकी मांग जनता एक लम्बे अर्से से करती आ रही है, और सरकार ने गत वर्ष इसे हायर सेकेण्ड्री में परिवर्तित करने का आश्वासन भी दिया था ?

(2) यदि हां, तो क्या अगले सत्र में सरकार सेकेण्ड्री स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में परिवर्तित करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है। गतवर्ष निर्णयानुसार एक भी छात्र माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत नहीं किया गया।

(2) राजकीय वित्तीय साधनों के आधार पर अगर शालाओं को क्रमोन्नत किया गया तो इस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

तहसील छबड़ा एवं छीपाबड़ोद में अतिवृष्टि से फसल को क्षति

164. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि तहसील छबड़ा एवं छीपाबड़ोद में अतिवृष्टि से क्या 2 एवं

(श्री जगमोहन सिंह)
मक्का की फसल एवं शीत लहर से चना, धनिया, अफीम एवं गेहूं की फसल को भी भारी क्षति हुई है ? तथा इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति बनी हुई है अगर हां, तो सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

जयपुर शहर में पीने का पानी उपलब्ध कराने पर व्यय की गई राशि

165. **श्री मोहन लाल छंगाणी** (फलौदी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सन् 1971–72 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ?

(2) उक्त राशि में से कितनी राशि नई पाइप योजना एवं टंकी बनाने हेतु खर्च की गई ?

(3) नई पाइप लाइन व टंकियां किस किस स्थान पर उक्त प्रावधान के अन्तर्गत लगाई व बनाई जा चुकी है ?

(4) जयपुर शहर की चारदीवारी के बाहरी क्षेत्र विशेषतः आकाशवाणी के आसपास जल का वितरण समुचित ढंग से हो सके इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) सन् 1971–72 में 16.70 लाख का प्रावधान किया गया था ।

(2) इस राशि में से टंकी बनाने हेतु 2,20,000 नई लाइनें डालने में 10,00,000 रु. तथा नल कूप बनाने के लिये 4,50,000 रु. की धन राशि खर्च की गई । कुल राशि 16,70,000 रु. इसी वर्ष में खर्च करदी गई है ।

(3) इसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(क) नई पाइप लाइन डालने के स्थान (1) नगर की चार दिवारी के अन्दर (2) बाहरी क्षेत्र बनी पार्क, तिलक नगर, आदर्श नगर, ट्रक स्टेण्ड के क्षेत्र तथा रेलवे क्रासिंग आदि स्थान ।

(ख) टंकियों का निर्माण :

गांधीनगर, बापूनगर, तिलकनगर, हथरोई, शांतीनगर (हटवाड़ा) तथा ट्रक स्टेण्ड आदि स्थानों पर ।

(4) आकाशवाणी के आसपास वाले क्षेत्र में जल–व्यवस्था के सुधार हेतु हथरोई किले के पास एक टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन के डालने की योजना बनाई जा रही है । यह कार्य पूरा होने पर इस क्षेत्र की जल–वितरण व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होगा । टंकी निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

सीकर में चीनी का वितरण

166. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में चीनी का जो कन्ट्रोल हुआ है उसमें

(श्री गोरधनसिंह)
सीकर उपभोक्ता भण्डार द्वारा सही ढंग से चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है और चीनी का ब्लेक किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सीकर नगर में कितनी चीनी प्रत्येक मास में वितरण करना तय किया हुआ है और वास्तव में कितनी वितरित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सीकर नगर में कितने व्यक्तियों को राशन कार्ड सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बनाकर दे दिये गये हैं तथा कितने बनाये जाने शेष हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि सीकर के देहातों में चीनी का वितरण सहकारी समितियों द्वारा नहीं किया जाकर संबंधित अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दबाव के आधार पर गांवों में अनुचित तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को डीलर नियुक्त किया जाकर किया जा रहा है? कृपया डीलरों की नियुक्ति आदि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

नागौर तथा जायल तहसीलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत मजदूरों की बकाया

167. **श्री रामसिंह कुडी (जायल)**: क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर व जायल तहसीलों में सं. 2025 व 2026 के अकाल राहत कार्यों की मजदूरों की कितनी मजदूरी बकाया है? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? कृपया केम्प वाइज मजदूरों की बकाया की सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

हरिजन मोहल्लों में पानी की व्यवस्था

168. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बीकासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर में समाज कल्याण विभाग द्वारा छः हजार चार सौ रुपये की राशि बीकासर बास मोहनपुरा के हरिजन मोहल्लों में पाइप लाइन बिछाने हेतु मंजूर की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त राशि की पाइप लाइन हरिजनों के मोहल्लों की बजाय अन्य मोहल्लों में बिछवा दी?

(2) क्या सरकार अब उपरोक्त मोहल्लों में पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह राशि बीकासर के हरिजन मोहल्लों के लिए थी और वहां के लिए खर्च करदी गई है।

(2) बीकासर के हरिजन मोहल्लों मे लाइन डाल दी गई है। बीकासर के बास

(श्री जन स्वास्थ्य मंत्री)

मोहनपुरा के हरिजन मोहल्लों में इसी साल पाइप लाइन डालदी जावेगी।

ग्राम लालगढ़ एवं सांडवा के मिडिल स्कूल

169. **श्री रावतराम** (छापर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले के ग्राम लालगढ एवं सांडवा की मिडिल स्कूलों को सैकण्ड्री में अप ग्रेड नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मिडिल स्कूलों के आस-पास तीस तीस माइल तक कोई सैकेण्ड्री स्कूल नहीं है एवं छात्रों की संख्या, मकानादि तथा देहाती छात्रों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए यहां सैकेण्ड्री स्तर की स्कूल मंजूर करना निहायत आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त स्कूलों की कब तक अपग्रेड कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) गत वर्ष तथा उससे पहले वर्ष भी इन शालाओं को क्रमोन्नत करने के लिए कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुए थे।

(2) यह सही नहीं है। सांडवा से 12 मील पर बीदासर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय है व लालगढ से सुजानगढ 24 मील पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। वितीय साधनों की उपलब्धि तथा औचित्य को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर शाला क्रमोन्नति के लिये अन्य प्रस्तावों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावेगा।

अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य

170 **श्री चिम्मन सिंह भाटी** (भीम) क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1970-71 में केन्द्रीय सरकार द्वारा "अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्य-क्रम Draught Prone Areas Programme के अन्तर्गत जिन 10 जिलों का राजस्थान में चयन किया गया, उसका क्या मापदण्ड था?

(2) उदयपुर जिले की भीम व देवगढ तहसील एवं सम्पूर्ण अजमेर जिला इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत क्यों नहीं आया जब कि वहां हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है?

उत्तर

(1) वर्ष 1970-71 में केन्द्रीय सरकार द्वारा अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्य-क्रम (Draught Prone Areas Programme) के अन्तर्गत जिलों का चयन करने हेतु निम्न सूचना चाही गई थी :-

(क) पिछले 10 वर्षों में अभावग्रस्त घोषित जिलों में भू-राजस्व की मांग स्थगित (छूट) को गई राशि।

(ख) पिछले 10 वर्षों में अभावग्रस्त घोषित गांवों की तहसीलवार एवं जिलेवार संख्या।

(ग) पिछले 10 वर्षों में हुई वर्षा के आंकड़े।

(2) चूंकि चयन केन्द्रीय सरकार ने अपने स्तर पर किया गया है। अतः उदय-

(अकाल राहत मंत्री)
पुर जिले की भीम और देवगढ़ तहसीलें तथा सम्पूर्ण अजमेर जिला इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत क्यों नहीं लिये गये, नहीं कहा जा सकता।

सराडा एवं चावण्ड ग्रामों की नल योजनाओं का सर्वे

171. **श्री देवीलाल** (सराडा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के गांव सराड़ा तहसील हैडक्वार्टर पर नल योजना की सर्वे की जाकर योजना तैयार कर मंजूर हो चुकी है? यदि हां, तो सर्वे कब हुई और मंजूरी कब की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव चावण्ड में नल योजना की सर्वे की जाकर नक्शा तैयार कर लिया गया है? यदि हां, तो यह योजना कब तक मंजूर किये जाने की है?

उत्तर

(1) योजना तैयार की जा चुकी है योजना का सर्वेक्षण अगस्त 71 में किया गया था, अभी तक योजना की मंजूरी नहीं हुई है।

(2) जी हां अभी तक योजना में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा और शिक्षक संघ की मांग

172. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समितियों से हटाकर शिक्षा विभाग के अधीन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा? यदि नहीं, तो राज्य सरकार के सामने इस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षक संघ ने प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा विभाग के अधीन देने की मांग को लेकर आन्दोलन की चेतावनी दी है।

उत्तर

(1) जी, नहीं, । प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) विभाग के पास ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

चित्तौड़गढ़ जिले में फसल को क्षति

173. **श्रीमती निर्मला शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अधिक सर्दी की वजह से फसल पर पाला पड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में गेहूं, चना, अफीम की खेती आदि नष्ट हो गई? यदि हां, तो क्या इसका सर्वेक्षण कराया जा चुका है?

(2) क्या सरकार इस प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित किसानों को राहत तथा लगान में कोई छूट देगी? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) इस वर्ष शीत प्रकोप के कारण चित्तौडगढ़ जिले में फसलों को जो क्षति हुई उसका सर्वेक्षण कराया जा चुका है।

(सहायता मंत्री)

(2) क्षति इतनी मात्रा में नहीं हुई कि किसानों को राहत पहुंचाने व लगान में छूट देने की कार्यवाही आवश्यक हो। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

लेखा लिपिकों का संवर्ग

174. श्री केदार नाथ (गंगानगर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है विधान सभा में दिनांक 16–11–1970 को मुख्य मन्त्री महोदय ने लेखा लिपिकों का अलग से संवर्ग बनाने की घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो क्या वह संवर्ग अलग से बन चुका है ?

(3) यदि नहीं बनी, तो देरी का क्या कारण है ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में नियम बनाये जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) इस सम्बन्ध में राजस्थान सबोर्डिनेट अकाऊन्ट्स सर्विस में संशोधन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान द्वारा सब विभागाध्यक्षों से सूचना चाही गई है व उसका संकलन किया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

हायर सेकण्डरी स्कूल प्रतापगढ़ में फर्नीचर की कमी

175. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि हायर सैकन्ड्री स्कूल प्रतापगढ़ में फर्नीचर की बहुत कमी है तथा इसकी पूर्ति के लिये कई बार मांग भी की गई है ? यदि हां, तो कब से तथा इसकी पूर्ति नहीं करने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि फर्नीचर के अभाव में छात्र नीचे फर्श पर बैठते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। फर्नीचर की कमी को दूर करने के लिए अब तक निम्न प्रकार के प्रयास किये गये:––

(अ) सत्र 67–68 से 70–71 तक राजकीय मद से 1350) रु. फर्नीचर ठीक कराने में खर्च किए गये।

(ब) सत्र 70–71 में छात्र–कोष तथा शिक्षक अभिभावक संघ प्रतापगढ़ द्वारा 1100) रुपया का नया फर्नीचर क्रय करके विद्यालय को सुलभ कराया गया।

(2) यह सही नहीं है। फर्नीचर के अभाव में 4 कक्षाओं के विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था दरी या जाजम बिछाकर की जाती है।

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

176. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में गत चार वर्षों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किस किस मद में कितना व्यय हुआ ? सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) उक्त जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चार वर्षों में कितने किलो मीटर ग्रेवल एवं डामर सड़कों का निर्माण हुआ ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त जिले में कितना ग्रेवल एवं मेटल कहां कहां एकत्रित किया हुआ पड़ा है ?

(4) उक्त जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो सड़क बनी उनमें से कौन कौन सी कितनी कितनी अधूरी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त अधूरी सड़कों को पूरा करने के लिये इस वर्ष अभावग्रस्त क्षेत्रों में विभाग क्या योजना बनाकर कदम उठा रहा है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में गत चार वर्षों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निम्न प्रकार व्यय हुआ :–

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से	1016.62 लाख
2. सिंचाई विभाग के अभिकरण से	22.72 लाख
3. कृषि विभाग के अभिकरण से	10.62 लाख
4. राजस्व विभाग के अभिकरण से	9.33 लाख
5. वन विभाग के अभिकरण से	9.55 लाख

(2) उक्त जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चार वर्षों में निम्न प्रकार सड़कों का निर्माण हुआ :—

(क) ग्रेवल की सड़कें	
अर्थ वर्क	2905.25 कि मी.
ग्रेवल बिछाया	1526.25 कि.मी.
(ख) डामर की सड़कें	
अर्थ वर्क	576 कि.मी.

(अकाल राहत मंत्री)

ग्रेवल बिछाया	465 कि.मी.
वेलास्ट	344 कि.मी.
ग्रिट	129.50 कि.मी.
कुटाई	88 कि.मी.

(3) सूची क सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) सूची ख एवं ग सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) इनमें से कुछ सड़कों को क्रेश योजना एवं कुछ सड़कों को अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्य-क्रम के अन्तर्गत तथा कुछ सड़कों को योजना के अन्तर्गत पूरी करवाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लीलरिया ग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था

177. **श्री सुखलाल सेणचा** (जैतारण) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील के लीलरिया ग्राम में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, आसपास के ग्रामों को मिलाकर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनाई जा रही है।

क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन

178. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन किस उद्देश्य से बनाया गया हैं ?

(2) राज्य में इस कार्पोरेशन से कितना लाभ उठाया गया है ?

उत्तर

(1) प्रायोरिटी सेक्टर में बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसकी वसूली के लिये बैंकों को जमानत देने हेतु क्रेडिट गारन्टी कार्पोरेशन बनाया गया है।

(2) अभी तक यह योजना सहकारी बैंकों पर लागू नहीं की गई है अतः राज्य के सहकार क्षेत्र में इस कार्पोरेशन से लाभ उठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

दरगाहों की मरम्मत

179 **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): **श्री मोठालाल** (लालसोट):—क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(1) क्या यह सच है कि प्रान्त के विभिन्न कस्बों में स्थित दरगाहें बडी ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई हैं ?

(2) क्या यह भी सच कि जयपुर जिले के दौसा, लालसोट, मण्डावरी कस्बों में स्थित दरगाहें अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो इनके जीर्णोद्धार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रान्त के विभिन्न कस्बों में दरगाहों की हालत ठीक नहीं है।

(2) दौसा और लालसोट के कस्बों में स्थित दरगाहों की हालत ठीक नहीं है, मण्डावरी में कोई दरगाह नहीं हैं।

दरगाहों के जीर्णोद्धार की कोई योजना राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के समक्ष साधन अभाव के कारण, विचाराधीन नहीं है।

हिण्डोन जल प्रदाय योजना

180. **श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन)** : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सत्य है कि सरकारी स्तर पर हिण्डौन जल प्रदाय योजना को जून 1971 तक पूर्ण हो जाने की घोषणा की गई थी परन्तु आज तक यह योजना पूर्ण नही हो पाई है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह योजना कब तक पूर्ण होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, कार्य प्रगति पर है, तथा शीघ्र चालू होने की सम्भावना है।

पंचायत समिति सांचौर में नई प्राथमिक पाठशालाएं

181. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

उत्तर

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचौर में पिछले कई सालों से नई प्राथमिक पाठशालाएं नहीं खोली गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पंचायत समिति में पिछले तीन सालों में नई प्राथमिक पाठशालाओं के लिए शिक्षक नहीं दिए गए हैं ? अगर हां, तो क्यों ? नये शिक्षकों की मंजूरी देने का क्या आधार है तथा आवश्यकतानुसार शिक्षकों की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। गत दो तीन वर्षों में प्रावधान के अभाव में राजस्थान नहर योजना क्षेत्र छोड़ कर राजस्थान में एक भी प्राथमिक शाला नहीं खोली गई थी। केवल सांचौर exception नहीं है।

(2) जी हां, पिछले दो तीन वर्षों से प्राथमिक शालाओं में बजट प्रावधान के अभाव में अध्यापक नहीं दिये गये। गत वर्ष केन्द्रीय सरकार से बेरोजगारी समस्या के समाधान योजना के अन्तर्गत 2600 पद

(शिक्षा मंत्री)
मिले हैं उसमें से 12 पद जालोर जिले को दिये गये हैं।

यह सही है कि शिक्षकों के वितरण में कहीं कहीं कुछ कमी रही है। इससे जो असंतुलन आया है भारत सरकार की सहायता प्राप्त होने पर उसे पूरा करने का प्रयास किया जावेगा।

नगरपालिकाओं के हरिजन कर्मचारियों को राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सुविधाएं

182. श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं के हरिजन कर्मचारियों को राणावत वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जावेंगी? यदि हां, तो किस किस नगरपालिका द्वारा इस सिद्धान्त का पालन किया गया है?

(ख) शेष नगरपालिकाओं से राणावत वेतन आयोग के अनुसार हरिजनों को वेतन आदि का भुगतान कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

राणावत वेतन श्रृंखलायें केवल उन्हीं नगरपरिषदों के कर्मचारियों को दी जा सकती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सरकार द्वारा निर्धारित माप-दण्ड के अनुसार हो। अभी तक नगरपरिषद्, जयपुर, उदयपुर, गंगानगर व कोटा के वरिष्ठ लेखक, कनिष्ठ, लेखक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जिसमें हरिजन सम्मिलित हैं) को प्रोवीजनल तौर पर दी गई है।

2- प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

ग्राम लाखेरी का शराब का ठेका

183. श्री **नन्दलाल बैरवा** (पाटन): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बून्दी की तहसील केशवराय पाटन के ग्राम लाखेरी में शराब का ठेका कब किसके नाम और कितने में हुआ?

(2) क्या यह सही है कि लाखेरी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत गरमपुरा के शराब के ठेकेदार एक हैं? यदि एक हैं, तो लाखेरी और गरमपुरा में शराब बेची जा रही है या नहीं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानें नहीं लगाई जायेंगी तथा वेतन के दिन शराब की दुकानें बन्द रखी जायेंगी? यदि हां, तो लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री की मजदूर बस्ती में खुले आम शराब कैसे बेची जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने शराब का मूल्य तय किया हुआ है? यदि हां, तो क्या? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(आबकारी मंत्री)

उत्तर

(1) देशी मदिरा दुकान लाखेरी का ठेका वर्ष 1971–72 के लिये रुपये 2,55,460।– की देय राशि पर श्री कजोड़मल पुत्र दुर्गामल कलाल निवासी मुडिया को दिया गया था। श्री कजोड़मल का लाईसेन्स वर्ष के मध्य में ही निरस्त होने के बाद उक्त दुकान दिनांक 24-11-71 से 31–3–72 तक की अवधि के लिये श्री बजरंग लाल पुत्र देवलाल कलाल, निवासी बड़ाखेड़ा को रुपये 64300।– की राशि पर दी गई।

(2) लाखेरी नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत गरमपुरा क्षेत्र में केवल एक दुकान स्वीकृत है। वर्ष 1971–72 में यह दुकान गरमपुरा क्षेत्र में नयापुरा में स्थित थी जहां शराब बिकती थी।

(3) आबकारी नियमों के अनुसार देशी शराब की दुकान मजदूरों की बस्ती के पड़ोस में नहीं होनी चाहिये। लाखेरी दुकान लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री की मजदूरी बस्ती से 200 गज दूरी पर स्थित थी। वेतन पाने के दिन लेबर एरिया में शराब की दुकानें बन्द रखने के आदेश 1967 में दिये थे। इसके बाद 1969–70 में दो दिन प्रति सप्ताह शुल्क दिवस मान लिये थे, और यह निर्णय लिया गया था कि सप्ताह में दो दिन दुकान बन्द रहने के कारण वेतन दिवस को शुष्क दिवस रखना आवश्यक नहीं है।

अब पुनः आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं कि लेबर कालोनीज में वेतन दिवसों को शुष्क दिवस रखा जावे।

(4) राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बेचने का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया है। अतः सूची संलग्न करने का प्रश्न ही नहीं होता।

नगरपालिका बालोतरा को आवास गृहों के पट्टों के लिए आदेश

184. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा)– क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर बालोतरा के वार्ड नं. 2, 5, 6, 7 और 8 में नई आबादी को नियमित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 6–7 माह पूर्व नगरपालिका बालोतरा को उस आबादी में आवास गृहों हेतु पट्टे देने संबंधी आदेश प्रसारित किये थे ? यदि हां, तो कब और क्या उन आदेशों की अनुपालना उक्त नगरपालिका ने की है ?

(2) इन आदेशों की अनुपालना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त नगरपालिका को इन आदेशों की अनुपालना कराने हेतु कोई समयावधि निर्धारित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी हां।

   दिनांक 22-7-71 को।

   जी हां, पालना की जा रही है।

2. नगरपालिका द्वारा आवश्यक कार्यवाही जारी है।

3. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अलसीसर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम

185. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा)––क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जिला झूंझुनूं में अलसीसर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बनाने की कोई योजना स्वीकार की है ? यदि हां, तो उक्त योजना की क्या प्रगति है ?

(2) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा तथा कितने गांवों को जल सप्लाई किया जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के लिए रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बनाने के आदेश वर्तमान मुख्य मंत्री जब कि वे 1964 में जन–स्वास्थ्य मंत्री थे तब दिए गये थे जिनकी क्रियान्विति अभी तक भी नहीं हुई है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) ग्राम अलसीसर योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है । अभी कोई क्षेत्रीय योजना की स्वीकृति नहीं हुई है।

(2) अलसीसर योजना पर 1.60 लाख खर्च होने का अनुमान है । क्षेत्रीय योजना की स्वीकृति अभी नहीं हुई है।

(3) सन् 1964 में अलसीसर के अभावग्रस्त ग्रामों के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आदेश दिये गये थे। जिन पर कार्यवाही की जाकर राज्य का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया।

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 54 की सूची)

नगरपालिका पाली द्वारा 1 मार्च 72 से 11 मार्च, 72 तक कराये गये कार्य का विवरण

क्र. सं.	कार्य का प्रगति	वार्ड सं.	निर्माण प्रारंभ करने की ता.	समाप्ति की तारीख	विशेष विवरण
(1)	पब्लिक स्टेण्ड पोस्ट				
	क. जुलाहों का वास	5	4-3-72	अपूर्ण	यह सब कार्य करवाने के आदेश इस कार्यालय के पत्र सं. 294 दि. 17-2-72 द्वारा दिये गये थे और अभी तक चालू नहीं हुए हैं। उक्त कार्य करवाने के आदेश जनता की मांग पर दिये गये थे।
	ख. लेबर कालोनी नई बस्ती	3	3-3-72	"	
	ग. सिन्धी कालोनी नई बस्ती	10	5-3-72	"	
	घ. स्वामियों का वास	12	4-3-72	"	
	ड. टांको का वास	13	6-3-72	"	
	च. सिन्धी कालोनी बेरे के पास	10	5-3-72	"	
(2)	सड़क निर्माण– कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था।				

मूलचन्द डागा,
अध्यक्ष,
नगरपालिका, पाली।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 1 मई, 1972)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
2	अन्तिम से	8	हार्ड बेड	हाईटेक
3		11	श्री चन्दननमल बैद	श्री चन्दनमल बैद
,,	अन्तिम से	10	मनिया सेकेण्री स्कूल	मनिया सेकेण्डरी स्कूल
13	,,	10	श्री गिरधार लाल भार्गव	श्री गिरधारीलाल भार्गव
18		1	श्री पसराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
22		1	गहलौत	गहलोत
30		18	श्री अध्यम	श्री अध्यक्ष
31		7	बी ानेर	बीकानेर
31		16	( )	(3)
40	शीर्ष		तारांकिक	तारांकित
45	अन्तिम से	5	फिप्थ	फिपथ
48		6	भंत्री	मंत्री
49		6	मदेरग	मदेरणा
51	अन्तिम से	11	श्री पस्सपाम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
53		1	(श्रीमती नगेन्प्रवाला)	श्रीमती नगेन्द्रवाला
54	अन्तिम से	6	रैगिप्तान	रैगिस्तान
67	अन्तिम से		गया है	हो गया है
70	,,	3	स्वीति	स्वीकृति
73		34	महोय	महोदय
75	अन्तिम से	6	श्र अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
92	अन्तिम से	8	जाना	जानना
97		30	परिवतन	परिवर्तन
99		15	भेजें	भेजें
104	अन्तिम से	1	सुधारें	सुधारें
117		15	—कहे	कोई कहे
137	अन्तिम से	2	पढ़ेमा	पड़ेगा

1	2	3		4
167		6	समते हैं	सकते हैं
168	अन्तिम से	1	एवरे	एवरेज
174		12	भील	भी
177	अन्तिम से	10	--	अरबों
180	अन्तिम से	8	चुकाने पड़ते हैं	चुकाना पड़ता है
181	अन्तिम से	11	पढ़ती है	पड़ती है
182	,,	13	वसूल	
183	,,	2	अत्याचारों से	अत्याचारों का
194	अन्तिम से	5	समाजवद	समाजवाद
195		4	आप	आज
196		4	लेना	लेनी
,,	अन्तिम से	11	आर	चार
197		1	(श्री मूलचन्द मामरिया)	(श्री मूलचन्द सांमरिया)
,,		21	बरतन दे	बरतन बेच दे
198	अन्तिम से	3	पूर्व रह सके	पूर्वक रह सके
200	,,	17	जानून	कानून
201		7	म्यूनिसिपं लटी	म्यूनिसिपंलिटी
204	अन्तिम से	4	मजायेगा	में आ जायेगा
207		15	स्त्रियों को	स्त्रियों ने
209		20	दो विघा	दो बीघा
211		2	विश्वविध्यालय	विश्वविद्यालय
212		4	जिविका	जीविका
214		5	दो राहें	दो राहा
217		19	पस	पैसा
220		9	भयंक	भयंकर
221	अन्तिम से	14	गर्भवता	गर्भवती
223	,,	14	लेकन	लेकिन
241	,,	14	वया	क्या
242	,,	16	लाखे ी	लाखेरी